क्रम-संख्या-62

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 11 मार्च, 2016

फाल्गुन 21, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 369/79-वि-1–16-1(क)1-2016
लखनऊ, 11 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 पर दिनांक 11 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2016]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) यह 16 दिसम्बर, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012 में सामान्य संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में, जिसे आगे उक्त संहिता कहा गया है–

(क) धारा 4, 64, 68, 72 एवं 126 को छोड़कर, शीर्षकों, दीर्घ शीर्षक, प्रस्तावना, पार्श्वांकित शीर्षकों, अनुसूचियों को सम्मिलित करते हुये, शब्द 'ग्राम सभा' जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द 'ग्राम पंचायत' रख दिये जायेंगे;

(ख) शब्द 'ग्राम निधि' जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "गांव निधि" रख दिये जायेंगे;

(ग) शब्द 'जिला' या शब्द 'जिले' या शब्द 'जिलों', जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर क्रमशः शब्द 'जिला' या "जिले" या "जिलों", रख दिये जायेंगे;

(घ) शब्द 'गाँव', जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "गांव" रख दिया जायेगा; और

(ङ) शब्द "बाकीदार" या शब्द "बकायादार" या शब्द "बकायेदार", जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द 'व्यतिक्रमी' रख दिया जायेगा।

धारा 1 का संशोधन

3–उक्त संहिता की धारा 1 की उपधारा (3) में, शब्द "करें" के स्थान पर शब्द "करे" रख दिया जायेगा।

धारा 3 का संशोधन

4–उक्त संहिता की धारा 3 की उपधारा (3) में, शब्द "उपान्तरण परिवर्तन" के स्थान पर शब्द "उपान्तरण या परिवर्तन" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

5–उक्त संहिता की धारा 4 में–

(क) खण्ड (8) के उपखण्ड (ख) में, शब्द "किसी कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "कलेक्टर" रख दिया जायेगा।

(ख) खण्ड (13) के उपखण्ड (चार) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "निर्माण"; के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "निर्माण; और " और उसके उपखण्ड (पाँच) में शब्द "पुननिर्माण" के स्थान पर शब्द "पुनर्निर्माण" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (16) में, शब्द "असिस्टेन्ट कलेक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी और सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार से है" के स्थान पर शब्द "मुख्य राजस्व अधिकारी, असिस्टेन्ट कलेक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार (न्यायिक) और नायब तहसीलदार से है" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (17) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(17) "राजस्व अधिकारी" का तात्पर्य आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, उप जिलाधिकारी, सहायक कलेक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार (न्यायिक), नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक से है।"

(ङ) खण्ड (19) में शब्द "बन्द रोपण प्रणाली" के स्थान पर शब्द "वनरोपण प्रणाली" रख दिये जायेंगे;

(च) खण्ड (20) में शब्द व विराम चिन्ह "करें।" के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह "करें;" रख दिया जायेगा;

(छ) खण्ड (21) में शब्द व विराम चिन्ह "है।" के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह "है;" रख दिया जायेगा;

(ज) खण्ड (22) में शब्द "गांव निधि" और "ग्राम सभा" के स्थान पर शब्द "गांव निधि", "ग्राम सभा" और "ग्राम पंचायत" और विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ";" रख दिये जायेंगे;

(झ) खण्ड (22) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(23) 'कृषि वर्ष' का तात्पर्य ऐसे वर्ष से है जो कैलेण्डर वर्ष में जुलाई के प्रथम दिन से आरम्भ होकर जून के तीसवें दिन पर समाप्त होता है। इसे 'फसली वर्ष' भी कहा जाता है;

(24) 'मध्यवर्ती' का तात्पर्य, जब उसका सम्बन्ध किसी आस्थान से हो, उक्त आस्थान या उसके किसी भाग के स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी और दवामी काश्तकार से है;

(25) 'पट्टा' के अन्तर्गत, जब उसका सम्बन्ध खानों या खनिज पदार्थों से हो, शिकमी पट्टा, अन्वेषण पट्टा और पट्टा देने या शिकमी उठाने के अनुबन्ध भी हैं और 'पट्टेदार' की भी व्याख्या तद्नुसार ही की जाएगी;

(26) 'डिक्री' का वही अर्थ होगा, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1908) की धारा 2 में इसके लिये समनुदेशित है;

(27) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(28) 'केन्द्रीय सरकार' का अर्थ होगा, जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 3 में इसके लिये समनुदेशित है;

(29) 'मिनजुमला संख्या' का तात्पर्य सैद्धान्तिक रूप से विभाजित लेकिन भौतिक रूप से अविभाजित खेत के जुज भाग को इंगित करने वाली 'शजरा संख्या' से है।"

धारा 5 का संशोधन

6—उक्त संहिता की धारा 5 में शब्द "राज्य को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा जो मण्डलों में विभक्त होगा जिसमें एक या अधिक जिले हो सकेंगे और प्रत्येक जिले में एक या अधिक तहसील हो सकेंगी और प्रत्येक तहसील में एक या अधिक परगनें हो सकेंगे और प्रत्येक परगनें में दो या उससे अधिक गाँव हो सकेंगे।" के स्थान पर शब्द "राज्य को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो मण्डलों में विभक्त होगा जिसमें दो या अधिक जिले हो सकेंगे और प्रत्येक जिला में दो या अधिक तहसीलें हो सकेंगी और प्रत्येक तहसील में एक या अधिक परगनें हो सकेंगे और प्रत्येक परगना में दो या उससे अधिक गांव हो सकेंगे।" रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

7—उक्त संहिता की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (तीन) के अन्त में, विराम चिन्ह ";" के स्थान पर विराम चिन्ह "।" रख दिया जायेगा;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "निरीक्षक के मुख्यालयों" के स्थान पर शब्द "निरीक्षक के मुख्यालय" रख दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

8—उक्त संहिता की धारा 7 में—

(क) उपधारा (2) को निकाल दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (3) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द व विराम चिन्ह "जब तक कि उसने ऐसा पद धारण किया हो जो आयुक्त के पद से निम्न श्रेणी का न हो।" के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह "जब तक कि उसने आयुक्त के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो;" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "जब तक कि वह राजस्व अधिकारी न रहा हो" के स्थान पर शब्द "जब तक कि उसने कलेक्टर के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (4) में, शब्द "न्यायिक कारबार" के स्थान पर शब्द "न्यायिक कार्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

9—उक्त संहिता की धारा 8 में उपधारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(क) वादों, अपीलों या पुनरीक्षणों के निस्तारण से सम्बन्धित सभी मामलों में; और"

धारा 10 का संशोधन

10—उक्त संहिता की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द "विभाजित हो" के स्थान पर शब्द "विभाजित हों" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "मण्डल पीठ" के स्थान पर शब्द "खण्ड पीठ" रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

11–उक्त संहिता की धारा 11 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।" के स्थान पर शब्द "कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और अपने मण्डल में सभी राजस्व अधिकारियों पर प्राधिकार का प्रयोग करेगा।" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) राज्य सरकार एक या उससे अधिक मण्डलों में एक या उससे अधिक अपर आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है।"

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(5) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात् किसी समय, किसी भी अपर आयुक्त को, अपर आयुक्त (न्यायिक) के रूप में, पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे अपर आयुक्त (न्यायिक) को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जायेगा। ऐसा अपर आयुक्त (न्यायिक) ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में आयुक्त की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार निदेश दे, या राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव में, मण्डलायुक्त द्वारा, निदेशित किया जाये।"

धारा 12 का संशोधन

12–उक्त संहिता की धारा 12 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(5) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात् किसी समय, किसी भी अपर कलेक्टर को अपर कलेक्टर (न्यायिक) के रूप में, पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे अपर कलेक्टर (न्यायिक) को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जायेगा। ऐसा अपर कलेक्टर (न्यायिक) ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार निदेश दे, या राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव में, कलेक्टर द्वारा, निदेशित किया जाये।"

धारा 13 का संशोधन

13–उक्त संहिता की धारा 13 में :–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे, सहायक कलेक्टर प्रथम या द्वितीय श्रेणी के रूप में नियुक्त कर सकती है।"

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) राज्य सरकार किसी जिले के एक या उससे अधिक तहसीलों को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के प्रभार में रख सकती है और ऐसा अधिकारी तहसील का प्रभारी सहायक कलेक्टर या उप जिलाधिकारी कहा जायेगा।"

(ग) उपधारा (4) में, शब्द "सहायक कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा को अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(6) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात् किसी समय, किसी भी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को एक या एक से अधिक तहसीलों के लिये उप जिलाधिकारी (न्यायिक) के रूप में, पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे उप जिलाधिकारी (न्यायिक) को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जायेगा। ऐसा उप जिलाधिकारी (न्यायिक) ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में उप जिलाधिकारी की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा, या राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव में, कलेक्टर द्वारा, निदेशित किया जाये।"

धारा 16 का संशोधन

14—उक्त संहिता की धारा 16 में, शब्द "विनिर्दिष्ट करें," जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "विनिर्दिष्ट करे," रख दिये जायेंगे।

धारा 18 का संशोधन

15—उक्त संहिता की धारा 18 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी और अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :—

"(2) यदि पूर्वोक्त अधिकारी या अन्य व्यक्ति निदेश के अनुसार पालन नहीं करता है, तो कलेक्टर ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जब तक कि निदेश का पालन नहीं कर दिया जाता है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल धनराशि पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी :

परन्तु, यह कि यथास्थिति, अधिकारी या अन्य व्यक्ति को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किये जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति का अधिरोपण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिये अभियोजन या धन, कागज-पत्र या अन्य सरकारी सम्पत्ति की वसूली, से विवर्जित नहीं करेगा।"

धारा 20 का संशोधन

16—उक्त संहिता की धारा 20 की उपधारा (1) में, शब्द "सर्वे संख्याओं" के स्थान पर शब्द "सर्वे गाटा संख्याओं" और शब्द "जायेगी" के स्थान पर शब्द "जायेंगी" रख दिये जायेंगे।

धारा 22 का संशोधन

17—उक्त संहिता की धारा 22 की उपधारा (1) में, शब्द "लेखपाल के हल्के" के स्थान पर शब्द "लेखपाल के हलके" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

18—उक्त संहिता की धारा 24 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "स्व—प्रेरणा" के स्थान पर शब्द "स्वप्रेरणा" और शब्द "जांच द्वारा विनिश्चय कर सकता है" के स्थान पर शब्द "जांच द्वारा कर सकता है" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "छः माह " के स्थान पर शब्द "तीन माह" रख दिये जायेंगे।

धारा 25 का संशोधन

19—उक्त संहिता की धारा 25 में, शब्द "अवरोधों के निराकरण" के स्थान पर शब्द "अवरोधों को हटाने" और शब्द "ऐसे निराकरण की लागत" के स्थान पर शब्द "ऐसे अवरोधों को हटाने की लागत" रख दिये जायेंगे।

धारा 26 का संशोधन

20—उक्त संहिता की धारा 26 में, शब्द "ग्राम सभा" के स्थान पर शब्द "गांव" रख दिया जायेगा।

धारा 27 का संशोधन

21—उक्त संहिता की धारा 27 में, विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ":" रख दिया जायेगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना—पत्र, पुनरीक्षित कराये जाने वाले आदेश के दिनांक से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा।"

धारा 30 का संशोधन

22—उक्त संहिता की धारा 30 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :—

"(2) मिनजुमला संख्या का विहित रीति से भौतिक विभाजन किया जायेगा और मानचित्र तथा खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को तदनुसार संशोधित किया जायेगा।"

धारा 31 का संशोधन

23—(क) उक्त संहिता की धारा 31 को, उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा।

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द "अपने—अपने हितों का प्रकार" के स्थान पर शब्द "उनके हिस्सों सहित हितों का प्रकार" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "दायित्वों या शर्तें" के स्थान पर शब्द "दायित्व या शर्तें" रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (घ) में, शब्द "राज्य सरकार, ग्राम सभा" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे;

(ग) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(2) सहखातेदारों के अंश विहित रीति से निर्धारित किये जायेंगे।"

धारा 32 का संशोधन

24–उक्त संहिता की धारा 32 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "समस्त संव्यवहार" के स्थान पर शब्द "समस्त संव्यवहारों" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के अन्त में, विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ":" रख दिया जायेगा और उसके पश्चात निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि नक्शा में संशोधन का आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जायेगा।"

धारा 33 का संशोधन

25–उक्त संहिता की धारा 33 में–

(क) उपधारा (2) में, खण्ड (ग) को, उपधारा (3) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (3), में शब्द "खण्ड (क) या (ख) के अधीन" के स्थान पर शब्द "उपधारा (2) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन" रख दिये जायेंगे;

(ख) विद्यमान उपधारा (3) को उपधारा (4) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा।

धारा 34 का संशोधन

26–उक्त संहिता की धारा 34 में–

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द "मामले" के स्थान पर शब्द "मामलों" रख दिया जायेगा;

(ख) स्पष्टीकरण के पहले का वर्तमान प्रावधान, उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा और स्पष्टीकरण में शब्द "या जोत या उसके भाग का विनिमय" को निकाल दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में, शब्द "परिवार" के स्थान पर शब्द "पारिवारिक" रख दिया जायेगा;

(घ) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) राज्य सरकार इस अध्याय के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख में अन्तरण के आधार पर प्रविष्टि कराने के लिये शुल्क का मानक नियत कर सकती है। ऐसी किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में देय शुल्क का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसके पक्ष में प्रविष्टि की जानी है।"

धारा 35 का संशोधन

27–उक्त संहिता की धारा 35 में–

(क) उपधारा (1) में,

(एक) खण्ड (ख) का लोप कर दिया जायेगा;

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ग) यदि मामला विवादित है तो वह विवाद का निपटारा करेगा और अधिकार अभिलेख (खतौनी) को तदनुसार, यदि आवश्यक हो, संशोधित करने का निदेश देगा।"

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) उपधारा (1) के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उप जिलाधिकारी को अपील कर सकता है।"

धारा 36 का संशोधन

28–उक्त संहिता की धारा 36 की उपधारा (1) में, शब्द "रजिस्ट्रीकृत कराया गया है या कराया गया समझा गया है" के स्थान पर शब्द "रजिस्ट्रीकृत कराया गया है" रख दिये जायेंगे।

धारा 38 का संशोधन

29–उक्त संहिता की धारा 38 में–

(क) उपधारा (1) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पहले, उपधारा (2), उपधारा (3) एवं उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी और अन्तः स्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(2) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर या अन्यथा उसकी जानकारी में प्राप्त किसी गलती या लोप पर, तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और नक्शा में संशोधन सम्बन्धी मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को तथा अन्य संशोधन सम्बन्धी मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ उप जिलाधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।

(3) कलेक्टर या उप जिलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अपने समक्ष दाखिल या तहसीलदार के समक्ष दाखिल किसी आपत्ति एवं प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् मामले का निर्णय किया जायेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर या उप जिलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आयुक्त को ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है और आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

(5) नक्शा, खसरा या अधिकार अभिलेख (खतौनी) की कोई फर्जी या छलसाधित प्रविष्टि को इस धारा के अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है।

(6) इस संहिता के अन्य प्रावधानों में किसी बात के होते हुये भी, राजस्व निरीक्षक अधिकार अभिलेख अथवा खसरा की किसी अविवादित त्रुटि या लोप को ऐसी रीति से और ऐसी जांच, जो विहित की जाय, करने के बाद ठीक कर सकेगा।"

(ख) स्पष्टीकरण में, शब्द "लोप को सुधार" के स्थान पर शब्द "लोप का सुधार" रख दिये जायेंगे।

धारा 39 का संशोधन

30–उक्त संहिता की धारा 39 में, शब्द "धारा 35 की उपधारा (2) या धारा 38 की उपधारा (4)" के स्थान पर शब्द "धारा 38 की उपधारा (4)" रख दिये जायेंगे।

धारा 40 का संशोधन

31–उक्त संहिता की धारा 40 में शब्द "ग्राम के नक्शे, खसरा और अधिकार अभिलेख (खतौनी) में" के स्थान पर शब्द "अधिकार अभिलेख (खतौनी) में" दिये जायेंगे।

धारा 41 का संशोधन

32–उक्त संहिता की धारा 41 में–

(क) उपधारा (3) में, शब्द "सह–खातेदारों को दी जाय।" के स्थान पर शब्द "सह–खातेदारों को दी जाय जो इसके लिये आवेदन करें।" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(4) खातेदार किसान बही के लिये ऐसा मूल्य ऐसी रीति से भुगतान करने का उत्तरदायी होगा, जैसी विहित की जाय।"

(ग) उपधारा (6) में, शब्द "ऐसे प्रयोजनों के लिये खातेदार द्वारा ऐसी संस्था को केवल मूल किसान बही न कि अनुलिपि, प्रस्तुत की जायेगी।" का लोप कर दिया जायेगा;

(घ) उपधारा (7) में, शब्द "किसी अन्य रीति चाहे जो भी हो, अन्तरित किया है" के स्थान पर शब्द "किसी अन्य रीति चाहे जो भी हो से, अन्तरित किया है" रख दिये जायेंगे।

धारा 43 का संशोधन

33–उक्त संहिता की धारा 43 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "अभिलेख क्रियाओं या सर्वेक्षण क्रियाओं" के स्थान पर शब्द "अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, आदेश दे सकती है कि आबादी या ग्राम आबादी की सर्वेक्षण क्रिया या अभिलेख क्रिया या दोनों विहित रीति से की जायेगी।"

(ग) उपधारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा को अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(3) राज्य सरकार अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना को संशोधित या रद्द कर सकती है या उस क्रिया को समाप्त घोषित कर सकती है।"

धारा 44 का संशोधन

34–उक्त संहिता की धारा 44 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "अभिलेख क्रियाओं या सर्वेक्षण या दोनों का प्रभारी होगा और उतने सहायक अभिलेख अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है जितनी वह उचित समझें।" के स्थान पर शब्द "अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया या दोनों का प्रभारी होगा और उतने सहायक अभिलेख अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है, जितने वह उचित समझे।" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द एवं अंक "धारा 43 की उपधारा (1)" के स्थान पर शब्द एवं अंक "धारा 43 की उपधारा (1) या उपधारा (2)" रख दिये जायेंगे।

धारा 45 का संशोधन

35–उक्त संहिता की धारा 45 में, पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द "अभिलेख सर्वेक्षण क्रिया" के स्थान पर शब्द "अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया" रख दिये जायेंगे।

धारा 46 का संशोधन

36–उक्त संहिता की धारा 46 में, शब्द "अधिकार अभिलेख (खतौनी)" के स्थान पर शब्द "अधिकार अभिलेख (खतौनी) या आबादी या ग्राम आबादी के अभिलेख" रख दिये जायेंगे।

धारा 47 का संशोधन

37–उक्त संहिता की धारा 47 में, शब्द "क्षेत्र पंजी (खसरा) अधिकार अभिलेख (खतौनी)" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति क्षेत्र पंजी (खसरा) और अधिकार अभिलेख (खतौनी) या आबादी अथवा ग्राम आबादी का अभिलेख," रख दिये जायेंगे।

धारा 48 का संशोधन

38–उक्त संहिता की धारा 48 में, शब्द "सीमा चिन्ह" जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर शब्द "सीमा चिन्हों" और शब्द "गांवों और क्षेत्रों की रक्षा करने के लिये" के स्थान पर शब्द "गावों और क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित करने के लिये" रख दिये जायेंगे।

धारा 49 का संशोधन

39–उक्त संहिता की धारा 49 में–

(एक) उपधारा (2) में, शब्द "गल्तियों" के स्थान पर शब्द "गलतियों" और शब्द "भूलों और विवाद का उल्लेख" के स्थान पर शब्द "भूलों और विवादों का उल्लेख" रख दिये जायेंगे;

(दो) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा को रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(5) नायब तहसीलदार–

(क) जहां उपधारा (3) और उपधारा (4) के अनुसार आपत्तियां प्रस्तुत की जायं, वहाँ सम्बद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्; और

(ख) किसी अन्य स्थिति में, ऐसी जाँच करने के पश्चात, जिसे वह आवश्यक समझे;

भूल का सुधार करेगा और अपने समक्ष उपस्थित होने वाले, पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवाद का निपटारा करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आदेश देगा।"

(तीन) उपधारा (8) में शब्द "आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति विहित रीति से अभिलेख अधिकारी को अपील कर सकता है" के स्थान पर शब्द "आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, विहित रीति से अभिलेख अधिकारी को अपील कर सकता है" रख दिये जायेंगे।

धारा 52 का संशोधन

40–उक्त संहिता की धारा 52 में–

(क) धारा 52 के विद्यमान प्रावधान को उपधारा (1) के रूप में, पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में शब्द "होगें" के स्थान पर शब्द "होंगे" रख दिया जायेगा;

(ग) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

"(2) इस अध्याय के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित आबादी या ग्राम आबादी के अभिलेख क्रिया और सर्वेक्षण क्रिया पर लागू होंगे।"

धारा 53 का संशोधन

41–उक्त संहिता की धारा 53 में, शब्द "उपधारित की जायेगी" के स्थान पर शब्द "उपधारित की जायेंगी" रख दिये जायेंगे।

धारा 54 का संशोधन

42–उक्त संहिता की धारा 54 में, शब्द और विराम चिन्ह "जल और समस्त, भूमि" के स्थान पर शब्द "जल और समस्त भूमि" और परन्तुक में, शब्द "बात से किसी ऐसी सम्पत्ति पर निर्भर रहने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से तत्काल पूर्व प्रभावित नहीं समझे जायेंगे।" के स्थान पर शब्द "किसी बात से, किसी ऐसी सम्पत्ति पर इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले, विद्यमान किसी व्यक्ति के अधिकार, प्रभावित नहीं समझे जायेंगे।" रख दिये जायेंगे।

धारा 55 का संशोधन

43–उक्त संहिता की धारा 55 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "(विनियमन और विकास)" के स्थान पर शब्द "(विकास और विनियमन)" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा को रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(2) किसी खान या खनिज की कार्यप्रणाली या उसके उत्खनन से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए, और इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक को क्रियाशील, इस संहिता द्वारा निरसित किए गए किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा पट्टाधृत या पट्टाधृत समझे गये भवन या भूमि के प्रत्येक पट्टेदार के पास कब्जा, उपर्युक्त पट्टा के निबन्धन और शर्तों के अधीन रहते हुये, ऐसे किराये के संदाय पर, जैसा कि ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रवृत्त था, बना रहेगा।"

धारा 56 का संशोधन

44–उक्त संहिता की धारा 56 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित समझा जाएगा" के स्थान पर शब्द "ऐसे व्यक्ति का समझा जाएगा" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "ऐसे व्यक्तियों से संयुक्त रूप से सम्बन्धित समझा जाएगा जो ऐसी सीमा के प्रत्येक ओर जोतों को धारण करते हों" के स्थान पर शब्द "ऐसे व्यक्तियों का संयुक्त रूप से समझा जाएगा जो ऐसी सीमा के किसी ओर जोतों को धारण करते हो" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (4) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "वृक्षों झाड़ जंगल, जंगल या अन्य प्राकृतिक उत्पाद, जहाँ कहीं उगे हों या आरोपित हों," के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "वृक्षों, झाड़, जंगल, या अन्य प्राकृतिक उत्पाद, जहाँ कहीं उगे हों या रोपित हों," रख दिये जायेंगे।

धारा 57 का संशोधन

45–उक्त संहिता की धारा 57 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "यथास्थिति किसी तहसीलदार या किसी सहायक वन संरक्षक या किसी सहायक अभियन्ता की श्रेणी" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति तहसीलदार या सहायक वन संरक्षक या सहायक अभियन्ता की श्रेणी" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) व उपधारा (2) में, शब्द "नहर के प्रत्येक ओर" के स्थान पर शब्द "नहर के किसी ओर" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (2) में, शब्द "कोई व्यक्ति या कलेक्टर" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "कोई व्यक्ति कलेक्टर" रख दिये जायेंगे।

धारा 58 का संशोधन

46–उक्त संहिता की धारा 58 में, उपधारा (2) में, अंक एवं शब्द "दो माह" के स्थान पर शब्द "तीस दिन" रख दिये जायेंगे।

धारा 59 का संशोधन

47–उक्त संहिता की धारा 59 में–

(क) उपधारा (2) में,–

(एक) खण्ड (दो) में, शब्द "सेक्टर मार्गों" के स्थान पर शब्द "सेक्टर मार्ग" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (छः) में, शब्द "निरवात निधि" के स्थान पर शब्द "निखात निधि" और विराम चिन्ह ";" के स्थान पर विराम चिन्ह "।" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, खण्ड (क) और खण्ड (ख) में, विराम चिन्ह "," के स्थान पर विराम चिन्ह ";" रख दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (4) में,–

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द "अन्य चीज स्थानीय प्राधिकरण को अन्तरित कर" के स्थान पर शब्द "अन्य चीज को किसी अन्य ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को अन्तरित कर" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ग) में, शब्द "ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर जैसी कि विहित की जाय वापस ले सकती है" के स्थान पर शब्द "ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर जैसी कि विहित की जाएं वापस ले सकती है" रख दिये जायेंगे।

धारा 61 का संशोधन

48–उक्त संहिता की धारा 61 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए पद 'तालाब' में तालाब, पोखर, तड़ाग और जल से आच्छादित अन्य भूमि भी है।"

धारा 63 का संशोधन

49–उक्त संहिता की धारा 63 में–

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द व विराम चिन्ह "भूमि;" के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह "भूमि।" रख दिया जायेगा;

(ख) उपधारा (2) में,–

(एक) खण्ड (क) में, शब्द एवं अंक "उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई भूमि;" के स्थान पर शब्द एवं अंक "उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई रिक्त भूमि;" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ग) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) और भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन आबादी के लिये अर्जित कोई भूमि।"

धारा 64 का संशोधन

50–उक्त संहिता की धारा 64 में–

(क) उपधारा (3) में, शब्द "ऐसी निबन्धन और शर्तों पर धारित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।" के स्थान पर शब्द "ऐसे निबन्धन और शर्तों पर धारित किया जायगा जो विहित की जायें।" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) के अन्त में, विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ";" रख दिया जायेगा और उसके पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि यदि आवंटी विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है, तो वह इस प्रकार आवंटित भूमि में बराबर हिस्से की सह-आवंटी होगी।"

धारा 65 का संशोधन

51–उक्त संहिता की धारा 65 में–

(क) उपधारा (2) में, शब्द "खाली कराये जाने के पश्चात्" के स्थान पर शब्द "बेदखल कराये जाने के पश्चात्" और परन्तुक में, शब्द "दोषी को" के स्थान पर शब्द "अभियुक्त को" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में,–

(एक) शब्द एवं अंक "जहां उक्त उपधारा (2)" के स्थान पर शब्द एवं अंक "जहां उपधारा (2)" और शब्द "शपथ-पत्र या अन्यथा द्वारा" के स्थान पर शब्द "शपथ-पत्र द्वारा या अन्यथा" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (क) और खण्ड (ख) में, शब्द "दोषी व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "अभियुक्त" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (4) व उपधारा (5) में शब्द "दोषी व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "अभियुक्त" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (7) में, शब्द "परगना मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "उप जिला मजिस्ट्रेट" रख दिये जायेंगे।

धारा 66 का संशोधन

52–उक्त संहिता की धारा 66की उपधारा (1) में, शब्द "कलेक्टर स्वप्रेरणा से और धारा 64 के अधीन किये गये भूमि के किसी आवंटन द्वारा क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आवंटन की विहित रीति से जांच कर सकता है" के स्थान शब्द "कलेक्टर धारा 64 के अधीन किये गये भूमि के किसी आवंटन की विहित रीति से जांच कर सकता है और ऐसे आवंटन द्वारा क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आवंटन की विहित रीति से जांच करेगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 67 का संशोधन

53 –उक्त संहिता की धारा 67 में–

(क) शब्द "उप जिलाधिकारी" जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "सहायक कलेक्टर" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"(2) जहां उपधारा (1) के अधीन या अन्यथा प्राप्त सूचना से सहायक कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गयी है या उसका दुरूपयोग किया गया है या किसी व्यक्ति का इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भूमि पर अधिभोग हो वहां वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओं नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उससे क्षति, दुरूपयोग या गलत अधिभोग के लिये प्रतिकर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, की वसूली की जाय और क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाय।"

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "बकाये के रूप में की जा सकती है।" के स्थान पर शब्द "बकाये के रूप में की जाय।" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (5) में, शब्द "अपील करेगा" के स्थान पर शब्द "अपील कर सकता है" रख दिये जायेंगे;

(ङ) उपधारा (6) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "होगा, और" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "होगा।" रख दिया जायेगा।

नई धारा 67–ए का अन्तः स्थापन

54–उक्त संहिता की धारा 67 के पश्चात, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:–

"67–क–कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बन्दोबस्त–(1) यदि धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने इस संहिता की धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि पर, जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आरक्षित न हो, कोई गृह निर्माण किया हो और ऐसा गृह 29 नवम्बर, 2012 को विद्यमान हो तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तो पर, जो विहित किये जायें, धृत किया जायेगा।

(2) जहां धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा (जो सरकारी पट्टेदार न हो) धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो, और ऐसा गृह 29 नवम्बर, 2000, को विद्यमान हो तो ऐसे गृह के स्थल का, इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, बन्दोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो विहित किये जायें, ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण–उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ, किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर 29 नवम्बर, 2000 को विद्यमान किसी गृह को, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, उसके अध्यासी द्वारा, और यदि अध्यासी एक ही परिवार के सदस्य हों तो उस परिवार के मुखिया द्वारा निर्मित किया गया मान लिया जायेगा।"

धारा 69 का संशोधन

55–उक्त संहिता की धारा 69 में–

(क) उपधारा (3) के खण्ड (क) में शब्द "नियुक्ति" के स्थान पर शब्द "नियुक्त" और खण्ड (ग) में शब्द "समान उपयोगिता" के स्थान पर शब्द "सामान्य उपयोगिता" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "इसके प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व समेकित ग्राम निधियों" के स्थान पर शब्द "इसके प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व विद्यमान समेकित गांव निधियों" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (4) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

"(5) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि प्रत्येक तहसील के लिए एक समेकित गांव निधि भी इस प्रयोजन के लिए और विहित रीति से स्थापित की जायेगी।"

धारा 70 का संशोधन

56–उक्त संहिता की धारा 70 की उपधारा (2) में, शब्द एवं अंक "वे तत्काल आदेशों को कार्यान्वित करें और उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये निदेशों का अनुपालन करें" के स्थान पर शब्द एवं अंक "वे तत्काल उपधारा (1) अधीन जारी किये गये आदेशों को कार्यान्वित करें और निदेशों का अनुपालन करें" रख दिये जायेंगे।

धारा 71 का संशोधन

57–उक्त संहिता की धारा 71 में–

(क) खण्ड (क) में शब्द "क्षमा याचना के बिना" शब्द "प्रतिहेतु के बिना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) में, विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ":" रख दिया जायेगा और उसके पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि इस धारा के अन्तर्गत किसी निदेश को जारी करने के पहले भूमि प्रबन्धक समिति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।"

(ग) धारा 71 के अन्त में शब्द "जैसा कि विहित किया जाय" के स्थान पर शब्द "जिन्हें कि विनिर्दिष्ट किया जाय।" रख दिये जायेंगे।

धारा 72 का संशोधन

58–उक्त संहिता की धारा 72 में–

(क) उपधारा (1) में,–

"(एक) शब्द "निर्बधन" के स्थान पर शब्द "निबन्धन" रख दिया जायेगा;

(दो) खण्ड (क) में, शब्द "एक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व)" के स्थान पर शब्द "एक या एक से अधिक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व)" रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (ख) में , शब्द "एक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व)" के स्थान पर शब्द "एक या एक से अधिक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व)" रख दिये जायेंगे;

(चार) खण्ड (ग) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "मण्डलीय मुख्यालय के लिये एक मण्डलीय शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) और" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "मण्डलीय मुख्यालय के लिये एक या एक से अधिक मण्डलीय शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) और" रख दिये जायेंगे;

(पांच) खण्ड (घ) में, शब्द "जिला मुख्यालय के लिये एक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व)" के स्थान पर शब्द "जिला मुख्यालय के लिये एक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) और एक या एक से अधिक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व)" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "निर्बन्धन और शर्तों" के स्थान पर शब्द "निबन्धन और शर्तों" और शब्द "जैसा" के स्थान पर शब्द "जैसी" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (4) में, शब्द "ग्राम सभा, पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति" के स्थान पर शब्द "ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (5) में, शब्द "विधि व्यवसायी द्वारा" के स्थान पर शब्द "किसी विधि व्यवसायी द्वारा दाखिल" रख दिये जायेंगे;

(ङ) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

"(7) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस संहिता या इसके द्वारा निरसित अधिनियमों के अधीन ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा या उनके विरूद्ध दाखिल प्रकरणों की निगरानी और नियुक्त नामिका अधिवक्ताओं के निष्पादन आधारित वार्षिक मुल्यांकन तथा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किसी विधि अधिकारी की नियुक्ति के लिए भी, निदेश जारी कर सकती है।"

धारा 76 का संशोधन

59—उक्त संहिता की धारा 76 में—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ग) एवं खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

"(ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उक्त दिनांक को या उसके पश्चात उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अधीन कोई भूमि आवंटित हो;

(घ) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उक्त दिनांक को या उसके पश्चात उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन कोई भूमि आवंटित हो;

(दो) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:—

"(घघ) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के लागू होने के दिनांक से ठीक पहले, धारा 77 के अन्तर्गत न आने वाली भूमि का कब्जेदार असामी था और 1407 फसली के वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) की श्रेणी–3 में इस रूप में दर्ज था:

परन्तु यह कि जहां किसी व्यक्ति की कब्जे की भूमि और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत कोई अन्य भूमि, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, वहां ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रथम उल्लिखित भूमि के उतने क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा धृत ऐसी अन्य भूमि को मिलाकर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत होगा और उक्त क्षेत्र उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार विहित रीति से सीमांकित किया जायेगा;"

(ख) उपधारा (2) में शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर शब्द "पाँच वर्ष" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(3) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रारम्भ पर असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, अंसंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा।"

(घ) उपधारा (4) में,—

(एक) शब्द व अंक "उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन" के स्थान पर शब्द व अंक "उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन" रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द एवं अंक "जोत आरोपण अधिनियम, 1960" के स्थान पर शब्द एवं अंक "जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960" रख दिये जायेंगे।

धारा 77 का संशोधन

60—उक्त संहिता की धारा 77 में—

(क) विद्यमान प्रावधान को उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित कर दिया जायेगा;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) में, खण्ड (च) और खण्ड (छ) में शब्द "किसी अन्य प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी" रख दिये जायेंगे;

(ग) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के परन्तुक का लोप कर दिया जायेगा और स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराओं को अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात :–

"(2) इस संहिता के अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, जहां, इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई भूमि अथवा उसका कोई भाग लोक प्रयोजन के लिये क्रय, अर्जित या पुनर्गृहीत किये गये भू–खण्ड या भू–खण्डों से घिरी है अथवा उसके या उनके बीच में है, वहां राज्य सरकार, ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी को परिवर्तित कर सकेगी, और यदि ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है, तो उपरोक्त लोक उपयोगिता की भूमि के बराबर या उससे अधिक भूमि उसी प्रयोजन के लिये उसी ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, में सुरक्षित कर दी जायेगी या राज्य सरकार इस संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत, उसके विनिमय की अनुज्ञा, विहित रीति से दे सकेगी :

परन्तु यह कि किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में ही ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर परिवर्तित की जा सकेगी, जो कि विहित की जाये। लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित करने का कारण अभिलिखित किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार, भूमि की श्रेणी परिवर्तित करते समय या संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत उसके विनिमय की अनुज्ञा देते समय आरक्षित किये जाने के लिये या विनिमय किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि की स्थिति, लोक उपयोगिता और उपयुक्तता पर विचार करेगी।

(4) इस धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है,तो कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन का आदेश देगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा की उपधारा (2) में पद 'लोक प्रयोजन' का तात्पर्य, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, भूमि अर्जन, पुनर्वासान और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (यक) के अन्तर्गत परिभाषित 'लोक प्रयोजन' से है।"

धारा 78 का संशोधन

61–उक्त संहिता की धारा 78 में–

(क) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(क) इस संहिता की धारा 76 की उपधारा (1) के खण्ड (घघ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व असामी था;"

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "असामी के रूप में कोई भूमि स्वीकार की गयी हो" के स्थान पर शब्द "असामी स्वीकार किया गया हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 80 का संशोधन

62–उक्त संहिता की धारा 80 में–

(क) शीर्षक एवं उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"80–औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनो के लिये जोत का उपयोग–(1) जहां संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत या उसके भाग का, औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग करता है, वहां उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर, यथाविहित जांच करने के पश्चात्, या तो यह घोषणा कर सकता है कि वह भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जा रही है या प्रार्थना–पत्र को नामंजूर कर सकता है। उप जिलाधिकारी ऐसी घोषणा या नामंजूरी के कारणों का उल्लेख लिखित रूप में करेगा और प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से पैंतालीस कार्य दिवसों के अन्दर अपने विनिश्चय की सूचना आवेदक को देगाः

परन्तु यह कि इस धारा के अन्तर्गत ऐसी कोई घोषणा मात्र इस आधार पर नहीं की जायेगी कि जोत या उसका भाग चाहरदीवारी से घिरा है या मौके पर "परती" है :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अन्तर्गत घोषणा के लिये, भूमिधरी भूमि में अविभाजित हित रखने वाले किसी सह–भूमिधर द्वारा दिया गया प्रार्थना–पत्र तब तक पोषणीय नहीं होगा, जब तक कि ऐसी भूमिधरी भूमि के सभी सह–भूमिधरों द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है या उसमें उनके हितों का विभाजन विधि के उपबन्धों के अनुसार नहीं कर दिया जाता है।"

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "सार्वजनिक उत्पाद" के स्थान पर शब्द "सार्वजनिक न्यूसेन्स" रख दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(5) राज्य सरकार इस धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिये शुल्क का मानक नियत कर सकती है और भिन्न–भिन्न प्रयोजनों के लिये भिन्न–भिन्न शुल्क नियत किया जा सकता है :

परन्तु यह कि यदि आवेदक जोत या उसके किसी भाग को अपने निजी आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग में लाता है तो इस धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिये कोई शुल्क अधिरोपित नहीं किया जायेगा।"

धारा 81 का संशोधन

63–उक्त संहिता की धारा 81 में–

(क) शब्द एवं विराम चिन्ह "परिणाम सुनिश्चित किये जायेंगे।" के स्थान पर शब्द और विराम चिन्ह "परिणाम होंगे :–" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (क) के अन्त में, विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ";" रख दिया जायेगा;

(ग) खण्ड (ख) में, शब्द "अध्याय नौ" के स्थान पर शब्द "अध्याय ग्यारह" एवं शब्द "कृषि वर्ग" के स्थान पर शब्द "कृषि वर्ष" तथा शब्द "दिंनाक" के स्थान पर शब्द "दिनांक" रख दिये जायेंगे।

धारा 82 का संशोधन

64–उक्त संहिता की धारा 82 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "कृषि प्रयोजन से सम्बद्ध किसी अन्य प्रयोजन" के स्थान पर शब्द "कृषि से सम्बन्धित किसी प्रयोजन" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में,–

(एक) खण्ड (ख) के परन्तुक में, शब्द "पुनर्निधारित" के स्थान पर शब्द "पुनर्निर्धारित" रख दिया जायेगा;

(दो) खण्ड (ग) में, शब्द "इस संविदा के उपबन्धों" के स्थान पर शब्द "इस संहिता के उपबन्धों" रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (ग) के परन्तुक में, शब्द "प्रतिभूति देय" के स्थान पर शब्द "देय एवं प्रतिभूत" रख दिये जायेंगे।

धारा 83 का संशोधन

65—उक्त संहिता की धारा 83 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"83—धारा 80 के अधीन प्रत्येक घोषणा को या धारा 82 के अधीन रद्दकरण को अधिकार अभिलेखों में यथाविहित रीति से अभिलिखित किया जायेगा और धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी अन्तरण या उत्तराधिकार के आधार पर विहित रीति से नामान्तरण आदेश पारित किया जायेगा।"

धारा 84 का संशोधन

66—उक्त संहिता की धारा 84 के परन्तुक में, शब्द "टौगिया बागान" के स्थान पर शब्द "टौंगिया बागान" रख दिये जायेंगे।

धारा 85 का संशोधन

67—उक्त संहिता की धारा 85 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "वाद के आधार पर" के स्थान पर शब्द "वाद पर" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "इस संहिता किसी" के स्थान पर शब्द "इस संहिता के किसी" और शब्द "वाद के आधार पर" के स्थान पर शब्द "वाद पर" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में शब्द "कार्य के लागत" के स्थान पर शब्द "कार्य की लागत" और शब्द "क्षतियों " के स्थान पर शब्द "क्षति" रख दिये जायेंगे।

धारा 89 का संशोधन

68—उक्त संहिता की धारा 89 में—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थातः—

"उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को किसी संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर से क्रय या दान के द्वारा किसी जोत या उसके भाग को अर्जित करने का अधिकार न होगा, जहां ऐसे अर्जन के परिणामस्वरूप अंतरिती भूमि का हकदार बन जाता है जोकि ऐसे अंतरिती द्वारा धृत भूमि, यदि कोई हो, को मिलाकर और जहां पर ऐसा अंतरिती प्रकृत व्यक्ति है, उसके परिवार द्वारा धृत भूमि, यदि कोई हो, को भी मिलाकर उत्तर प्रदेश में 5.0586 हेक्टेयर से अधिक हो जाती है।"

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "अन्य निगम, शिक्षण संस्था" के स्थान पर शब्द "अन्य निगम या शिक्षण संस्था" रख दिये जायेंगे।

धारा 90 का संशोधन

69—उक्त संहिता की धारा 90 में शब्द "रीति में" के स्थान पर शब्द "रीति से" रख दिये जायेंगे।

धारा 92 का संशोधन

70—उक्त संहिता की धारा 92 में—

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द "असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर द्वारा भूमि को बंधक रखना या भूमि को दान देना" के स्थान पर शब्द "अंसक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर द्वारा भूमि को बंधक रखना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (क) में, शब्द "ऐसी सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन एवं नियंत्रित" के स्थान पर शब्द "ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन एवं नियंत्रणाधीन" रख दिये जायेंगे।

धारा 94 का संशोधन

71–उक्त संहिता की धारा 94 के खण्ड (ख) में, शब्द "कृषि में प्रशिक्षण देने वाले" के स्थान पर शब्द "कृषि में प्रशिक्षण देने वाली" रख दिये जायेंगे।

धारा 95 का संशोधन

72–उक्त संहिता की धारा 95 में, उपधारा (1) में–

(क) शब्द "किसी ग्राम सभा से प्राप्त भूमि धारण करने वाला कोई भूमिधर या असामी" के स्थान पर शब्द "कोई भूमिधर या ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि धारण करने वाला कोई असामी" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ङ) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "या अपने पति के सम्बन्धियों की क्रूरता के कारण पृथक् से रह रही हो या उसका पति वर्ग (क), (ख) वर्ग (छ) या वर्ग (ज) का हो;" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "या अपने पति या अपने पति के सम्बन्धियों की क्रूरता के कारण पृथक् रह रही हो या उसका पति वर्ग (क), वर्ग (ख), वर्ग (छ) या वर्ग (ज) का हो;" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (छ) में, शब्द "पच्चीस वर्ष की आयु से नीचे का ऐसा व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "पैंतीस वर्ष की आयु से नीचे का ऐसा व्यक्ति" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ज) भारत सरकार की थल सेना, नौसेना या वायु सेना सम्बन्धी सेवा में सेवारत कोई व्यक्ति या उसके साथ रह रही उसकी पत्नी या उसके साथ रह रहा उसका पति;"

(ङ) खण्ड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

(झ) कोई अन्य व्यक्ति जो विहित कारणों से अपनी जोत में खेती करने में असमर्थ है;"

धारा 96 का संशोधन

73–उक्त संहिता की धारा 96 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "निःशक्ताओं" के स्थान पर शब्द "निःशक्तताओं" रख दिया जायेगा;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "ऐसा अंशधारक" के स्थान पर शब्द "ऐसा असामी या सह-अंशधारक" रख दिये जायेंगे।

धारा 97 का संशोधन

74–उक्त संहिता की धारा 97 में,–

(क) शब्द "पट्टा या के रजिस्ट्रीकृत" के स्थान पर शब्द "पट्टा, रजिस्ट्रीकृत" रख दिये जायेंगे;

(ख) स्पष्टीकरण में, शब्द "अनुपालन नहीं करता है इस अध्याय के उपबन्धों के उल्लघंन में इस कारण से" के स्थान पर शब्द "अनुपालन नहीं करता है इस कारण से इस अध्याय के उपबन्धों के उल्लंघन में" रख दिये जायेंगे।

धारा 98 का संशोधन

75–उक्त संहिता की धारा 98 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"98–(1) इस अध्याय के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को, कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, कोई भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे द्वारा अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा:

परन्तु यह कि कलेक्टर द्वारा ऐसी अनुज्ञा तभी दी जा सकेगी जब–

(क) अनुसूचित जाति के भूमिधर के पास धारा 108 की उपधारा (2) के खण्ड (क) अथवा धारा 110 के खण्ड (क), जैसी भी स्थिति हो, में विनिर्दिष्ट कोई जीवित उत्तराधिकारी न हो; या

(ख) अनुसूचित जाति का भूमिधर जिस जिले में अन्तरण के लिए प्रस्तावित भूमि स्थित है, उससे भिन्न किसी जिले अथवा अन्य राज्य में किसी नौकरी अथवा किसी व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति या कारबार के निमित्त बस गया है या सामान्य तौर पर रह रहा है; या

(ग) कलेक्टर का यह समाधान हो गया है कि विहित कारणों से भूमि के अन्तरण की अनुज्ञा देना आवश्यक है।

(2) इस धारा के अधीन अनुमति प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कलेक्टर द्वारा ऐसी जांच की जा सकती है जैसी कि विहित की जाय।"

धारा 99 का संशोधन

76–उक्त संहिता की धारा 99 में शब्द एवं विराम चिन्ह "विक्रय, दान या पट्टेदारी" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "विक्रय, दान, बन्धक या पट्टा" रख दिये जायेंगे।

धारा 101 का संशोधन

77–उक्त संहिता की धारा 101 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"101–(1) संहिता की धारा 77 में किसी बात के होते हुये भी, कोई भूमिधर उप जिलाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति से अपनी भूमि का विनिमय:–

(क) अन्य भूमिधर द्वारा धारित भूमि से, या

(ख) धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गयी या न्यस्त समझी गयी भूमि से कर सकता है।

(2) उप जिलाधिकारी उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित मामलों में अनुज्ञा से इन्कार कर देगा, अर्थात्:–

(क) यदि ऐसा विनिमय जोतों की चकबन्दी या कृषि कार्य में सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नहीं है; या

(ख) यदि विनिमय में दी गयी और प्राप्त भूमि का विहित रीति से अवधारित मूल्याकनों के मध्य का अन्तर निम्नतर मूल्यांकन के दस प्रतिशत से अधिक हो जाता है; या

(ग) यदि विनिमय में दी गयी और प्राप्त भूमि के क्षेत्रफलों के मध्य का अन्तर निम्नतर क्षेत्रफल के पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो जाता है; या

(घ) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि के मामले में यदि वह नियोजित उपयोग के लिए आरक्षित है या ऐसी भूमि है जिसमें भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं; या

(ङ) यदि भूमि एक ही तहसील के एक ही गांव या उससे लगे हुए गांव में स्थित न हो:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, इस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में उल्लिखित भूमि से विनिमय की अनुज्ञा विहित शर्तों पर और विहित रीति से दे सकती है।

(3) इस धारा में दी गयी कोई बात किसी व्यक्ति को किसी जोत में उसके अविभाजित हित को विनिमय करने हेतु सशक्त करती हुयी नहीं समझी जाएगी सिवाय वहां जहां ऐसा विनिमय दो या अधिक सह हिस्सेदारों के बीच हो।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908), में दी गयी कोई बात इस धारा के अनुसरण में किसी विनिमय पर लागू नहीं होगी।

धारा 102 का संशोधन

78–उक्त संहिता की धारा 102 में, खण्ड (क) में, शब्द "पक्षकारो" के स्थान पर शब्द "पक्षकारों" और खण्ड (ख) में शब्द "अधिकारों के अभिलेखों (खतौनी)", के स्थान पर शब्द "अधिकार अभिलेख (खतौनी)" रख दिये जायेंगे।

धारा 103 का संशोधन

79–उक्त संहिता की धारा 103 में,–

(क) शब्द "जहां तक धारा" के स्थान पर शब्द "जहां धारा" और शब्द "हो तो वहां" के स्थान पर शब्द "हो वहां" रख दिये जायेंगे।

(ख) खण्ड (क) में और खण्ड (ख) में, शब्द एवं अंक "5.04 हेक्टेयर" के स्थान पर शब्द एवं अंक "5.0586 हेक्टेयर" रख दिया जायेगा।

धारा 104 का संशोधन

80–उक्त संहिता की धारा 104 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"104–धारा 103 में यथा उपबंधित के सिवाय किसी भूमिधर या किसी असामी द्वारा, किसी जोत या उसके भाग में अपने हित का किया गया प्रत्येक अन्तरण, जो इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में हो, शून्य होगा।"

धारा 105 का संशोधन

81—उक्त संहिता की धारा 105 में—

(क) खण्ड (1) में,—

(एक) शब्द "निम्नलिखित परिणामों से यह सुनिश्चित किया जायेगा" के स्थान पर शब्द "निम्नलिखित परिणाम होंगे" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

"(क) ऐसे अन्तरण की विषय-वस्तु सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेगी;"

(तीन) खण्ड (ख) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "कुंआ और अन्य सुधारों को, सभी भार से मुक्त, राज्य सरकार में निहित समझा जाएगा" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "कुएं और अन्य सुधार सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे" रख दिये जायेंगे;

(चार) खण्ड (घ) में, शब्द "अंतरिती के हित के निर्वापन" के स्थान पर शब्द "अंतरक के हित की समाप्ति" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में, खण्ड (घ) के अन्त में, विराम चिन्ह";" के स्थान पर विराम चिन्ह"।" रख दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (2) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "ऐसी भूमि और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधिसम्मत होगा और वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उस पर अध्यासन हो, बेदखल होने वाली ऐसी भूमि या सम्पत्ति के कब्जे का निदेश दे सकता है" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "कलेक्टर के लिये ऐसी भूमि और अन्य सम्पत्ति का कब्जा लेना और ऐसे व्यक्ति को जिसका ऐसी भूमि या सम्पत्ति पर अध्यासन हो, को उससे बेदखल करने का निदेश देना विधिसम्मत होगा" रख दिये जायेंगे।

संहिता की धारा 106 के पश्चात और धारा 107 के पहले शीर्षक का बढ़ाया जाना

82—उक्त संहिता की धारा 106 के पश्चात और धारा 107 के पहले शीर्षक "न्यागमन" बढ़ा दिया जायेगा।

धारा 108 का संशोधन

83—उक्त संहिता की धारा 108 मय पार्श्वंकित शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"108—पुरूष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के उत्तराधिकार का सामान्य क्रेम (1) धारा 107 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी पुरूष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी जोत में उसके हित का न्यागमन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उसके उत्तराधिकारियों को नातेदार होने पर नीचे दिए गए सिद्धान्त के अनुसार होगा:—

(एक) उपधारा (2) के किसी एक खण्ड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगे;

(दो) उपधारा (2) के किसी पूर्ववर्ती खण्ड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी से उत्तरवर्ती खण्डों में विनिर्दिष्ट समस्त उत्तराधिकारी अपवर्जित होंगे, अर्थात् खण्ड (क) में स्थित उत्तराधिकारी खण्ड (ख) में स्थित उत्तराधिकारियों से अधिमानता प्राप्त करेंगे और खण्ड (ख) में स्थित उत्तराधिकारी खण्ड (ग) में स्थित उत्तराधिकारियों से उत्तराधिकार में अधिमानता प्राप्त करेंगे, आदि;

(तीन) भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार या किसी पूर्वमृत पुरूष वंशानुगत उत्तराधिकारी, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, के यदि एक से अधिक विधवायें हों तो ऐसी समस्त विधवायें एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगी;

(चार) विधवा या विधवा माता या पिता की विधवा माता या किसी पूर्वमृत पुरूष वंशानुगत उत्तराधिकारी, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, की विधवा को केवल तभी उत्तराधिकार प्राप्त होगा यदि उसने पुनर्विवाह न किया हो।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध के अध्यसीन पुरूष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के निम्नलिखित रिश्तेदार उत्तराधिकारी हैं, अर्थात्:–

(क) विधवा, अविवाहित पुत्री और पुत्र–पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज, प्रति शाखा के अनुसार:

परन्तु यह कि किसी पूर्वमृत पुत्र के पुत्र और विधवा, चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हों, को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता, न्यायगत होता;

(ख) माता और पिता;

(ग) विवाहित पुत्री;

(घ) भाई और अविवाहित बहिन जो क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री हों; और पूर्व मृत भाई का पुत्र, जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो;

(ङ) पुत्र की पुत्री;

(च) पिता की माता और पिता के पिता;

(छ) पुत्री का पुत्र;

(ज) विवाहित बहिन;

(झ) सौतेली बहिन, जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ञ) बहिन का पुत्र;

(ट) सौतेली बहिन का पुत्र, जहाँ बहिन उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ठ) भाई के पुत्र का पुत्र;

(ड) पिता के पिता का पुत्र;

(ढ) पिता के पिता के पुत्र का पुत्र;

(ण) माता की माता का पुत्र।"

धारा 109 का संशोधन

84–उक्त संहिता की धारा 109 में–

(क) शब्द "किसी पुरूष भूमिधर, असामी या किसी जोत में सरकारी पट्टेदार" के स्थान पर शब्द "किसी जोत में पुरूष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार" और शब्द "ऐसी स्त्री की ऐसे प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो जाय," के स्थान पर शब्द "ऐसी स्त्री की ऐसे प्रारम्भ होने के पश्चात् मृत्यु हो जाय,", शब्द "पुर्नविवाह" के स्थान पर शब्द "पुनर्विवाह" तथा शब्द "होता"। के स्थान पर शब्द "होगा।" रख दिये जायेंगे;

(ख) स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि यदि पुत्री के रूप में विरासत प्राप्त करने वाली किसी स्त्री, जिसके पास इस संहिता की धारा 110 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट वारिस जीवित हैं, की मृत्यु हो जाती है तो जोत में उसका हित धारा 110 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट वारिसों पर न्यायगत होगा।"

धारा 110 का संशोधन

85–उक्त संहिता की धारा 110 में,–

(क) पार्श्वंकित शीर्षक में, शब्द "भू–धारक का उत्तराधिकारी" के स्थान पर शब्द "भू–धारक का उत्तराधिकार" रख दिये जायेंगे;

(ख) पुत्र अविवाहित पुत्री का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, प्रति शाखा के अनुसार समान अशों में:

परन्तु प्रथमतः यह कि उसी शाखा का निकटतर दूरतर को अपवर्जित कर देगाः

परन्तु द्वितीयतः यह कि कोई विधवा जिसने विवाह कर लिया हो, अपवर्जित हो जाएगी;

(ग) खण्ड (ग) में शब्द "अविवाहित पुत्री" का लोप कर दिया जायेगा;

(घ) खण्ड (ज) में, शब्द "और प्रति शाखा अनुसार भाई का पुत्र" के स्थान पर शब्द "और भाई का पुत्र प्रति शाखा अनुसार" रख दिये जायेंगे।

धारा 111 का संशोधन

86–उक्त संहिता की धारा 111 में, शब्द "डिबटर सम्पत्ति" के स्थान पर शब्द "देवोत्तर सम्पत्ति" और शब्द "ऐसे वैयक्तिक या अन्य विधियों द्वारा शासित होता रहेगा, जो उस पर लागू होते हों" के स्थान पर शब्द "ऐसी वैयक्तिक या अन्य विधियों द्वारा शासित होता रहेगा, जो उस पर लागू होती हों" रख दिये जायेंगे।

धारा 112 का संशोधन

87–उक्त संहिता की धारा 112 की उपधारा (1) में, शब्द "प्राप्त करे" के स्थान पर शब्द "प्राप्त करें" और शब्द ––"सह–विधवायें को" के स्थान पर शब्द "सह–विधवाओं को" रख दिये जायेंगे।

धारा 113 का संशोधन

88–उक्त संहिता की धारा 113 में शब्द "भूमि का अर्जन या उसमें किसी हित का हकदार होगा।" के स्थान पर शब्द "भूमि या उसमें किसी हित के अर्जन का हकदार होगा।" रख दिये जायेंगे।

धारा 114 का संशोधन

89–उक्त संहिता की धारा 114 में,–

(क) खण्ड (क), खण्ड (ग) और खण्ड (घ) में शब्द "भूमिधर या असामी" है, के स्थान पर शब्द "भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार" रख दिये जायेगे;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "पाय" के स्थान पर शब्द "पाये" रख दिया जायेगा;

(ग) खण्ड (ग) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "जाएगा।" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "जाएगा;" रख दिया जायेगा;

(घ) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायेगा, अर्थात्'–

"**स्पष्टीकरण**–इस धारा में पद "हत्या" का तात्पर्य किसी ऐसे अपराध से है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, धारा 304, धारा 304–ख, धारा 305 या धारा 306 के अधीन दण्डनीय है।"

धारा 115 का संशोधन

90–उक्त संहिता की धारा 115 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "भूमिधर या ग्राम सभा से प्राप्त भूमि को धृत करने वाले किसी असामी की ज्ञात उत्तराधिकार" के स्थान पर शब्द "भूमिधर या ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि को धृत करने वाले किसी असामी की ज्ञात उत्तराधिकारी" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "के निबन्धन और शर्तें" के स्थान पर शब्द "की निबन्धन और शर्तें" रख दिये जायेगे;

(ग) उपधारा (4) में शब्द "अपने अधिकार" के स्थान पर शब्द "अपने अधिकारों" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (6) में, खण्ड (ग) में, शब्द "अन्तिम निस्तारण" के स्थान पर शब्द "अन्तिम खारिजा" रख दिये जायेंगे।

धारा 116 का संशोधन

91–उक्त संहिता की धारा 116 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"(2) ऐसे प्रत्येक वाद में न्यायालय ऐसी जोत के विद्यमान वृक्षों, कुँओं और अन्य सुधार का विभाजन कर सकता है लेकिन जहां पर ऐसा विभाजन संभव नहीं है, वहां पर उपरोक्त वृक्षों, कुँओं और अन्य सुधारों एवं उनके मूल्यांकन का विहित रीति से विभाजन और समायोजन किया जायेगा।"

धारा 117 का संशोधन

92–उक्त संहिता की धारा 117 की उपधारा (1) में, शब्द "कलेक्टर न्यायालय" के स्थान पर शब्द "कलेक्टर का न्यायालय" और खण्ड (क) में, शब्द "अनुश्रवण" के स्थान पर शब्द "पालन" रख दिये जायेंगे।

धारा 119 का संशोधन

93–उक्त संहिता की धारा 119 में शब्द "असामी किस जोत" के स्थान पर शब्द "असामी किसी जोत" रख दिये जायेंगे।

धारा 120 का संशोधन

94–उक्त संहिता की धारा 120 की उपधारा (2) में,–

(क) खण्ड (क) में, शब्द "समर्पण दिनांक" के स्थान पर शब्द "समर्पण के दिनांक" रख दिये जायेंगे।

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "जायगा" के स्थान पर शब्द "जायेगा" रख दिया जायेगा।

धारा 122 का संशोधन

95—उक्त संहिता की धारा 122 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "इसका कृषि के लिये प्रयोग न करे" के स्थान पर शब्द "उस भूमि का कृषि के लिये प्रयोग न करे" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (6) में, शब्द "प्रवृत्त रही हों" के स्थान पर शब्द "प्रवृत्त हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 123 का संशोधन

96—उक्त संहिता की धारा 123 में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द "पूर्णता" के स्थान पर शब्द "पूर्णतया" और शब्द एवं विराम चिन्ह "जायगी" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "जायेगी;" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "जायगा" के स्थान पर शब्द "जायेगा" रख दिया जायेगा।

धारा 124 का संशोधन

97—उक्त संहिता की धारा 124 की उपधारा (2) में शब्द एवं अंक "उपधारा (2) किसी" के स्थान पर शब्द एवं अंक "उपधारा (2) के अन्तर्गत किसी" रख दिये जायेंगे।

संहिता की धारा 124 के पश्चात और धारा 125 के पहले शीर्षक का जोड़ा जाना

98—उक्त संहिता की धारा 124 के पश्चात और धारा 125 के पहले शीर्षक "ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा" अन्त: स्थापित कर दिया जायेगा।

धारा 125 का संशोधन

99—उक्त संहिता की धारा 125 में शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम सभा द्वारा" के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा" रख दिये जायेंगे।

धारा 126 का संशोधन

100—उक्त संहिता की धारा 126 में,—

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द "भूमि प्रबन्ध समिति", के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द एवं अंक "किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या धारा 125 के अधीन असामी के रूप में" के स्थान पर शब्द एवं अंक "धारा 125 के अधीन किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या असामी के रूप में" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (क) में, शब्द "सक्रिय सेवा में रहते हुए शत्रु की कार्यवाही से मृत्यु हुई हो, विधवा, पुत्र, अविवहित पुत्रिया" के स्थान पर शब्द "सक्रिय सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई हो, विधवा, पुत्र, अविवहित पुत्रियां" रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (ख) में, शब्द "सक्रिय सेवा में रहते हुए शत्रु की कार्यवाही में पूर्णतया विकलांग हो गया हो" के स्थान पर शब्द "सक्रिय सेवा में रहते हुए पूर्णतया विकलांग हो गया हो" रख दिये जायेंगे;

(चार) खण्ड (ज) में, शब्द एवं अंक "संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947" के स्थान पर शब्द एवं अंक "उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या 26 सन् 1947)" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (1) के स्पस्टीकरण में,—

(एक) खण्ड (एक), खण्ड (तीन) और खण्ड (पांच) के अन्त में, विराम चिन्ह '।' के स्थान पर विराम चिन्ह ';' रख दिया जायेगा;

(दो) खण्ड (दो) का लोप कर दिया जायेगा;

(तीन) शब्द "आवंटन के दिनांक की या उक्त दिनांक को ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "आवंटन के दिनांक को या उक्त दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष" रख दिये जायेंगे;

(चार) खण्ड (चार) के अन्त में, विराम चिन्ह "." के स्थान पर विराम चिन्ह ";" रख दिया जायेगा;

(पाँच) खण्ड (पांच) में शब्द "अधिनियम, 1994 की अनुसूची–1" के स्थान पर शब्द " अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची–1" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (2) में, शब्द "से कम हो" के स्थान पर शब्द "से अधिक न हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 127 का संशोधन

101– उक्त संहिता की धारा 127 में –

(क) उपधारा (1) में, शब्द "ऐसे वृक्ष या सुधार की भूमि सहित सम्बद्ध व्यक्ति को आवंटित किया गया समझा जायगा" के स्थान पर शब्द "ऐसा वृक्ष या सुधार भी उस भूमि के साथ सम्बद्ध व्यक्ति को आवंटित किया गया समझा जायगा।" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के अन्त में, विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ":" रख दिया जायेगा और उसके पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि यदि आवंटी विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है, तो वह इस प्रकार आवंटित भूमि में बराबर हिस्से की सह-आवंटी होगी।"

धारा 128 का संशोधन

102– उक्त संहिता की धारा 128 में –

(क) उपधारा (1) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "कलेक्टर, किसी आवंटन के सम्बन्ध में, विहित रीति से, स्वतः जाँच कर सकता और किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जाँच करेगा, और यदि उसका समाधान हो जाय कि आवंटन इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों या इस संहिता द्वारा निरसित अधिनियमितियों में से किसी एक के उल्लंघन में है तो वह, आवंटन और पट्टा को, यदि कोई हो;–" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "कलेक्टर किसी आवंटन के सम्बन्ध में, विहित रीति से, स्वप्रेरणा से जांच कर सकता और किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जांच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाय कि आवंटन इस संहिता या इस संहिता द्वारा निरसित किन्हीं अधिनियमितियों या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में है तो वह, आवंटन और पट्टा यदि कोई हो, को निरस्त कर सकता है।" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में, खण्ड (क) और खण्ड (ख) का लोप कर दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा को अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(1–क) उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई प्रार्थना-पत्र इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व किये गये आवंटन की स्थिति में, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात किये गये आवंटन की स्थिति में, ऐसे आवंटन या पट्टा के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर दिया जा सकता है।"

(घ) उपधारा (2) में,

(एक) शब्द "निरसित किया जाए" के स्थान पर शब्द "निरस्त किया जाए" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (क) में, शब्द "ऐसी भूमि में और उसके विद्यमान प्रत्येक वृक्ष" के स्थान पर शब्द " ऐसी भूमि में और उस पर विद्यमान प्रत्येक वृक्ष " और शब्द एवं विराम चिन्ह "जायेंगे।" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "जायेंगे;" रख दिये जायेंगे;

(ङ) उपधारा (3) में, शब्द "जायगा" के स्थान पर शब्द "जायेगा" रख दिया जायेगा।

धारा 129 का संशोधन

103– उक्त संहिता की धारा 129 की उपधारा (1) में, शब्द "स्वप्रेरणा से" के स्थान पर शब्द "स्वप्रेरणा से आवंटिती या पट्टेदार को कब्जा दिला सकता है" रख दिये जायेंगे।

संहिता की धारा 130 के पहले शीर्षक का जोड़ा जाना

104–उक्त संहिता की धारा 129 के पश्चात और धारा 130 के पहले शीर्षक "बेदखली" अन्त: स्थापित कर दिया जायेगा।

धारा 131 का संशोधन

105–उक्त संहिता की धारा 131 में, उपधारा (1) में,–

(क) खण्ड (ङ) में शब्द "तीन माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (च) के अन्त में, विराम चिन्ह ";" के स्थान पर विराम चिन्ह "।" रख दिया जायेगा।

धारा 132 का संशोधन

106–उक्त संहिता की धारा 132 में–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "रीति में कार्यवाही करेगा" के स्थान पर शब्द "रीति से कार्यवाही करेगा" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में, उपखण्ड (एक) में शब्द "जाएगें" के स्थान पर शब्द "जायेंगे" रख दिया जायेगा;

(तीन) खण्ड (ख) में, उपखण्ड (दो) में शब्द "यथा नियत प्रतिपूर्ति का भुगतान करने पर ऐसी फसलों, पेड़ों या ऐसे पेड़ों के फलों को देखभाल करने, एकत्रित करने या हटाने का अधिकार होगा जब तक कि ऐसी फसल या पेड़ यथास्थिति, एकत्रित या हटाये या मृत या काटे नहीं जाते।" के स्थान पर शब्द "यथा नियत प्रतिकर का भुगतान करने पर ऐसी फसलों, पेड़ों या ऐसे पेड़ों के फलों की देखभाल करने, एकत्रित करने या हटाने का अधिकार होगा जब तक कि ऐसी फसल या पेड़ यथास्थिति, एकत्रित किये या हटाये या काटे नहीं जाते या वे मृत नहीं हो जाते।" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "देय प्रतिपूर्ति" के स्थान पर शब्द "देय प्रतिकर" रख दिये जायेंगे।

धारा 133 का संशोधन

107–उक्त संहिता की धारा 133 में शब्द "वाद चलाने के बदले में" के स्थान पर शब्द "वाद चलाने के बजाय" और उसके खण्ड (ग) में, शब्द "नुकसान की मरम्मत हेतु" के स्थान पर शब्द "नुकसान की भरपाई हेतु" रख दिये जायेंगे।

धारा 135 का संशोधन

108–उक्त संहिता की धारा 135 निकाल दी जायेगी।

धारा 136 का संशोधन

109–उक्त संहिता की धारा 136 में–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"(1) इस संहिता के अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुये भी उपजिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के आवेदन पर उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी भूमि का कब्जा लेने या रखने वाले व्यक्ति को बेदखल कर सकता है यदि ऐसा कब्जा इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में हो या ऐसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण की सहमति के बिना हो और विहित दरों पर नुकसान का भुगतान करने का दायी होगा।"

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (ग) में, विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ";" रख दिया जायेगा;

(ग) स्पष्टीकरण में, शब्द "पेड़ और सुधार" के स्थान पर शब्द "पेड़ और अन्य सुधार" रख दिये जायेंगे।

धारा 137 का संशोधन

110–उक्त संहिता की धारा 137 में, उपधारा (1) में,–

(क) शब्द "उपबन्धों के अनुसार से भिन्न किसी भूमि से बेदखल किया गया या बेदखली की प्रत्याशा के भय से" के स्थान पर शब्द "उपबन्धों के अनुसार से अन्यथा किसी भूमि से बेदखल किया गया या बेदखली से आशंकित" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (एक) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "भूमि के कब्जे के लिए;" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "भूमि के कब्जे के लिए; या" रख दिये जायेंगे।

संहिता की धारा 143 के पश्चात और धारा 144 के पहले शीर्षक का जोड़ा जाना

111–उक्त संहिता की धारा 143 के पश्चात और धारा 144 के पहले शीर्षक "घोषणात्मक वाद" अन्त: स्थापित कर दिया जायेगा।

धारा 144 का संशोधन

112–उक्त संहिता की धारा 144 की उपधारा (2) में, खण्ड (2) में, शब्द "पक्षकार होंगे" के स्थान पर शब्द "पक्षकार होगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 145 का संशोधन

113–उक्त संहिता की धारा 145 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"145–ग्राम पंचायत द्वारा घोषणात्मक वाद–विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ग्राम पंचायत किसी व्यक्ति के विरूद्ध, जो किसी भूमि में किसी अधिकार के हक का दावा करता है, ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए, वाद संस्थित कर सकती है और न्यायालय अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा कर सकता है और ग्राम पंचायत को ऐसे वाद में किसी अन्य राहत की मांग करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

धारा 146 का संशोधन

114–उक्त संहिता की धारा 146 में,–

(क) शब्द "शपथ–पत्र या अन्यथा यह सिद्ध हो जाता है" के स्थान पर शब्द "शपथ–पत्र द्वारा या अन्यथा यह सिद्ध हो जाता है" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "हटाने बेच देने" के स्थान पर शब्द "हटाने या बेच देने" और शब्द "अस्थायी आदेश" के स्थान पर शब्द "अस्थायी व्यादेश" रख दिये जायेंगे।

संहिता की धारा 146 के पश्चात और धारा 147 के पहले अध्याय एवं शीर्षक का जोड़ा जाना

115–उक्त संहिता की धारा 146 के पश्चात और धारा 147 के पहले "अध्याय–दस" और शीर्षक "सरकारी पट्टेदार" अन्त: स्थापित कर दिया जायेगा।

धारा 149 का संशोधन

116–उक्त संहिता की धारा 149 में शब्द "निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार" के स्थान पर शब्द "निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों" रख दिये जायेंगे।

धारा 152 का संशोधन

117–उक्त संहिता की धारा 152 के शीर्षक में, शब्द "भू–राजस्व के बकाया की वसूली देयों की तरह" के स्थान पर शब्द "भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूली योग्य देय" रख दिये जायेंगे।

धारा 153 का संशोधन

118–उक्त संहिता की धारा 153 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द व विराम चिन्ह "किया जा रहा हो। भू–राजस्व निर्धारित किया जाएगा" के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह "किया जा रहा हो, भू–राजस्व निर्धारित किया जाएगा" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, खण्ड (क) में, शब्द "भवन द्वारा कब्जे की भूमि" के स्थान पर शब्द "भवन द्वारा आच्छादित भूमि" रख दिये जायेंगे।

धारा 154 का संशोधन

119–उक्त संहिता की धारा 154 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् –

"154–भूमिधर द्वारा देय भू–राजस्व–(1) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से भूमिधर के रूप में कोई भूमि धारण कर रहा हो, राज्य सरकार को भू–राजस्व की उसी धनराशि का भुगतान करेगा और करता रहेगा जो वह इस संहिता के प्रवर्तन में आने के वर्ष के पूववर्ती कृषि वर्ष में ऐसी भूमि के लिए करने का दायी था।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित करता है, इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को भू–राजस्व की उसी धनराशि का भुगतान करेगा जो ऐसे अर्जन के दिनांक के ठीक पूर्व ऐसी भूमि के लिए देय थी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित करता है जिसके सम्बन्ध में ऐसे अर्जन के ठीक पूर्व कोई भू–राजस्व देय नहीं था, उप जिलाधिकारी द्वारा ऐसे सिद्धान्तों के अनुरूप, जैसे विहित किये जायें, अवधारित भू–राजस्व का भुगतान करने का दायी होगा।"

धारा 155 का संशोधन

120–उक्त संहिता की धारा 155 में शब्द "नहीं क्रिया या" के स्थान पर शब्द "नदी क्रिया या" रख दिये जायेंगे।

धारा 157 का संशोधन

121–उक्त संहिता की धारा 157 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"(2) इसी प्रकार, राज्य सरकार, किसी ग्राम या उसके भाग में जहाँ ऐसी विपत्ति आयी हो, असामी द्वारा ग्राम पंचायत को देय लगान माफ कर सकती है या उसे किसी अवधि के लिए स्थगित कर सकती है।"

धारा 159 का संशोधन

122–उक्त संहिता की धारा 159 के खण्ड (क) में, शब्द व विराम चिन्ह "जाएगा;" के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह "जाएगा; और" रख दिये जायेंगे।

धारा 165 का संशोधन

123–उक्त संहिता की धारा 165 में शब्द एवं विराम चिन्ह "ऐसे समय पर ऐसी किस्तों में," के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "ऐसे समय पर, ऐसी किस्तों में," रख दिये जायेंगे।

धारा 168 का संशोधन

124–उक्त संहिता की धारा 168 में शब्द एवं विराम चिन्ह "बाकीदार हो, निश्चायक होगा।" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "व्यतिक्रमी हो, का निश्चायक प्रमाण होगा।"

धारा 170 का संशोधन

125–उक्त संहिता की धारा 170 में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द एवं विराम चिन्ह "भू–राजस्व की बकाया निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रक्रिया से वसूल की जा सकती है, अर्थात्;" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "मांग पत्र में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर भुगतान न किये गये भू–राजस्व की बकाया निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं से वसूल की जा सकती है, अर्थात् :–" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (क) में, शब्द "गिरफ्तारी या निरूद्ध" के स्थान पर शब्द "गिरफ्तारी या उसे निरुद्ध" रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (ख) में, शब्द "विक्रय करने" के स्थान पर शब्द "विक्रय करके" रख दिये जायेंगे;

(चार) खण्ड (ग) में, शब्द "लाकर" के स्थान पर शब्द "लॉकर" रख दिया जायेगा;

(पॉच) खण्ड (ङ) में, शब्द "या बिक्री करके" के स्थान पर शब्द "या उसकी बिक्री करके" रख दिये जायेंगे;

(छः) खण्ड (छ) में, शब्द "व्यतिक्रमी किसी" के स्थान पर शब्द "व्यतिक्रमी की किसी" और शब्द "रिसीवर नियुक्ति करके" के स्थान पर "रिसीवर की नियुक्ति करके" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "भूमिधर या असामी" के स्थान पर शब्द "भूमिधर" रख दिया जायेगा।

धारा 171 का संशोधन

126–उक्त संहिता की धारा 171 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "एक बार में" का लोप कर दिया जायेगा;

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(क) स्त्री या अवयस्क हो, या 65 वर्ष या उससे अधिक का वरिष्ठ नागरिक हो या धारा 95(1)(क) में यथा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति हो;"

(ग) उपधारा (3) में शब्द "के विरूद्ध" के स्थान पर शब्द "में निरूद्ध" और शब्द "बाध्य नहीं करेगा" के स्थान पर शब्द "बाध्य करेगा" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

"(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, किसी व्यतिक्रमी को तभी गिरफ्तार किया जायेगा, जब वसूली के लिये ईप्सित धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक हो।"

धारा 172 का संशोधन

127–उक्त संहिता की धारा 172 में,–

(क) उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ग) धार्मिक उपासना के उपयोग के लिए अनन्य रूप से अलग रखी गयी वस्तुएं।"

(ख) उपधारा (3) में शब्द "अधिकारी की ऐसी प्रतिभूति" के स्थान पर शब्द "अधिकारी को ऐसी प्रतिभूति" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (4) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "जब की अपेक्षित हो उसे प्रस्तुत करेगा। सुपुर्ददार उसकी अभिरक्षा में दी गयी सम्पत्ति की समस्त क्षति या हानि के लिए दायी होगा।" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "जहां कहीं अपेक्षित हो उसे प्रस्तुत करेगा। सुपुर्ददार उसकी अभिरक्षा में दी गयी सम्पत्ति की समस्त क्षति या हानि या आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दायी होगा।" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (5) में, शब्द "रीति में" के स्थान पर शब्द "रीति से" रख दिये जायेंगे।

धारा 173 का संशोधन

128–उक्त संहिता की धारा 173 में,–

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द "लाकर" के स्थान पर शब्द "लॉकर" रख दिया जायेगा;

(ख) शब्द "अधिकाधिक रीति में" के स्थान पर शब्द "अधिकथित रीति से" और शब्द "लाकर" के स्थान पर शब्द "लॉकर" रख दिये जायेंगे।

धारा 174 का संशोधन

129–उक्त संहिता की धारा 174 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "उप जिलाधिकारी" कें स्थान पर शब्द "कलेक्टर" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "कुर्की की हों" के स्थान पर शब्द "कुर्की की गयी हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 175 का संशोधन

130–उक्त संहिता की धारा 175 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "उप जिलाधिकारी" के स्थान पर शब्द "कलेक्टर" रख दिया जायेगा;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "अनुगामी जुलाई" के स्थान पर शब्द "ठीक आगामी जुलाई" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "पट्टादार" के स्थान पर शब्द "पट्टेदार" और शब्द "प्रक्रिया" के स्थान पर शब्द "प्रक्रियाओं" एवं शब्द "अवधारित" के स्थान पर शब्द "समाप्त" रख दिये जायेंगे;

धारा 176 का संशोधन

131–उक्त संहिता की धारा 176 में–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "उप जिलाधिकारी" के स्थान पर शब्द "कलेक्टर" रख दिया जायेगा;

(दो) शब्द "अवधारित" के स्थान पर शब्द "समाप्त" और शब्द तथा अंक एवं विराम चिन्ह "ऐसी रीति से बेच सकता है, जैसा कि धारा 200 के अनुसार विक्रय आगम समुचित रूप में विहित किये जायें।" के स्थान पर शब्द तथा अंक एवं विराम चिन्ह "विहित रीति से बेंच सकता है और धारा 200 के अनुसार विक्रय आगम का प्रयोग कर सकता है।" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "उप जिलाधिकारी" के स्थान पर शब्द "कलेक्टर" और शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "राजस्व परिषद" रख दिये जायेंगे।

धारा 177 का संशोधन

132–उक्त संहिता की धारा 177 में–

(क) शब्द "कुर्की" और बिक्री की वसूली" के स्थान पर शब्द "कुर्की और बिक्री करके वसूली" रख दिये जायेंगे;

(ख) परन्तुक में, शब्द और विराम चिन्ह "किसी कृषक की उससे एकदम संलग्न मकान, अन्य भवन (उसकी सामग्री एवं स्थल सहित) और भूमि, जो उसके द्वारा अध्यासित हो," के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "किसी कृषक का मकान या अन्य भवन (उसकी सामग्री एवं स्थल सहित) और उससे एकदम संलग्न भूमि, जो उसके द्वारा अध्यासित हो," रख दिये जायेंगे।

धारा 178 का संशोधन

133–उक्त संहिता की धारा 178 में–

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में, शब्द "दस्तावेजों का" के स्थान पर शब्द "दस्तावेजों का निष्पादन" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (6) में, शब्द "रिसीवर कलेक्टर" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "रिसीवर, कलेक्टर" और शब्द "समझें" के स्थान पर शब्द "समझे" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (7) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "जान बूझकर व्यतिक्रम अवज्ञा, किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में गम्भीर लोप, या दुर्विनियोग के आधार पर" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "जान बूझकर व्यतिक्रम, अवज्ञा, अवचार, गम्भीर लोप या किसी सम्पत्ति के दुर्विनियोग के आधार पर" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (8) में, शब्द "कलेक्टर को रिसीवर की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह आवधारण करने कि" के स्थान पर शब्द "कलेक्टर को रिसीवर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह अवधारण करने कि," रख दिये जायेंगे।

धारा 179 का संशोधन

134–उक्त संहिता की धारा 179 में शब्द "इस अध्याय के अनुसार बकायों या भू–राजस्व के रूप में वसूली योग्य भू–राजस्व या अन्य देयों को संग्रह करने के प्रयोजनार्थ" के स्थान पर शब्द "इस अध्याय के अनुसार भू–राजस्व अथवा भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूली योग्य अन्य देयों का संग्रह करने के प्रयोजनार्थ" रख दिये जायेंगे।

धारा 180 का संशोधन

135–उक्त संहिता की धारा 180 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "उपायों का व्यय" के स्थान पर शब्द "प्रक्रियाओं का व्यय" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "उसी रीति में" के स्थान पर शब्द "उसी रीति से" रख दिये जायेंगे;

धारा 181 का संशोधन

136–उक्त संहिता की धारा 181 में,–

(क) उपधारा (1) में, परन्तुक में, शब्द एवं विराम चिन्ह "उस सीमा तक होगा जो उसके हाथ लगी है और जिसका विधिवत् निस्तारण नहीं हुआ है।" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "उस सीमा तक होगा जो उसके हाथ लगी है।" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "प्रतिभूत" के स्थान पर शब्द "प्रतिभू" और शब्द "स्वयं बाकीदार रहा हो" के स्थान पर शब्द "स्वयं व्यतिक्रमी हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 182 का संशोधन

137—उक्त संहिता की धारा 182 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "प्रत्येक प्रक्रिया" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक आदेशिका" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द, अंक एवं विराम चिन्ह "नियम 54, आदेश 21" के स्थान पर शब्द एवं अंक "आदेश 21 के नियम 54" रख दिये जायेंगे।

धारा 183 का संशोधन

138—उक्त संहिता की धारा 183 में,—

(क) उपधारा (1) में, परन्तुक में, खण्ड (ग) में, शब्द "या जहां कुर्की" के स्थान पर शब्द "जहां कुर्की" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "तीन माह" के स्थान पर शब्द "साठ दिनों" रख दिये जायेंगे।

धारा 184 का संशोधन

139—उक्त संहिता की धारा 184 में—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द "उप कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "कलेक्टर" रख दिया जायेगा;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "ऐसे सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य" के स्थान पर शब्द "ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य, रक्षित मूल्य और सर्किल रेट;" रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (छ) में, शब्द "जैसा कि कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "जिन्हें कि कलेक्टर" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) शब्द "विक्रय किये जाने हेतु" के स्थान पर शब्द "जहां विक्रय किये जाने हेतु" रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द एवं अंक "5.04 हेक्टेयर" के स्थान पर शब्द एवं अंक "5.0586 हेक्टेयर" रख दिये जायेंगे।

धारा 185 का संशोधन

140—उक्त संहिता की धारा 185 में,—

(क) शब्द "प्रत्येक स्थानों" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक स्थान" और शब्द एवं विराम चिन्ह "जायेगी।" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "जायेगी:—" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (क) के अन्त में, विराम चिन्ह ";" अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा;

(ग) खण्ड (ग) में, शब्द "कुछ अन्य" के स्थान पर शब्द "कोई अन्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 186 का संशोधन

141—उक्त संहिता की धारा 186 में,—

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द "किसके द्वारा किया गया" के स्थान पर शब्द "किसके द्वारा किया जाय" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(2) कोई विक्रय रविवार या राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए अधिसूचित अन्य अवकाश दिवस में नहीं किया जायेगा।"

धारा 188 का संशोधन

142—उक्त संहिता की धारा 188 की उपधारा (1) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "विक्रय की गयी सम्पत्ति, के लिए बोली नहीं लगायेगा या को अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा या उसमें कोई रूचि नहीं लेगा।" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "विक्रय की गयी सम्पत्ति अथवा उससे सम्बन्धित किसी हित के लिए बोली नहीं लगायेगा या उसको अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा।" रख दिये जायेंगे।

धारा 189 का संशोधन

143–उक्त संहिता की धारा 189 में,–

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द "क्रेता द्वारा जमा राशि और व्यतिक्रम पर पुनः विक्रय" के स्थान पर शब्द "क्रेता द्वारा राशि का जमा किया जाना और व्यतिक्रम पर पुनः विक्रय" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "पुनः विक्रय में मूल्य में होने वाली किसी कमी या कमी" के स्थान पर शब्द "पुनः विक्रय पर मूल्य में होने वाली किसी कमी" रख दिये जायेंगे।

धारा 190 का संशोधन

144–उक्त संहिता की धारा 190 में,–

(क) शीर्षक में शब्द "क्रय धन का जमा" के स्थान पर शब्द "क्रय धन का जमा किया जाना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ख) धारा 189 के अधीन जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार को समपहृत हो जायेगी।"

धारा 191 का संशोधन

145–उक्त संहिता की धारा 191 में,–

(क) शब्द "अधिकतम बोली की धनराशि के बराबर धनराशि का भुगतान करता है" के स्थान पर शब्द "अधिकतम बोली की धनराशि के बराबर धनराशि और क्रेता को भुगतान करने के लिये क्रय धन के एक प्रतिशत के बराबर की धनराशि का भुगतान करता है" रख दिये जायेंगे;

(ख) विद्यमान परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि जहाँ पर अधिकतम बोली वाले व्यक्ति के पक्ष में, इस धारा के अन्तर्गत अधिमानता के कारण, पुष्टि नहीं हो पाती है, वह अपने द्वारा जमा की हुई धनराशि एवं उस प्रयोजन के लिए जमा की हुई ऐसी धनराशि के एक प्रतिशत की धनराशि को वापस प्राप्त करने का हकदार होगा।"

धारा 192 का संशोधन

146–उक्त संहिता की धारा 192 में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "अपास्त करने के लिए कलेक्टर को कलेक्टर के कार्यालय में या जिला कोषागार या उस कोषागार में आवेदन कर सकता है" के स्थान पर शब्द "अपास्त करने के लिए कलेक्टर को निम्नलिखित धनराशि कलेक्टर के कार्यालय में या जिला कोषागार या उप कोषागार में जमा करके आवेदन कर सकता है" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (क) में, शब्द "पांच प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "एक प्रतिशत" रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (ग) में, शब्द "प्रक्रिया" के स्थान पर शब्द "प्रक्रियाओं" रख दिया जायेगा;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "तो वह" के स्थान पर शब्द "वहां वह" रख दिये जायेंगे।

धारा 193 का संशोधन

147–उक्त संहिता की धारा 193 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "किसी तथ्यपरक अनियमितता या प्रकाशित करने या संचालित करने में किसी त्रुटि के आधार पर विक्रय को" के स्थान पर शब्द "ऐसे विक्रय में किसी तथ्यपरक अनियमितता या उसे प्रकाशित करने या संचालित करने में किसी त्रुटि के आधार पर उस विक्रय को" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "पुनर्विलोकन" के स्थान पर शब्द "पुनरीक्षण" रख दिया जायेगा।

धारा 194 का संशोधन

148–उक्त संहिता की धारा 194 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "विक्रय के दिनांक से" के स्थान पर शब्द "यदि विक्रय के दिनांक से" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में,–

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "अधिक हो सकती है" के स्थान पर शब्द "अधिक है" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "विक्रय उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट बकाया की धनराशि से कम;" के स्थान पर शब्द "ऐसी सम्पत्ति के रक्षित मूल्य अथवा विक्रय उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट बकाया की धनराशि से कम हो;" रख दिये जायेंगे।

धारा 195 का संशोधन

149–उक्त संहिता की धारा 195 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"195– धारा 192, धारा 193 या धारा 194 में किसी बात के होते हुए भी, यदि कलेक्टर या आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि इस अध्याय के अधीन हुए किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय को अपास्त किया जाना चाहिए तो नीलामी क्रेता को कारण, यदि कोई है, बताने, की नोटिस देते हुए वह विक्रय को लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों पर अपास्त कर सकता है।"

धारा 197 का संशोधन

150–उक्त संहिता की धारा 197 में, शब्द "पांच प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "एक प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

धारा 198 का संशोधन

151–उक्त संहिता की धारा 198 में, उपधारा (2) के अन्त में, विराम चिन्ह "।" अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा।

धारा 199 का संशोधन

152–उक्त संहिता की धारा 199 की उपधारा (1) में, शब्द "उपभोग कर" के स्थान पर शब्द "उपयोग कर" रख दिये जायेंगे।

धारा 200 का संशोधन

153–उक्त संहिता की धारा 200 में शब्द "उपभोग" के स्थान पर शब्द "उपयोग" और खण्ड (क) में शब्द "संग्रह प्रभारी" के स्थान पर शब्द "संग्रह प्रभारों" रख दिये जायेंगे।

धारा 201 का संशोधन

154–उक्त संहिता की धारा 201 में शब्द एवं विराम चिन्ह "तो कलेक्टर द्वारा सरसरी रूप से बेदखल कर दिया जायेगा जो ऐसा बल, जैसा आवश्यक समझा जाय का उपयोग कर सकता है या करा सकता है।" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "तो कलेक्टर द्वारा उसे सरसरी रूप से बेदखल कर दिया जायेगा एवं कलेक्टर इस हेतु ऐसा बल, जैसा आवश्यक हो का उपयोग कर सकता है या करा सकता है।" रख दिये जायेंगे।

धारा 202 का संशोधन

155–उक्त संहिता की धारा 202 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"202–वाद का वर्जन– धारा 203 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भू–राजस्व के किसी निर्धारण या संग्रहण या भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।"

धारा 203 का संशोधन

156–उक्त संहिता की धारा 203 में–

(क) कोष्ठक एवं अंक "(1)" का लोप कर दिया जायेगा;

(ख) शब्द "अध्याय के अधीन शुरू की जाय" के स्थान पर शब्द "अध्याय के अधीन कार्यवाही शुरू की जाय" और शब्द "भुगतान वसूली अधिकारी को करेगा" के स्थान पर शब्द "वसूली अधिकारी को भुगतान कर सकता है" तथा शब्द एवं विराम चिन्ह "वाद कर सकता है।" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "वाद दायर कर सकता है।" रख दिये जायेंगे।

धारा 204 का संशोधन

157–उक्त संहिता की धारा 204 में शब्द "इस निर्मित" के स्थान पर शब्द "इस निमित्त" और शब्द "व्यक्ति का" के स्थान पर शब्द "व्यक्ति को" रख दिये जायेंगे।

धारा 206 का संशोधन

158–उक्त संहिता की धारा 206 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "प्रार्थना–पत्र कार्यवाही" के स्थान पर "प्रार्थना–पत्र या कार्यवाही" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, शब्द व अंक "स्तम्भ 4" के स्थान पर शब्द व अंक "स्तम्भ 3" और शब्द एवं अंक "स्तम्भ 3" के स्थान पर शब्द व अंक "स्तम्भ 2" और शब्द "प्रार्थना–पत्र कार्यवाही" के स्थान पर "प्रार्थना–पत्र या कार्यवाही" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(3) इस संहिता में किसी बात के होते हुये भी किसी अपीलीय, पुनरीक्षण या निष्पादन न्यायालय द्वारा किसी ऐसी आपत्ति पर, कि उपधारा (2) (ख) में उल्लिखित किसी न्यायालय या अधिकारी को किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही के सम्बन्ध में अधिकारिता थी या नहीं थी, तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी आपत्ति, प्रथम बार के न्यायालय या अधिकारी के समक्ष शीघ्रतम अवसर पर और ऐसे सभी मामलों में जिसमें वाद बिन्दुओं का स्थिरीकरण किया जाता हो, वाद बिन्दुओं के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व, न की गयी हो और जब तक कि न्याय पारिणामिक रूप से असफल न हुआ हो।"

धारा 207 का संशोधन

159–उक्त संहिता की धारा 207 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द व अंक "स्तम्भ 3" के स्थान पर शब्द व अंक "स्तम्भ 2", शब्द व अंक "स्तम्भ 5" के स्थान पर शब्द व अंक "स्तम्भ 4" और शब्द एवं अंक "स्तम्भ 4" के स्थान पर शब्द व अंक "स्तम्भ 3" और उपधारा (1) में, शब्द "आदेश डिक्री" के स्थान पर शब्द "आदेश या डिक्री" और शब्द "विनिर्दिष्ट न्यायालय" के स्थान पर शब्द "में विनिर्दिष्ट न्यायालय" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द, अंक एवं विराम चिन्ह "दाखिल किये जाने प्रथम अपील की अवधि की परिसीमा ऐसे आदेश या डिक्री, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, के दिनांक से 30 दिन के भीतर होगी।" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "प्रथम अपील दाखिल किये जाने के लिए परिसीमा की अवधि, अपीलीय आदेश या डिक्री के दिनांक से तीस दिन होगी।" रख दिये जायेंगे।

धारा 208 का संशोधन

160–उक्त संहिता की धारा 208 में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द व अंक "स्तम्भ 3" के स्थान पर शब्द व अंक "स्तम्भ 2" और शब्द व अंक "स्तम्भ 6" के स्थान पर शब्द व अंक "स्तम्भ 5" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "अवधि की परिसीमा" के स्थान पर शब्द "परिसीमा की अवधि" और अंक व शब्द "90 दिन के भीतर होगी" के स्थान पर अंक व शब्द "90 दिन होगी" रख दिये जायेंगे।

धारा 209 का संशोधन

161–उक्त संहिता की धारा 209 में–

(क) शब्द "किसी बात के होते हुए किसी निम्नलिखित आदेश या डिक्री" के स्थान पर शब्द "किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित किसी आदेश या डिक्री" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (क) में, शब्द "अध्याय पांच"के स्थान पर शब्द "अध्याय ग्यारह" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ग) में, शब्द "पुनरीक्षा" के स्थान पर शब्द "पुनरीक्षण" रख दिया जायेंगा;

(घ) खण्ड (च) में, शब्द "आदेश डिक्री" के स्थान पर शब्द "आदेश या डिक्री" रख दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (च) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड व परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(छ) पक्षकारों की सहमति से न्यायालय या अधिकारी द्वारा पारित; या

(ज) जहां ऐसा आदेश एकपक्षीय या व्यतिक्रम में पारित किया गया है :

परन्तु यह कि एकपक्षीय या व्यतिक्रम में पारित आदेश से क्षुब्ध पक्षकार ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन की अवधि के अन्दर उस आदेश, को अपास्त कराने के लिये प्रार्थना–पत्र दे सकता है :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई आदेश उस पक्षकार को जिसके पक्ष में आदेश किया गया है, उपस्थित होने एवं इसके समर्थन में सुने जाने के लिए, पहले समन किये बिना उल्टा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा।"

162—उक्त संहिता की धारा 210 में— धारा 210 का संशोधन

(क) अंक एवं शब्द "210—परिषद" के स्थान पर अंक, शब्द एवं कोष्ठक "210—(1) परिषद" और शब्द "हुयी" के स्थान पर शब्द "होती है" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "जहां अपील होनी है परन्तु प्रस्तुत नहीं की गयी है," का लोप कर दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात और उपधारा (3) के पहले, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—शंका के निवारण के लिए एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि, जब इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र या तो परिषद या तो आयुक्त के समक्ष दे दिया गया है तो उस प्रार्थना पत्र को, उनमें से दूसरे के समक्ष उसी आदेश के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दाखिल करने के प्रयोजनार्थ, वापस लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।"

(घ) उपधारा (3) में, शब्द "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "साठ दिन" रख दिये जायेंगे।

163—उक्त संहिता की धारा 211 में— धारा 211 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द "अपने द्वारा या संबंधित अपने द्वारा" के स्थान पर शब्द "अपने द्वारा" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) शब्द, अंक एवं कोष्ठक "की धारा (1)" के स्थान पर शब्द, अंक एवं कोष्ठक "का उपधारा (1)" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "किसी गलती" के स्थान पर शब्द "कोई गलती" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी आदेश के पुनर्विलोकन का प्रार्थना—पत्र ऐसे आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर दाखिल किया जा सकता है।"

164—उक्त संहिता की धारा 213 में,— धारा 213 का संशोधन

(क) शीर्षक में, शब्द "पक्षकार होगा" के स्थान पर शब्द "पक्षकार होगी" रख दिये जायेंगे;

(ख) शब्द "तद्धीन" के स्थान पर शब्द "तदधीन" और शब्द "या के" के स्थान पर शब्द "या उसके" रख दिये जायेंगे।

165—उक्त संहिता की धारा 214 में शब्द "इस संहिता द्वारा या अधीन" के स्थान पर शब्द "इस संहिता द्वारा या इसके अधीन" रख दिये जायेंगे। धारा 214 का संशोधन

166—उक्त संहिता की धारा 215 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :— धारा 215 का संशोधन

"215—प्रक्रिया में अनियमितता के कारण आदेश अविधिमान्य नहीं होंगे— किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्यवाही के पूर्व या उसके दौरान, सम्मन, नोटिस, उद्घोषणा, वारंट या आदेश अथवा अन्य कार्यवाही में त्रुटि, लोप या अनियमितता मात्र के कारण किसी अपील या पुनरीक्षण में तब तक उल्टा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी त्रुटि, लोप या अनियमितता से वास्तव में न्याय का हनन न हुआ हो।"

167—उक्त संहिता की धारा 216 में,— धारा 216 का संशोधन

(क) खण्ड (ख) में, शब्द "पता लिखे रजिस्टर्ड डाक द्वारा" के स्थान पर शब्द "के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) किसी निगमित कम्पनी या निकाय के मामले में, उसी कम्पनी या निकाय के सचिव या अन्य मुख्य कार्यकारी को सम्बोधित कर उसके प्रधान कार्यालय में देकर या उसके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर, या"

(ग) खण्ड (घ) में, शब्द "दिए गए किसी अन्य रीति से" के स्थान पर शब्द "दी गयी किसी अन्य रीति से" रख दिये जायेंगे।

धारा 217 का संशोधन

168–उक्त संहिता की धारा 217 में शब्द "ऐसे मामलों" के स्थान पर शब्द "ऐसे मामले" रख दिये जायेंगे।

धारा 219 का संशोधन

169–उक्त संहिता की धारा 219 में शब्द "अपने से अधीनस्थ" के स्थान पर शब्द "अपने अधीनस्थ", शब्द "जिसका प्रयोग" के स्थान पर शब्द "जिनका प्रयोग", शब्द "निर्बन्धनों" के स्थान पर शब्द "निबन्धनों" तथा शब्द "विनिर्दिष्ट की जाय" के स्थान पर शब्द "विनिर्दिष्ट की जायें" रख दिये जायेंगे।

धारा 220 का संशोधन

170–उक्त संहिता की धारा 220 में, शब्द "निर्बन्धनों और शर्तों" के स्थान पर शब्द "निबन्धनों और शर्तों" और शब्द एवं विराम चिन्ह "आवश्यक समझें, किसी भी समय किसी को ग्रहण कर सकता" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "आवश्यक समझे, किसी भी समय किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकता" रख दिये जायेंगे।

धारा 221 का संशोधन

171–उक्त संहिता की धारा 221 में शब्द "कोई व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "कोई भी व्यक्ति" और शब्द "भाग की प्रतिलिपि" के स्थान पर शब्द "भाग की सत्यापित प्रतिलिपि" रख दिये जायेंगे।

धारा 222 का संशोधन

172–उक्त संहिता की धारा 222 में–

(क) खण्ड (क) में, शब्द "झाँसी मण्डल," के स्थान पर शब्द "झाँसी मण्डल और चित्रकूट मण्डल," रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में, शब्द "बलाई (पहाड़);" के स्थान पर शब्द "(बलाये पहाड़);" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में, शब्द "और भगवत" के स्थान पर शब्द "और भगवत तथा तहसील मड़िहान का परगना भगवत" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (ङ) में, शब्द "साकेतगढ़" के स्थान पर शब्द "सकटेशगढ़" रख दिया जायेगा।

धारा 223 का संशोधन

173–उक्त संहिता की धारा 223 में शब्द "या के द्वारा" के स्थान पर शब्द "या उनके द्वारा" रख दिये जायेंगे।

धारा 224 का संशोधन

174–उक्त संहिता की धारा 224 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "भूमि के कब्जादार किसी व्यक्ति से," के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "भूमि पर काबिज किसी व्यक्ति से," और शब्द "जैसा विहित किया जाय" के स्थान पर शब्द "जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "जो ऐसी भूमि में, प्रकृति और विस्तार सहित, कोई रूचि रखता हो," के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह " जो ऐसी भूमि में, हित रखता हो, जिसके अन्तर्गत हित की प्रकृति और विस्तार भी शामिल है," रख दिये जायेंगे।

धारा 225 का संशोधन

175–उक्त संहिता की धारा 225 के शीर्षक में, शब्द "परित्राण" के स्थान पर शब्द "संरक्षण", और उसकी उपधारा (1) में शब्द "यह" के स्थान पर शब्द "वह" तथा शब्द "द्वारा या के अधीन" के स्थान पर शब्द "द्वारा या इसके अधीन"रख दिये जायेंगे।

नई धाराओं का अन्तःस्थापित किया जाना

176–उक्त संहिता की धारा 225 के पश्चात, निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"225–क – संक्षिप्त कार्यवाही में प्रश्नों का निर्धारण– इस संहिता के अन्य प्रावधानों में समाविष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस संहिता के अधीन किसी संक्षिप्त कार्यवाही में निर्धारण के लिए उद्भूत सभी प्रश्नों को शपथ-पत्रों पर, विहित रीति से तय किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी साक्षी, जिसने शपथ पत्र दाखिल किया है, की प्रतिपरीक्षा आवश्यक है, वहां वह ऐसी प्रतिपरीक्षा के लिए उस साक्षी को पेश करने हेतु निदेश दे सकेगा।

225–ख – कैवियट दाखिल करना–(1) जहां इस संहिता के अधीन किसी वाद, अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में किसी प्रार्थना पत्र के दिये जाने की आशा है, उस प्रार्थना पत्र पर आक्षेप करने के अधिकार का दावा करने वाला कोई व्यक्ति या तो वैयक्तिक रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसके सम्बन्ध में उस व्यक्ति पर, जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने की आशा है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कैवियट की प्रति तामील करने के बाद न्यायालय में कैवियट दाखित कर सकता है।

(2) जहां पर कोई कैवियट दाखिल किया गया है और उसकी नोटिस तामील कर दी गयी है, वहां पर आवेदक, न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते समय, इस बात का प्रमाण देगा कि उस दिनांक, जिस पर प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है, की लिखित पूर्व सूचना कैवियेटर या उसके अधिवक्ता को दे दिया है।

(3) यदि इस धारा के अधीन कोई कैवियट दाखिल की जाती है तो उसकी प्रविष्टि कैवियट के रजिस्टर में विहित रीति से की जायेगी।

225–ग– समिति का गठन–(1) संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कलेक्टर ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी समिति, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, प्रकरणों के निस्तारण एवं व्यथाओं के निवारण में विहित रीति से सहायता करने के लिए, गठित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक समिति में एक सभापति और चार अन्य सदस्य होंगे जो विहित रीति से नामित या पदनामित किये जायेंगे:

परन्तु यह कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य होगा।

225–घ– सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी जो परगने का प्रभारी न हो, की शक्तियां–सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी जो किसी जिले के परगने का प्रभारी नहीं है, परगने के प्रभारी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को प्रदत्त सभी या कुछ शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों में कर सकता हैं, जिसे कलेक्टर समय–समय पर निपटारे के लिए उसके पास भेजे।

225–ङ–सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां–सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी ऐसे मामलों की जांच करने एवं उस पर आख्या देने के लिए प्राधिकृत है जो किसी जिले का कलेक्टर या परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर समय–समय पर जांच करने तथा उस पर प्रतिवेदन करने के लिए उसके पास भेजे।

225–च–मामलों का समेकन–(1) जहां निर्धारण के लिए सारतः समान प्रश्न से युक्त एवं समान वाद कारण पर आधारित एक से अधिक मामले भिन्न–भिन्न न्यायालयों में चल रहे हों, वहां किसी पक्षकार द्वारा ऐसे न्यायालय को प्रार्थना पत्र दिये जाने पर, जिसके अधीन सभी सम्बन्धित न्यायालय हैं, एक ही न्यायालय में अन्तरित एवं समेकित किये जायेंगे और एक ही निर्णय द्वारा निर्णीत किये जायेंगे।

(2) जहां दो या दो से अधिक वाद या कार्यवाहियां एक ही न्यायालय में विचाराधीन हैं, और वह न्यायालय इस राय का है कि न्याय के हित में समीचीन है तो वह आदेश द्वारा उनके संयुक्त परीक्षण का निदेश दे सकता है, जिस पर ऐसे सभी वाद और कार्यवाहियां सभी या किसी ऐसे वादों या कार्यवाहियों में साक्ष्य पर विनिश्चित की जा सकेंगी।''

धारा 226 का संशोधन

177–उक्त संहिता की धारा 226 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द ''पाँच सौ रुपये से कम नहीं होगा और दो हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और दस हजार रुपये'' और शब्द '' एक सौ रुपये से कम नहीं होगा और पाँच सौ रुपये से अधिक'' के स्थान पर शब्द ''पाँच सौ रुपये से कम नहीं होगा और पाँच हजार रुपये से अधिक'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "पाँच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 227 का संशोधन

178–उक्त संहिता की धारा 227 में–

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द "सीमा चिन्हों की नुकसानी या नाश" के स्थान पर शब्द "सीमा चिन्हों के नाश आदि के लिए नुकसानी" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "इस प्रकार नष्ट की गयी, क्षति पहुँचायी गयी" के स्थान पर शब्द "इस प्रकार नष्ट किये गये, क्षति पहुँचाये गये" रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 228 का संशोधन

179–उक्त संहिता की धारा 228 की उपधारा (1) में, शब्द "काम ले लाता है," के स्थान पर शब्द "काम में लाता है" और शब्द " माँगी हो" के स्थान पर शब्द " भागी हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 229 का संशोधन

180–उक्त संहिता की धारा 229 के खण्ड (ग) में, शब्द "कलेक्टर या किसी स्थानीय प्राधिकारी," के स्थान पर शब्द "कलेक्टर या किसी अन्य राजस्व अधिकारी," रख दिये जायेंगे।

धारा 230 का संशोधन

181–उक्त संहिता की धारा 230 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "उत्तरांचल" के स्थान पर शब्द "उत्तराखण्ड" रख दिया जायेगा।

धारा 231 का संशोधन

182–उक्त संहिता की धारा 231 की उपधारा (1) में, शब्द एवं विराम चिन्ह "अन्य रूप में हो," के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "अन्य रूप में हों," और शब्द एवं विराम चिन्ह "पारित न हुयी हो, तो" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "पारित न हुयी होती।" रख दिये जायेंगे।

धारा 232 का संशोधन

183–उक्त संहिता की धारा 232 की उपधारा (1) में, शब्द "परिवर्तनों" के स्थान पर शब्द "परिवर्द्धनों" रख दिया जायेगा।

धारा 233 का संशोधन

184–उक्त संहिता की धारा 233 में–

(क) उपधारा (2) में,–

(एक) खण्ड (चार) में शब्द "सीमाओं के सीमांकन" के स्थान पर शब्द "सीमाओं के निर्धारण" और शब्द "इसके लागत" के स्थान पर शब्द "उनकी लागत" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (चार) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(चार–क) उपलब्ध आधुनिक तकनीक एवं अंकीकरण प्रक्रिया के प्रयोग द्वारा सर्वे क्रिया और अभिलेख क्रिया जिसके अन्तर्गत आबादी का सीमांकन भी सम्मिलित है, के लिए प्रक्रिया;"

(ख) उपधारा (2) में,–

(एक) खण्ड (सात) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

(सात) किसान बही को तैयार करने, उसकी आपूर्ति तथा उसके अनुरक्षण की प्रक्रिया और उससे सम्बन्धित मामले जिसमें उसके लिए प्रभारित की जाने वाली फीस भी है;"

(दो) खण्ड (आठ) में शब्द "बेदखली भूमि" के स्थान पर शब्द "अनाध्यासित भूमि" और शब्द "सम्बन्धित विवाद" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित विवादों" रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (दस) में शब्द "भू–राजस्व के सिद्धान्त" के स्थान पर शब्द "भू–राजस्व के निर्धारण के सिद्धान्त" और शब्द "नियुक्ति" के स्थान पर शब्द "प्रभाजन" रख दिये जायेंगे;

(चार) खण्ड (ग्यारह) में शब्द "जिसमें लागत नियत करना और संग्रहण प्रभार भी है" के स्थान पर शब्द "जिसमें लागत और संग्रहण प्रभार नियत करना भी शामिल है" रख दिये जायेंगे;

(पाँच) खण्ड (बारह) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(बारह) लगान नियत करने और उसके संराशीकरण की प्रक्रिया जिसमें ऐसी परिस्थितियां भी शामिल है जिनमें लगान का बकाया बट्टे खाते में डाला जा सकता है;"

(छः) खण्ड (तेरह) में शब्द "भूमि प्रबन्धक" के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" और शब्द "विधि व्यवसायी" के स्थान पर शब्द "विधि व्यवसायियों" रख दिये जायेंगे;

(सात) खण्ड (चौदह) में शब्द "वाद, अपील और अन्य कार्यवाहियों" के स्थान पर शब्द "वादों, अपीलों और अन्य कार्यवाहियों" रख दिये जायेंगे;

(आठ) खण्ड (अठारह) में शब्द "कोई विशिष्ट कार्य किया जाना चाहिए" के स्थान पर शब्द "कोई कार्य किया जाना चाहिए" रख दिये जायेंगे;

(नौ) खण्ड (इक्कीस) में शब्द "पकड़ना, शिकार करना या गोली मारने" के स्थान पर शब्द "पकड़ने, शिकार करने या गोली मारने" रख दिये जायेंगे;

(दस) खण्ड (बाइस) में शब्द "नियम बनाया जाना हो या बनाया जा सकता हो" के स्थान पर शब्द "नियम बनाये जाने हों या बनाये जा सकते हों" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व निरसित किन्हीं अधिनियमन के अधीन राज्य सरकार या परिषद द्वारा बनाए गए" के स्थान पर शब्द "किन्हीं निरसित अधिनियमनों के अधीन राज्य सरकार या परिषद द्वारा इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाए गए" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (4) में, शब्द "एक हज़ार रुपये" के स्थान पर शब्द "पच्चीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 234 का संशोधन

185–उक्त संहिता की धारा 234 में–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द व विराम चिन्ह "है।" के स्थान पर शब्द व विराम चिन्ह "है–" रख दिया जायेगा;

(दो) खण्ड (क) में शब्द "वाद" के स्थान पर शब्द "वादों" एवं शब्द "राजस्व न्यायालय" के स्थान पर शब्द " राजस्व न्यायालयों" तथा शब्द एवं विराम चिन्ह "प्रक्रिया, और" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "प्रक्रिया; और" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) के अन्त में विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ";" रख दिया जायेगा और उसके पश्चात, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(घ) याचिका लेखकों को अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया;

(ङ) ऐसे अन्य मामले जो नियमावली द्वारा विहित किये जायें।"

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा को रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(3) इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रवृत्त, राजस्व न्यायालय मैनुअल, भू–अभिलेख मैनुअल, संग्रह मैनुअल और भू–राजस्व (सर्वे तथा अभिलेख संक्रिया) नियमावली, 1978, उस सीमा तक, जिस सीमा तक वे इस संहिता के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि इस धारा के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विखण्डित, परिवर्तित या प्रतिस्थापित न कर दिये जायें।"

प्रथम अनुसूची का संशोधन

186–उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची की सूची–ख के शीर्षक में, शब्द "उत्तरांचल" के स्थान पर शब्द "उत्तराखण्ड" रख दिया जायेगा।

द्वितीय अनुसूची का संशोधन

187–उक्त संहिता की द्वितीय अनुसूची में, क्रम संख्या 11, 12 और 13 के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

11.	धारा 64 या धारा 125 में उल्लिखित भूमि के आवंटन या ऐसे आवंटन या ऐसे आवंटन को रद्द किए जाने से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
12.	धारा 71 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किए गए निदेश पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।
13.	धारा 124 में उल्लिखित किसी भूमि और उसके भाग पर कब्जा दिए जाने या धारा 134 या धारा 201 के अधीन किसी व्यक्ति को बेदखल किए जाने पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।

तृतीय अनुसूची का संशोधन

188–उक्त संहिता की तृतीय अनुसूची में–

(क) धारा 35 के स्तम्भ 5 में शब्द "आयुक्त" का लोप कर दिया जायेगा;

(ख) धारा 67 के स्तम्भ 3 में शब्द "उप जिलाधिकारी" के स्थान पर शब्द "सहायक कलेक्टर" और उसके स्तम्भ 4 में, शब्द "आयुक्त" के स्थान पर शब्द "कलेक्टर" रख दिये जायेंगे;

(ग) धारा 96(2) के स्तम्भ 2 में, शब्द "अंशधारा" के स्थान पर शब्द "अंशधारी" रख दिया जायेगा;

(घ) टिप्पणी में शब्द एवं विराम चिन्ह "सहायक कलेक्टर," के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी" रख दिये जायेंगे।

चतुर्थ अनुसूची का संशोधन

189–उक्त संहिता की चतुर्थ अनुसूची में–

(क) सूची "क" में क्रम संख्या 4 पर, शब्द "बंतरा" के स्थान पर शब्द "बंतारा" रख दिया जायेगा;

(ख) सूची "क" में क्रम संख्या 7 पर, शब्द "घोतवा" के स्थान पर शब्द "धोतवा" रख दिया जायेगा;

(ग) सूची "क" में क्रम संख्या 8 पर, शब्द "धुरही" के स्थान पर शब्द "धुराही" रख दिया जायेगा;

(घ) सूची "ख" के स्थान पर निम्नलिखित सूची रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"सूची–ख" परगना भगवत के ग्रामों की सूची	
1.	बन इमलिस
2.	जरगल महल
3.	सेमरा बरहो
4.	खटखरिया
5.	कोहराडीह
6.	तालर
7.	चित बिसराम
8.	पडरवा
9.	हिनौता
10.	निबिया
11.	रामपुर बरहो
12.	सोनबरसा
13.	बिसुमपुरा
14.	खम्हरिया
15.	पुरैनिया
16.	निकरिका
17.	धनसिरिया
18.	गढ़वा

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015

190–(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) का अधिनियमन उन उनतालीस अधिनियमों का समेकन करने के लिए किया गया है जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे। तत्पश्चात् यह देखा गया कि उक्त संहिता में बहुत सी भाषाई त्रुटियाँ हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951) की धारा 122-ख की उपधारा (4-च), धारा 123, 172 और 174 के उन संशोधित उपबन्धों को भी सम्मिलित करना आवश्यक था जो वर्ष 2007 और 2008 में, अर्थात् राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा उक्त संहिता को पारित करने के पश्चात् संशोधित किये गये थे। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चय किया गया कि उक्त संहिता को संशोधित करके भाषाई त्रुटियों को ठीक किया जाय और पूर्वोक्त संशोधित उपबन्धों को सम्मिलित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान-मंडल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था। अतएव, राज्यपाल द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 369 (2)/LXXIX-V-1-16–1 (ka) 1-2016

Dated Lucknow, March 11, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh, Rajaswa Samhita (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 11, 2016 :–

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2016

[U. P. Act No. 4 of 2016]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-Seventh Year of the Republic of India as follows:–

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Act, 2016. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on December, 16, 2015.

General amendment in U.P. Act no.8 of 2012

2. In the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, hereinafter referred to as the said Code-

(a) *for* the words "Gram Sabha" wherever occurring including headings, long title, preamble, marginal headings, schedules, except in sections 4, 64, 68, 72 and 126, the words "Gram Panchayat" shall be *substituted*;

(b) *for* the words "Gram Fund", wherever occurring, the words "Gaon Fund" shall be *substituted*.

(c) in Hindi version, *for* the word "जिला" or the word "जिले" or the word "जिलों", wherever occurring, the word "ज़िला" or "ज़िले" or "ज़िलों", shall respectively be *substituted*;

(d) in Hindi version, *for* the word "गाँव", wherever occurring, the word "गांव" shall be *substituted;* and

(e) in Hindi version, *for* the word "बाकीदार" or the word "बकायादार" or the word "बकायेदार", wherever occurring, the word "व्यतिक्रमी" shall be *substituted*.

Amendment of section 1

3. In section 1 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (3), *for* the word "करें" the word "करे" shall be *substituted*.

Amendment of section 3

4. In section 3 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (3), *for* the words "उपान्तरण परिवर्तन" the words "उपान्तरण या परिवर्तन" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

5. In section 4 of the said Code-

(a) in Hindi version, in clause (8), in sub-clause (b), *for* the words "किसी कलेक्टर" the word "कलेक्टर" shall be *substituted;*

(b) in Hindi version, in clause (13), in sub-clause (4), *for* the word and punctuation mark "निर्माण;" the words and punctuation mark "निर्माण; और" and in sub-clause (v) thereof, *for* the word "पुननिर्माण" the word "पुनर्निर्माण" shall be *substituted*;

(c) in clause (16), *for* the words "Assistant Collectors, Settlement Officers, Assistant Settlement Officers, Record Officers, Assistant Record Officers, Tahsildar and Naib Tahsildar;" the words "Chief Revenue Officers, Assistant Collectors, Settlement Officers, Assistant Settlement Officers, Record Officers, Assistant Record Officers, Tahsildars, Tahsildars (Judicial) and Naib Tahsildars;" shall be *substituted*;

(d) *for* clause (17), the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(17) Revenue Officer" means the Commissioner, an Additional Commissioner, the Collector, an Additional Collector, the Chief Revenue Officer, the Sub-Divisional Officer, an Assistant Collector, the Settlement Officer, an Assistant Settlement Officer, the Record Officer, an Assistant Record Officer, the Tahsildar, the Tahsildar (Judicial), the Naib Tahsildar and the Revenue Inspector."

(e) in Hindi version, in clause (19), *for* the words "बन्द रोपण प्रणाली" the words "वनरोपण प्रणाली" shall be *substituted*;

(f) in Hindi version, in clause (20), *for* the word and punctuation mark "करें।" the word and punctuation mark "करे;" shall be *substituted;*

(g) in Hindi version, in clause (21), *for* the word and punctuation mark "है।" the word and punctuation mark "है ;" shall be *substituted*;

(h) in clause (22), *for* the words "Gaon Fund" and "GramSabha" the words "Gaon Fund", "GramSabha" and "Gram Panchayat" and for the punctuation mark '.' the punctuation mark ';' shall be *substituted*;

(i) *after* clause (22), the following clauses shall be *inserted,* namely:-

"(23) 'agricultural year' means an year which begins from first day of July and ends on thirtieth day of June of a calendar year. It is also characterised as 'fasli year';

(24) 'intermediary' with reference to any estate means a proprietor, under-proprietor, sub-proprietor, thekedar, permanent lessee in Avadh and permanent tenure-holder of such estate or part thereof;

(25) 'lease' in relation to mines and minerals shall include a sub-lease, a prospecting lease and an agreement to lease or sublet, and 'lessee' shall be construed accordingly;

(26) 'decree' shall have the meaning assigned to it in section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no.V of 1908);

(27) 'State Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(28) 'Central Government' shall have the meaning assigned to it in section 3 of the General Clauses Act, 1897 (Act no.X of 1897);

(29) 'Minjumla number' means a shajra number denoting a component part of a field which has theoretically been partitioned but physically has not been partitioned."

Amendment of section 5

6. In section 5 of the said Code, *for* the words "the State shall be divided into revenue areas comprising divisions which may consist of one or more districts, and each district may consist of one or more Tahsils and each Tahsil may consist of one or more pargana, and each pargana may consist of two or more villages." the words "the State shall be divided into revenue areas comprising of divisions which may consist of two or more districts, and each district may consist of two or more Tahsils and each Tahsil may consist of one or more parganas, and each pargana may consist of two or more villages." shall be *substituted.*

Amendment of section 6

7. In section 6 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in sub-section (1), at the end of clause (three), *for* the punctuation mark ";" the punctuation mark" |" shall be substituted;

(b) in sub-section (3), *for* the words "निरीक्षक के मुख्यालयों" the words "निरीक्षक के मुख्यालय" shall be *substituted.*

Amendment of section 7

8. In section 7 of the said Code-

(a) sub-section (2) shall be *omitted.*

(b) in sub-section (3),-

(i) in Hindi version, in clause (a), *for* the words and punctuation mark "जब तक कि उसने ऐसा पद धारण किया हो जो आयुक्त के पद से निम्न श्रेणी का न हो।" the words and punctuation mark "जब तक कि उसने आयुक्त के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो ;"shall be *substituted;*

(ii) in clause (b), *for* the words 'unless he has been a revenue officer' the words 'unless he has held an office not below the rank of a Collector' shall be *substituted;*

(c) in Hindi version, in sub-section (4), *for* the words "न्यायिक कारबार" the words "न्यायिक कार्य" shall be *substituted.*

Amendment of section 8

9. In section 8 of the said Code in sub-section (1), *for* clause (a), the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(a) in all matters relating to disposal of cases, appeals or revisions; and"

Amendment of section 10

10. In section 10 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in sub-section (2), *for* the words "विभाजित हो" the words "विभाजित हों" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (3), *for* the words "मण्डल पीठ" the words "खण्ड पीठ" shall be *substituted.*

Amendment of section 11

11. In section 11 of the said Code-

(a) in sub-section (1), *for* the words "being in force."the words "being in force, and shall exercise authority over all the revenue officers in his division." shall be *substituted;*

(b) in Hindi version, *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely-

"(2) राज्य सरकार एक या उससे अधिक मण्डलों में एक या उससे अधिक अपर आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है।"

(c) *after* sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(5) The State Government may, at the time of making the appointment or at any time subsequent thereto, designate any Additional Commissioner, as Additional Commissioner (Judicial), and any such Additional Commissioner (Judicial) shall be allotted only judicial business. Such an Additional Commissioner (Judicial) shall exercise such powers and discharge such duties of Commissioner in such cases or classes of cases as the State Government, or in the absence of any direction from the State Government, the Commissioner of the Division, may direct."

Amendment of section 12

12. In section 12 of the said Code, *after* sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(5) The State Government may, at the time of making the appointment or at any time subsequent thereto, designate any Additional Collector, as Additional Collector (Judicial), and any such Additional Collector (Judicial) shall be allotted only judicial business. Such an Additional Collector (Judicial) shall exercise such powers and discharge such duties of Collector in such cases or classes of cases as the State Government, or in the absence of any direction from the State Government, the Collector of the District, may direct."

Amendment of section 13

13. In section 13 of the said Code-

(a) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted,* namely :-

"(1) The State Government may appoint in each district as many persons as it thinks fit to be Assistant Collectors of the first or second class"

(b) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(2) The State Government may place an Assistant Collector first class in-charge of one or more sub-divisions of a district, and such an officer shall be called the Assistant Collector first class in-charge of a sub-division or a Sub-Divisional Officer."

(c) in sub-section (4), *for* the words "Assistant Collector"the words "Assistant Collector first class" shall be *substituted*;

(d) *after* sub-section (5), the following sub-section shall be *inserted,* namely :-

"(6) The State Government may, at the time of making the appointment or at any time subsequent thereto, designate any Assistant Collector first class, as Sub-Divisional Officer (Judicial) for one or more tahsils, and any such Sub-Divisional Officer (Judicial) shall be allotted only judicial business. Such a Sub-Divisional Officer (Judicial) shall exercise such powers and discharge such duties of a Sub-Divisional Officer in such cases or classes of cases as the State Government, or in the absence of any direction from the State Government, the Collector, may direct."

Amendment of section 16

14. In section 16 of the said Code,in Hindi version, *for* the words "विनिर्दिष्ट करें,"wherever occurring, the words"विनिर्दिष्ट करे," shall be *substituted*.

Amendment of section 18

15. In section 18 of the said Code, *for* sub-section (2), the following sub-sections shall be *substituted* and *inserted*, namely :-

"(2) If the officer or other person aforesaid does not comply as directed, the Collector shall impose a penalty of two hundred and fifty rupees each day till the direction is complied with, so however, total amount of such penalty shall not exceed twenty five thousand rupees:

Provided that the officer or other person, as the case may be, shall be given a reasonable opportunity of hearing before any penalty is imposed on him.

(3) Imposition of penalty under sub-section (2) shall not bar the prosecution for any offence or recovery of money, papers and other government property under any law for the time being in force.

Amendment of section 20

16. In section 20 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words "सर्वे संख्याओं" the words"सर्वे गाटा संख्याओं" and *for* the word "जायेगी" the word"जायेंगी" shall be *substituted.*

Amendment of section 22

17. In section 22 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words "लेखपाल के हल्के" the words"लेखपाल के हलके" shall be *substituted*.

Amendment of section 24

18. In section 24 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (1), *for* the word "स्व–प्रेरणा"the word"स्वप्रेरणा" and for the words "जाँच द्वारा विनिश्चय कर सकता है" the words "जाँच द्वारा कर सकता है" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (3), *for* the words "six months"the words"three months" shall be *substituted.*

Amendment of section 25

19. In section 25 of the said Code, in Hindi version, *for* the words "अवरोधों के निराकरण" the words"अवरोधों को हटाने" and for the words"ऐसे निराकरण की लागत"the words "ऐसे अवरोधों को हटाने की लागत" shall be *substituted.*

Amendment of section 26

20. In section 26 of the said Code, in Hindi version, *for* the words "ग्राम सभा" the word"गांव" shall be *substituted.*

Amendment of section 27

21. In section 27 of the said Code, *for* the punctuation mark '.' the punctuation mark ':' shall be *substituted* and thereafter the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided that no application under this section shall be entertained after the expiry of a period of thirty days from the date of the order sought to be revised."

Amendment of section 30

22. Section 30 of the said Code shall be re-numbered as sub-section (1) thereof and *after* sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(2) The minjumla number shall be divided physically in the manner prescribed and revenue records including map and khasra shall be corrected accordingly."

Amendment of section 31

23. (a) Section 31 of the said Code, shall be re-numbered as sub-section (1) thereof;

(b) in sub-section (1), as so re-numbered,-

(i) in clause (b), *for* the words "respective interests" the words "respective interests including shares" shall be *substituted*;

(ii) in Hindi version, in clause (b), *for* the words "दायित्वों या शर्तें," the words "दायित्व या शर्तें," shall be *substituted*;

(iii) in clause (d), *for* the words "State Government, Gram Sabha"the words"State Government, Central Government, Gram Panchayat" shall be *substituted*;

(c) *after* sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(2) Shares of the co-tenureholders shall be determined in the manner prescribed."

Amendment of section 32

24. In section 32 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words "समस्त संव्यवहार"the words"समस्त संव्यवहारों" shall be *substituted;*

(b) at the end of sub-section (1), *for* the punctuation mark "." the punctuation mark":" shall be *substituted* and thereafter the following proviso shall be *inserted*, namely :-

"Provided that order for correction in map shall be passed by the Collector."

Amendment of section 33

25. In section 33 of the said Code-

(a) in sub-section (2), the clause (c) shall be re-numbered as sub-section (3) and in sub-section (3), as so re-numbered, *for* the words "under clause (a) or (b)" the words "under clause (a) or (b) of sub-section (2)" shall be *substituted;*

(b) the existing sub-section (3) shall be re-numbered as sub-section (4).

Amendment of section 34

26. In section 34 of the said Code-

(a) in Hindi version, in the marginal heading, *for* the word "मामले" the word "मामलों"shall be *substituted*;

(b) the provision appearing before explanation shall be re-numbered as sub-section (1) and in the explanation the words "or an exchange of holdings or parts thereof" shall be *omitted*;

(c) in Hindi version, in the explaination to sub-section (1), *for* the word "परिवार" the word "पारिवारिक" shall be *substituted*;

(d) *after* explanation to sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(2) State Government may fix a scale of fees for getting entry recorded in the record of rights on the basis of transfer. A fee in respect of any such entry shall be payable by the person in whose favour the entry is to be made."

Amendment of section 35

27. In section 35 of the said Code-

(a) in sub-section (1),-

(i) clause (b) shall be *omitted*;

(ii) *for* clause (c), the following clause shall be *substituted,* namely :-

"(c) if the case is disputed, he shall decide the dispute and direct, if necessary, the record of rights (khatauni) to be amended accordingly."

(b) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted,* namely :-

"(2) Any person aggrieved by an order of the Tahsildar under sub-section (1) may prefer an appeal to the Sub-Divisional Officer within a period of thirty days from the date of such order."

Amendment of section 36

28. In section 36 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words "रजिस्ट्रीकृत कराया गया है या कराया गया समझा गया है" the words "रजिस्ट्रीकृत कराया गया है" shall be *substituted*.

Amendment of section 38

29. In section 38 of the said Code-

(a) *after* sub-section (1) and before the Explanation, *for* sub-section (2), sub-section (3) and sub-section (4), the following sub-sections shall be *substituted* and *inserted*, namely :-

"(2) On receiving an application under sub-section (1) or on any error or omission otherwise coming to his knowledge, the Tahsildar shall make such inquiry as may appear to him to be necessary, and refer the case along with his report to the Collector in the case of map correction and to the Sub-Divisional Officer in matter of other correction.

(3) The case shall be decided by the Collector or the Sub-Divisional Officer, as the case may be, after considering any objection filed and evidence produced before him or before the Tahsildar.

(4) Any person aggrieved by an order of the Collector or the Sub-Divisional Officer, as the case may be, under sub-section (3), may prefer an appeal to the Commissioner within a period of thirty days from the date of such order, and the decision of the Commissioner shall be final.

(5) Any forged or manipulated entry in the map, the khasra or the record of rights (khatauni) may be expunged under this section.

(6) Notwithstanding anything contained in other provisions of this Code, the Revenue Inspector may correct any undisputed error or omission in the record of rights (khatauni) or *khasra* in such manner and after making such inquiry, as may be prescribed."

(b) in Hindi version, in the explanation, *for* the words "लोप को सुधार" the words "लोप का सुधार" shall be *substituted*.

Amendment of section 39

30. In section 39 of the said Code, *for* the words "sub-section (2) of section 35 or sub-section (4) of section 38" the words "sub-section (4) of section 38" shall be *substituted*.

Amendment of section 40

31. In section 40 of the said Code, *for* the words "in the village map field book (Khasra) and record of right (Khatauni)" the words "in the record of rights (Khatauni)" shall be *substituted*.

Amendment of section 41

32. In section 41 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (3), *for* the words "सह–खातेदारों को दी जाय।"the words"सह–खातेदारों को दी जाय जो इसके लिये आवेदन करें।"shall be *substituted*;

(b) in Hindi version, *for* sub-section (4), the following section shall be *substituted*, namely-

"(4) खातेदार किसान बही के लिए ऐसा मूल्य ऐसी रीति से भुगतान करने का उत्तरदायी होगा, जैसी विहित की जाय।"

(c) in sub-section (6), the words "Only the original Kisan Bahi and not a duplicate shall be produced by a tenure holder to such institution for the purpose" shall be *omitted*;

(d) in Hindi version, in sub-section (7), *for* the words "किसी अन्य रीति चाहे जो भी हो, अन्तरित किया है"the words "किसी अन्य रीति चाहे जो भी हो से, अन्तरित किया है" shall be *substituted*.

Amendment of section 43

33. In section 43 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words "अभिलेख क्रियाओं या सर्वेक्षण क्रियाओं"the words "अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया"shall be *substituted*;

(b) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(2) The State Government may, by notification in the *gazette*, order that a survey operation or a record operation of abadi or village abadi or both shall be made in the manner prescribed."

(c) *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted,* namely :-

"(3) The State Government may, by a subsequent notification, amend or cancel the notification issued under sub-section (1) or sub-section (2), or declare the operation to be closed."

Amendment of section 44

34. In section 44 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words " अभिलेख क्रियाओं या सर्वेक्षण या दोनों का प्रभारी होगा और उतने सहायक अभिलेख अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है जितनी वह उचित समझें।" the words "अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया या दोनों का प्रभारी होगा और उतने सहायक अभिलेख अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है, जितने वह उचित समझे।" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (2), *for* the words and figures"sub-section (1) of section 43" the words and figures "sub-section (1) or sub-section (2) of section 43" shall be *substituted.*

Amendment of section 45

35. In section 45 of the said Code, in Hindi version, in the marginal heading, *for* the words "अभिलेख सर्वेक्षण क्रिया" the words "अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया" shall be *substituted.*

Amendment of section 46

36. In section 46 of the said Code, *for* the words "the record of rights (khatauni)" the words "the record of rights (khatauni) or the record of abadi or village abadi" shall be *substituted.*

Amendment of section 47

37. In section 47 of the said Code, *for* the words"the field book (Khasra) andthe record of rights (Khatauni)" the words "the field book (Khasra) and the record of rights (Khatauni) or the record of abadi or village abadi, as the case may be" shall be *substituted.*

Amendment of section 48

38 In section 48 of the said Code, in Hindi version, *for* the words"सीमा चिन्ह" wherever occurring, the words"सीमा चिन्हों" and *for* the words "गांवों और क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए" the words "गांवों और क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित करने के लिए" shall be *substituted.*

Amendment of section 49

39. In section 49 of the said Code-

(a) in Hindi version,-

(i) in sub-section (2), *for* the words "गल्तियों" the words "त्रुटियों" and *for* the words "भूलों और विवाद का उल्लेख" the words "भूलों और विवादों का उल्लेख" shall be *substituted*;

(ii) *for* sub-section (5), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(5) नायब तहसीलदार –

(क) जहां उपधारा (3) और उपधारा (4) के अनुसार आपत्तियां प्रस्तुत की जायं, वहाँ सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई करने के पश्चात; और

(ख) किसी अन्य स्थिति में, ऐसी जाँच करने के पश्चात, जिसे वह आवश्यक समझे;

भूल का सुधार करेगा और अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवाद का निपटारा करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आदेश देगा।"

(b) in sub-section (8), *for* the words "may prefer an appeal to the Record Officer in the manner prescribed" the words "may prefer an appeal within thirty days from the date of such order to the Record Officer in the manner prescribed" shall be *substituted.*

Amendment of section 52

40. In section 52 of the said Code-

(a) the existing provision of section 52 shall be re-numbered as sub-section (1);

(b) in Hindi version, in sub-section (1), as so re-numbered, *for* the words "होगें" the words "होंगे" shall be *substituted;*

(c) *after* sub-section (1), as so re-numbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(2) The provisions of this Chapter shall, *mutatis mutandis,* apply to record operation and survey operation of abadi or village abadi."

Amendment of section 53

41. In section 53 of the said Code, in Hindi version, *for* the words "उपधारित की जायेगी" the words "उपधारित की जायेंगी" shall be *substituted.*

Amendment of section 54

42. In section 54 of the said Code, in Hindi version, *for* the words and punctuation mark"जल और समस्त, भूमि" the words "जल और समस्त भूमि" and in the proviso, *for* the words"बात से किसी ऐसी सम्पत्ति पर निर्भर रहने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से तत्काल पूर्व प्रभावित नहीं समझे जायेंगे।" the words "किसी बात से, किसी ऐसी सम्पत्ति पर इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले, विद्यमान किसी व्यक्ति के अधिकार, प्रभावित नहीं समझे जायेंगे।" shall be *substituted.*

Amendment of section 55

43. In section 55 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words "(विनियमन और विकास)" the words "(विकास और विनियमन)" shall be *substituted;*

(b) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(2) Every lessee of building or land, leased or deemed to have been leased out by the State Government under any of the enactments repealed by this Code, for the purposes connected with the working or extraction of any mine or mineral, and operating on the date of commencement of this Code, shall, subject to the terms and conditions of the lease aforesaid, continue to retain possession thereof on payment of such rent as was in force on the date of such commencement."

Amendment of section 56

44. In section 56 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in sub-section (1), *for* the words "ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित समझा जाएगा" the words "ऐसे व्यक्ति का समझा जाएगा" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), *for* the words "ऐसे व्यक्तियों से संयुक्त रूप से सम्बन्धित समझा जाएगा जो ऐसी सीमा के प्रत्येक ओर जोतों को धारण करते हों" the words "ऐसे व्यक्तियों का संयुक्त रूप से समझा जाएगा जो ऐसी सीमा के किसी ओर जोतों को धारण करते हों" shall be *substituted*;

(c) in sub-section (4), *for* the words and punctuation marks"वृक्षों झाड़ जंगल,जंगल या अन्य प्राकृतिक उत्पाद, जहाँ कहीं उगे हों या आरोपित हों," the words and punctuation marks "वृक्षों, झाड़, जंगल,या अन्य प्राकृतिक उत्पाद, जहाँ कहीं उगे हों या रोपित हों," shall be *substituted.*

Amendment of section 57

45. In section 57 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in sub-section (1), *for* the words "यथास्थिति किसी तहसीलदार या किसी सहायक वन संरक्षक या किसी सहायक अभियन्ता की श्रेणी" the words "यथास्थिति तहसीलदार या सहायक वन संरक्षक या सहायक अभियन्ता की श्रेणी"shall be *substituted;*

(b) in sub-section (1) and in sub-section (2), *for* the words "नहर के प्रत्येक ओर' the words "नहर के किसी ओर" shall be *substituted*;

(c) in sub-section (2), for the words "कोई व्यक्ति या कलेक्टर" the words and punctuation mark"कोई व्यक्ति, कलेक्टर"shall be *substituted*.

Amendment of section 58

46. In section 58 of the said Code, in sub-section (2), *for* the figure and word "2 months" the words "thirty days"shall be *substituted.*

Amendment of section 59

47. In section 59 of the said Code, in Hindi version-

(a) in sub-section (2),-

(i) in clause (two), *for* the words "सेक्टर मार्गों"the words"सेक्टर मार्ग" shall be *substituted*;

(ii) in clause (six), *for* the words "निरवात निधि" the words "निखात निधि"and for the punctuation mark ";" the punctuation mark "।" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (3), in clause (a) and clause (b), *for* the punctuation mark"," the punctuation mark ";" shall be *substituted*;

(c) in sub-section (4),-

(i) in clause (b), *for* the words "अन्य चीज स्थानीय प्राधिकरण को अन्तरित कर" the words "अन्य चीज को किसी अन्य ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को अन्तरित कर" shall be *substituted*;

(ii) in clause (c), *for* the words "ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर जैसी कि विहित की जाय वापस ले सकती है" the words "ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर जैसी कि विहित की जाएं वापस ले सकती है" shall be substituted.

Amendment of section 61

48. In section 61 of the said Code, in Hindi version, *for* the explanation, the following explanation shall be *substituted*, namely:-

"स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "तालाब" में तालाब, पोखर, तड़ाग और जल से आच्छादित अन्य भूमि भी है।"

Amendment of section 63

49. In section 63 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (1), in clause (b), *for* the word and punctuation mark "भूमि;"the word and punctuation mark "भूमि।" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2),-

(i) in clause (a), *for* the words and figure "any land referred to in sub-section (1)" the words and figure "any vacant land referred to in sub-section (1)" shall be *substituted*;

(ii) *for* clause (c), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(c) any land acquired under the provisions of Land Acquisition Act, 1894 (Act no.1 of 1894) and The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no.30 of 2013)."

Amendment of section 64

50. In section 64 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (3), *for* the words "ऐसी निबन्धन और शर्तों पर धारित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।" the words and punctuation mark "'ऐसे निबन्धन और शर्तों पर धारित किया जाएगा जो विहित की जायें।" shall be *substituted*;

(b) at the end of sub-section (3), *for* the punctuation mark "." the punctuation mark ":"shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted:-

"Provided that if the allottee is a married man and his wife is alive, she shall be co-allottee of equal share in the land so allotted."

Amendment of section 65

51. In section 65 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in sub-section (2), *for* the words "खाली कराये जाने के पश्चात " the words"' बेदखल कराये जाने के पश्चात" and in the proviso, *for* the words "दोषी को" the words "अभियुक्त को" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (3),-

(i) *for* the words and figure "जहां उक्त उपधारा (2)" the words and figure "जहां उपधारा (2)" and *for* the words "शपथ–पत्र या अन्यथा द्वारा" the words "शपथ–पत्र द्वारा या अन्यथा" shall be *substituted*;

(ii) in clause (a) and clause (b), *for* the words "दोषी व्यक्ति" the word "अभियुक्त" shall be *substituted*;

(c) in sub-section (4) and sub-section (5), *for* the words "दोषी व्यक्ति" the word "अभियुक्त"shall be *substituted*;

(d) in sub-section (7), *for* the words "परगना मजिस्ट्रेट" the words "उप ज़िला मजिस्ट्रेट" shall be *substituted*.

Amendment of section 66

52. In section 66 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words and figure "कलेक्टर स्वप्रेरणा से और धारा 64 के अधीन किये गये भूमि के किसी आवंटन द्वारा क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आवंटन की विहित रीति से जांच कर सकता है" the words and figure "कलेक्टर धारा 64 के अधीन किये गये भूमि के किसी आवंटन की विहित रीति से जांच कर सकता है और ऐसे आवंटन द्वारा क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आवंटन की विहित रीति से जांच करेगा" shall be *substituted*.

Amendment of section 67

53. In section 67 of the said Code-

(a) *for* the words "Sub-Divisional Officer" wherever occurring, the words "Assistant Collector" shall be *substituted*;

(b) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(2) Where from the information received under sub-section (1) or otherwise, the Assistant Collector is satisfied that any property referred to in sub-section (1) has been damaged or misappropriated, or any person is in occupation of any land referred to in that sub-section in contravention of the provisions of this Code, he shall issue notice to the person concerned to show cause why compensation for damage, misappropriation or wrongful occupation not exceeding the amount specified in the notice be not recovered from him and why he should not be evicted from such land."

(c) in Hindi version,-

(i) in sub-section (3), *for* the words "बकाये के रूप में की जा सकती है।"the words "बकाये के रूप में की जाय।"shall be *substituted*;

(ii) in sub-section (5), *for* the words "अपील करेगा"the words "अपील कर सकता है"shall be *substituted*;

(iii) in sub-section (6), *for* the words and punctutation mark "होगा, और" the word and punctuation mark "होगा।" shall be *substituted*.

Insertion of new section 67-A

54. *After* section 67 of the said Code,the following section shall be *inserted*, namely :-

"67–A. Certain house sites to be settled with existing owners thereof. - (1) If any person referred to in sub-section (1) of section 64 has built a house on any land referred to in section 63 of this Code, not being land reserved for any public purpose, and such house exists on the November 29,2012, the site of such house shall be held by the owner of the house on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) Where any person referred to in sub-section (1) of section 64, has built a house on any land held by a tenure holder (not being a government lessee) and such house exists on November 29, 2000, the site of such house, notwithstanding anything contained in this Code, be deemed to be settled with the owner of such house by the tenure holder on such terms and conditions as may be prescribed.

Explanation:–For the purpose of sub-section (2), a house existing on November 29, 2000, on any land held by a tenure holder, shall, unless the contrary is proved, be presumed to have been built by the occupant thereof and where the occupants are members of one family by the head of that family."

Amendment of section 69

55. In section 69 of the said Code-

(a) in Hindi version,-

(i) in sub-section (3) in clause (a), *for* the word "नियुक्ति"the word "नियुक्त"and in clause (c) *for* the words "समान उपयोगिता"the words "सामान्य उपयोगिता"shall be *substituted*;

(ii) in sub-section (4), *for* the words "इसके प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व समेकित ग्राम निधियों" the words "इसके प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व विद्यमान रहने वाली समेकित गांव निधियों"shall be *substituted*;

(b) *after* sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted*, namely-

"(5) The State Government may, by notification in the gazette, direct that a Consolidated Gaon Fund shall be established also for each tahsil for the purpose and in the manner prescribed."

Amendment of section 70

56. In section 70 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (2), *for* the words and figure "वे तत्काल आदेशों को कार्यान्वित करें और उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये निदेशों का अनुपालन करें" the words and figure "वे तत्काल उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये आदेशों को कार्यान्वित करें और निदेशों का अनुपालन करें" shall be *substituted*.

Amendment of section 71

57. In section 71 of the said Code-

(a) in Hindi version, in clause (a), *for* the words "क्षमा याचना के बिना" the words "प्रतिहेतु के बिना" shall be *substituted*;

(b) in clause (c), *for* the punctuation mark "."the punctuation mark ":"shall be *substituted* and thereafter the following proviso shall be *inserted,* namely :-

"Provided that reasonable opportunity of hearing shall be given to the Bhumi Prabandhak Samiti before issuing any direction under this section."

(c) in Hindi version, at the end of section 71 *for* the words "जैसा कि विहित किया जाय" the words "जिन्हें कि विनिर्दिष्ट किया जाय।" shall be *substituted*.

Amendment of section 72

58. In section 72 of the said Code-

(a) in sub-section (1),-

(i) in Hindi version, *for* the word"निर्बन्धन"the word"निबन्धन" shall be *substituted*;

(ii) in clause (a), *for* the words "one Standing Counsel (Revenue)" the words "one or more Standing Counsel (Revenue)" shall be *substituted*;

(iii) in clause (b), *for* the words "one Standing Counsel (Revenue)" the words "one or more Standing Counsel (Revenue)" shall be *substituted*;

(iv) in clause (c), *for* the words and punctuation marks "one Divisional Government Counsel (Revenue) for the divisional head –quarters; and" the words and punctuation marks"one or more Divisional Government Counsel (Revenue) for the divisional head-quarters; and" shall be *substituted;*

(v) in clause (d), *for* the words "one District Government Counsel (Revenue) for the district head quarters" the words"one District Government Counsel (Revenue) and one or more Additional District Government Counsel (Revenue)for the district head-quarters" shall be *substituted*;

(b) in Hindi version, in sub-section (2), *for* the words "निर्बन्धन और शर्तों"the words "निबन्धन और शर्तों" and *for* the word "जैसा" the word"जैसी" shall be *substituted*;

(c) in sub-section (4), *for* the words "Gram Sabha, Panchayat or Bhumi Prabandhak Samiti"the words"Gram Sabha, Gram Panchayat or Bhumi Prabandhak Samiti"shall be *substituted*;

(d) in Hindi version, in sub-section (5), *for* the words "विधि व्यवसायी द्वारा"the words "किसी विधि व्यवसायी द्वारा दाखिल"shall be *substituted*;

(e) after sub-section (6), the following sub-section shall be *inserted*, namely :–

"(7)The State Government may, by notification in the Gazette, issue any direction, for monitoring of cases filed by or against Gram Panchayat, Gram Sabha or Bhumi Prabandhak Samiti and for performance based annual appraisal of Panel Advocates appointed under this Code or the enactments repealed by it, and also for appointing any law officer for the aforesaid purpose."

Amendment of section 76

59. In section 76 of the said Code-

(a) in sub-section (1),-

(i) *for* clause (c) and clasue (d), the following clauses shall be *substituted*, namely:-

"(c) every person who is allotted any land on or after the said date under the provisions of the Uttar Pradesh Bhoodan Yojna Act, 1952;

(d) every person who is allotted any land on or after the said date under the provisions of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960;"

(ii) *after* clause (d), the following clause shall be *inserted,* namely :–

"(dd) every person who was an asami in possession of land not covered by section 77 of this Code, immediately before the date of the commencement of this Code and had been recorded as such in class-3 of the annual register (khatauni) of 1407 Fasli :

Provided that where the land in possession of a person, together with any other land, held by him in Uttar Pradesh exceeds the ceiling area determined under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, the rights of a Bhumidhar with non-transferable rights shall accrue in favour of such person in respect of so much area of the first mentioned land, as together with such other land held by him, does not exceed the ceiling area applicable to him, and the said area shall be demarcated in the prescribed manner in accordance with the principles laid down in the aforesaid Act;"

(b) in sub-section (2), *for* the words "ten years" the words "five years" shall be *substituted*;

(c) in Hindi version, *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(3) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रारम्भ पर असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा।"

(d) in sub-section (4),-

(i) *for* the words and figures "under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3)" the words and fugures "under sub-section (2) or sub-section (3)" shall be *substituted*;

(ii) in Hindi version, *for* the words and figure "जोत आरोपण अधिनियम, 1960"the words and figure"जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960" shall be *substituted*.

Amendment of section 77

60. In section 77 of the said Code-

(a) the existing provision shall be re-numbered as sub-section (1);

(b) in Hindi version, in sub-section (1), as so renumbered, in clause (f) and clause (g), *for* the words "किसी अन्य प्राधिकारी" the words "किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी" shall be *substituted*;

(c) the proviso to sub-section (1), as so renumbered, shall be *omitted* and after explanation, the following sub-sections shall be *inserted,* namely :-

"(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in other provisions of this Code, where, any land or part thereof specified in sub-section (1) of this section is, surrounded by or, in between, the plot or plots of land purchased, acquired or resumed for public purpose, the State Government may, change the class of such public utility land, and if the class of such public utility land is changed, any other land equivalent to or more than that of public utility land aforesaid, shall be reserved for the same purpose in the same Gram Panchayat or other local authority, as the case may be or State Government may permit the exchange thereof under section 101 of this Code, in the manner prescribed:

Provided that the class of any public utility land may be changed only in exceptional cases on such terms and conditions, as may be prescribed. The reason for changing the class of public utility land shall be recorded in writing.

(3) The State Government, while changing the class of the land or permiting the exchange of the same under section 101 of the Code, shall consider the location, public utility and suitability of the land proposed to be reserved or exchanged.

(4) If class of land is changed under sub-section (2) of this section, the Collector shall order the record of rights (Khatauni) and the map to be corrected accordingly.

Explanation:- The expression 'public purpose', in sub-section (2) of this section means, *mutatis mutandis,* 'the public purpose' as defined in clause (za) of section 3 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no.30 of 2013)."

Amendment of section 78

61. In section 78 of the said Code-

(a) *for* clause (a), the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(a) subject to the provisions of clause (dd) of sub-section (1) of section 76 of this Code, every person who was an asami immediately before the date of commencement of this Code;"

(b) in Hindi version, in clause (b), *for* the words "असामी के रूप में कोई भूमि स्वीकार की गयी हो" the words "असामी स्वीकार किया गया हो" shall be substituted.

Amendment of section 80

62. In section 80 of the said Code-

(a) *for* the heading and sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"80-Use of holding for Industrial, Commercial or Residential purposes.-(1) Where a bhumidhar with transferable rights uses his holding or part thereof, for industrial, commercial or residential purposes, the Sub Divisional Officer may, *suo motu* or on an application moved by such bhumidhar, after making such enquiry as may be prescribed, either make a declaration that the land is being

used for the purpose not connected with agriculture or reject the application. The Sub-Divisional Officer shall state the reasons in writing of such declaration or rejection and inform the applicant of his decision within forty five working days from the date of receipt of the application :

Provided that no such declaration under this section shall be made merely on the ground that the holding or part thereof is surrounded by boundary wall or is "Parti" on the spot:

Provided further that no application for the declaration under this sub-section moved by any co-bhumidhar having undivided interest in Bhumidhari land shall be maintainable, unless application is moved by all the co-bhumidhars of such bhumidhari land or their interests therein are divided in accordance with provisions of law."

(b) in Hindi version, in sub-section (4), *for* the words "सार्वजनिक उत्पात" the words "सार्वजनिक न्यूसेन्स"shall be *substituted*;

(c) *after* sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(5) The State Government may fix the scale of fees for declaration under this section and different fees may be fixed for different purposes:

Provided that if the applicant uses the holding or part thereof for his own residential purpose, no fee shall be charged for the declaration under this section."

Amendment of section 81

63. In section 81 of the said Code-

(a) in Hindi version, *for* the words and punctuation mark"परिणाम सुनिश्चित किये जायेंगे।" the words and punctuation mark "परिणाम होंगेः—"shall be substituted;

(b) at the end of clause (a), for the punctuation mark "." the punctuation mark ";" shall be *substituted*;

(c) in Hindi version, in clause (b), *for* the words "अध्याय नौ" the words"अध्याय ग्यारह", for the words "कृषि वर्ग" the words"कृषि वर्ष" and *for* the word "दिंनाक" the word"दिनांक" shall be *substituted*.

Amendment of section 82

64. In section 82 of the said Code-

(a) in sub-section (1), *for* the words "any purpose other than a purpose connected with agriculture," the words "any purpose connected with agriculture,"shall be *substituted*;

(b) in Hindi version, in sub-section (2),-

(i)in proviso to clause (b), *for* the word"पुनर्निधारित"the word "पुनर्निर्धारित" shall be *substituted*;

(ii) in clause (c), *for* the words"इस संविदा के उपबन्धों"the words "इस संहिता के उपबन्धों" shall be *substituted*;

(iii) in proviso to clause (c), *for* the words"प्रतिभूति देय"the words "देय एवं प्रतिभूत" shall be *substituted*.

Amendment of section 83

65. *For* section 83 of the said Code, the following section shall be *substituted*, namely :-

"83. Every declaration under section 80 or cancellation under section 82 shall be recorded in record of rights in the manner as may be prescribed and, even after declaration under section 80, the mutation order on the basis of transfer or succession shall be passed in the manner prescribed."

Amendment of section 84

66. In section 84 of the said Code, in Hindi version, in the proviso, *for* the words "टौगिया बागान" the words "टौंगिया बागान" shall be *substituted*.

Amendment of section 85

67. In the section 85 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in sub-section (1), *for* the words "वाद के आधार पर" the words "वाद पर"shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), *for* the words "इस संहिता किसी" the words "इस संहिता के किसी" and *for* the words "वाद के आधार पर" the words "वाद पर" shall be *substituted;*

(c) in sub-section (3), *for* the words "कार्य के लागत" the words "कार्य की लागत" and for the word"क्षतियों" the word"क्षति" shall be *substituted.*

Amendment of section 89

68. In section 89 of the said Code-

(a) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(2) Subject to the provisions of sub-section (3), no person shall have the right to acquire by purchase or gift any holding or part thereof from a bhumidhar with transferable rights, where the transferee shall, as a result of such acquisition, become entitled to land which together with land, if any, held by such transferee and where the transferee is a natural person, also together with land, if any, held by his family shall exceed 5.0586 hectares in Uttar Pradesh."

(b) in Hindi version, in sub-section (3), *for* the words "अन्य निगम, शिक्षण संस्था" the words "अन्य निगम या शिक्षण संस्था" shall be *substituted.*

Amendment of section 90

69. In section 90 of the said Code, in Hindi version, *for* the words "रीति में" the words "रीति से"shall be *substituted.*

Amendment of section 92

70. In section 92 of the said Code-

(a) in the marginal heading, *for* the words "Mortgage and gift of land by bhumidhar with non-transferable rights" the words "Mortgage of land by bhumidhar with non-transferable rights" shall be *substituted*;

(b) in Hindi version, in clause (a), *for* the words "ऐसी सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन एवं नियंत्रित" the words"ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन एवं नियंत्रणाधीन" shall be *substituted.*

Amendment of section 94

71. In section 94 of the said Code, in Hindi version, in clause (b), *for* the words "कृषि में प्रशिक्षण देने वाले" the words "कृषि में प्रशिक्षण देने वाली" shall be *substituted.*

Amendment of section 95

72. In section 95 of the said Code, in sub-section (1),-

(a) in Hindi version,-

(i) *for* the words "किसी ग्राम सभा से प्राप्त भूमि धारण करने वाला कोई भूमिधर या असामी" the words "कोई भूमिधर या ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि धारण करने वाला कोई असामी"shall be *substituted*;

(ii) in clause (e), *for* the words and punctuation marks "या अपने पति के सम्बन्धियों की क्रूरता के कारण पृथक् से रह रही हो या उसका पति वर्ग (क), (ख) वर्ग (छ) या वर्ग (ज) का हो;" the words and punctuation marks "या अपने पति या अपने पति के सम्बन्धियों की क्रूरता के कारण पृथक् रह रही हो या उसका पति वर्ग (क), वर्ग (ख), वर्ग (छ) या वर्ग (ज) का हो;"shall be *substituted*;

(b) in clause (g), *for* the words and figure "a person below 25 years in age" the words "a person below 35 years in age" shall be *substituted*;

(c) in Hindi version, *for* clause (h), the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(ज) भारत सरकार की थल सेना, नौसेना या वायु सेना सम्बन्धी सेवा में सेवारत कोई व्यक्ति या उसके साथ रह रही उसकी पत्नी या उसके साथ रह रहा उसका पति;"

(d) *for* clause (i), the following clause shall be *substituted,* namely :-

"(i) any other person who is unable to cultivate his holding for the reasons prescribed;"

Amendment of section 96

73. In section 96 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in sub-section (1), *for* the word"निःशक्ताओं" the word "निःशक्तताओं" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), *for* the words "ऐसा अंशधारक" the words "ऐसा असामी या सह–अंशधारक"shall be *substituted.*

Amendment of section 97

74. In section 97 of the said Code, in Hindi version,-

(a) *for* the words "पट्टाया के रजिस्ट्रीकृत" the words "पट्टा,रजिस्ट्रीकृत" shall be *substituted;*

(b) in explaination, *for* the words "अनुपालन नहीं करता है इस अध्याय के उपबन्धों के उल्लंघन में इस कारण से" the words "अनुपालन नहीं करता है इस कारण से इस अध्याय के उपबन्धों के उल्लंघन में" shall be *substituted.*

Amendment of section 98

75. *For* section 98 of the said Code, the following section shall be *substituted*, namely :-

"98–(1) Without prejudice to the provisions of this Chapter, no bhumidhar belonging to a scheduled caste shall have the right to transfer, by way of sale, gift, mortgage or lease any land to a person not belonging to a scheduled caste, except with the previous permission of the Collector in writing:

Provided that the permission by the Collector may be granted only when-

(a) the bhumidhar belonging to a scheduled caste has no surviving heir specified in clause (a) of sub-section (2) of section 108 or clause (a) of section 110, as the case may be; or

(b) the bhumidhar belonging to a scheduled caste has settled or is ordinarily residing in the district other than that in which the land proposed to be transferred is situate or in any other State for the purpose of any service or any trade, occupation, profession or business; or

(c) the Collector is, for the reasons prescribed, satisfied that it is necessary to grant the permission for transfer of land.

(2) For the purposes of granting permission under this section the Collector may make such inquiry as may be prescribed."

Amendment of section 99

76. In section 99 of the said Code, in Hindi version, *for* the words and punctuation mark"विक्रय, दान या पट्टेदारी" the words and punctuation marks "विक्रय, दान, बन्धक या पट्टा" shall be *substituted.*

Amendment of section 101

77. For section 101 of the said Code, the following section shall be *substituted*, namely :-

"101. (1)Notwithstanding anything in section 77 of this Code, any bhumidhar may with prior permission in writing of the Sub-Divisional Officer exchange his land with the land-

(a) held by another bhumidhar; or

(b) entrusted or deemed to be entrusted to any Gram Panchayat or a local authority under section 59.

(2) The Sub-Divisional Officer shall refuse permission under sub-section (1) in the following cases, namely-

(a) if the exchange is not necessary for the consolidation of holdings or

securing convenience in cultivation; or

(b) if the difference between the valuation, determined in the manner prescribed, of the lands given and received in exchange exceeds ten per cent of the lower valuation; or

(c) if the difference between the areas of the land given and received in exchange exceeds twenty-five per cent of the lesser area; or

(d) in the case of land referred to in clause (b) of sub-section (1), if it is reserved for planned use, or is land in which bhumidhari rights do not accrue; or

(e) if the land is not located in same or adjacent village of the same tahsil:

Provided that the State Government may permit the exchange with land mentioned in clause (d) aforesaid, on the conditions and in the manner, prescribed.

(3) Nothing in this section shall be deemed to empower any person to exchange his undivided interest in any holding, except where such exchange is in between two or more co-sharers;

(4) Nothing in the Registration Act, 1908(Act no.16 of 1908), shall apply to an exchange in accordance with this section."

Amendment of section 102

78. In section 102 of the said Code, in Hindi version, in clause (a), *for* the word "पक्षकारो" the word "पक्षकारों" and in clause (b), for the words "अधिकारों के अभिलेखों (खतौनी)" the words "अधिकार अभिलेख (खतौनी)" shall be *substituted*.

Amendment of section 103

79. in section 103 of the said Code-

(a) in Hindi version, *for* the words"जहां तक धारा" the words "जहां धारा" and *for* the words "हो तो वहां" the words "हो वहां"shall be *substituted;*

(b) In clause (a) and in clause (b) *for* the figuresand word "5.04 hectares" the figuresand word"5.0586 hectares" shall be *substituted*.

Amendment of section 104

80. For section 104 of the said Code, in the Hindi version, the following section shall be *substituted*, namely :-

"104–धारा 103 में यथा उपबंधित के सिवाय किसी भूमिधर या किसी असामी द्वारा, किसी जोत या उसके भाग में अपने हित का किया गया प्रत्येक अन्तरण, जो इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में हो, शून्य होगा।"

Amendment of section 105

81. In section 105 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (1),-

(i) *for* the words, "निम्नलिखित परिणामों से यह सुनिश्चित किया जायेगा" the words "निम्नलिखित परिणाम होंगे" shall be *substituted*;

(ii) *for* clause (a), the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(क)–ऐसे अंतरण की विषय–वस्तु सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेगी;"

(iii) in clause (b), *for* the words and punctuation marks "कुंआ और अन्य सुधारों को, सभी भार से मुक्त, राज्य सरकार में निहित समझा जाएगा" the words and punctuation marks "कुंये और अन्य सुधार सभी भारों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे"shall be *substituted*;

(iv) in clause (d), *for* the words "अंतरिती के हितके निर्वापन" the words "अंतरक के हितकी समाप्ति"shall be *substituted*;

(b) in sub-section (1), at the end of clause (d), *for* the punctuation mark ";" the punctuation mark "." shall be *substituted*;

(c) in Hindi version, in sub-section (2), *for* the words and punctuation marks "ऐसी भूमि और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधिसम्मत होगा और वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उस पर अध्यासन हो, बेदखल होने वाली ऐसी भूमि या सम्पत्ति के कब्जे का निदेश दे सकता है" the words and punctuation mark"कलेक्टर के लिये ऐसी भूमि या सम्पत्ति का कब्जा लेना और ऐसे व्यक्ति को जिसका ऐसी भूमि या सम्पत्ति पर अध्यासन हो, को उससे बेदखल करने का निदेश देना विधिसम्मत होगा" shall be *substituted*.

Insertion of heading after section 106 and before section 107 of the Code

82. *After* section 106 and before section 107 of the said Code, in Hindi version, the heading "न्यागमन" shall be *inserted*.

Amendment of section 108

83. *For* section 108 including marginal heading of the said Code, the following section shall be *substituted*, namely :-

"108.-General order of succession to male bhumidhar, asami or government lessee.-(1) Subject to the provisions of section 107, where a bhumidhar, asami or government lessee, being a male dies, his interest in his holding shall devolve upon his heirs being the relatives specified in sub-section (2) in accordance with the following principles, namely:-

(i) the heirs specified in any one clause of sub-section (2) shall take simultaneously in equal shares;

(ii) the heirs specified in any preceding clause of sub-section (2) shall take to the exclusion of all heirs specified in succeeding clauses, that is to say, those in clause (a) shall be preferred to those in clause (b), those in clause (b) shall be preferred to those in clause (c) and so on, in succession;

(iii) if there are more widows than one, of the bhumidhar, asami or government lessee, or of any predeceased male lineal descendant, who would have been an heir, if alive, all such widows together shall take one share;

(iv) the widow or widowed mother or the father's widowed mother or the widow of any predeceased male lineal descendant who would have been an heir, if alive, shall inherit only if she has not remarried.

(2) The following relatives of the male bhumidhar, asami or government lessee are heirs, subject to the provisions of sub-section (1), namely:-

(a) widow, unmarried daughter and the male lineal descendants in the male line of descent per stirpes:

Provided that the widow and the son of a predeceased son how low-so-ever shall inherit per stirpes the share which would have devolved upon the predeceased son had he been alive;

(b) mother and father;

(c) married daughter;

(d) brother and unmarried sister being respectively the son and the daughter of the same father as the deceased, and son of a predeceased brother, the predeceased brother having been the son of the same father as the deceased;

(e) son's daughter;

(f) father's mother and father's father;

(g) daughter's son;

(h) married sister;

(i) half sister, being the daughter of the same father as the deceased;

(j) sister's son;

(k) half sister's son, the sister having been the daughter of the same father as the deceased;

(l) brother's son's son;

(m) father's father's son;

(n) father's father's son's son;

(o) mother's mother's son."

Amendment of section 109

84. In section 109 of the said Code-

(a) in Hindi version, *for* the words "किसी पुरूष भूमिधर, असामी या किसी जोत में सरकारी पट्टेदार" the words "किसी जोत में पुरूष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार" and *for* the words"ऐसी स्त्री की ऐसे प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो जाय," the words "ऐसी स्त्री की ऐसे प्रारम्भ होने के पश्चात् मृत्यु हो जाय,", *for* the word "पुर्नविवाह"the word "पुनर्विवाह"and *for* the word "होता।" the word "होगा।" shall be *substituted*;

(b) *after* explanation, the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided that if any woman inheriting as a daughter, who has surviving heirs specified in clause (a) of section 110 of this Code, dies, her interest in the holding shall devolve upon heirs specified in clause (a) of section 110."

Amendment of section 110

85. In section 110 of the said Code-

(a) in Hindi version, in the marginal heading, *for* the words"भू–धारक का उत्तराधिकारी" the words"भू–धारक का उत्तराधिकार"shall be *substituted*;

(b) *for* clause (a), the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(a) son, unmarried daughter, son's son, son's son's son, predeceasedson's widow, and predeceased son's predeceased son's widow, in equal shares per stirpes:

Provided firstly that the nearer shall exclude the remoter in the same branch:

Provided secondly that a widow who has remarried, shall be excluded;

(c) in clause (c), the words"unmarried daughter;" shall be *omitted*;

(d) in Hindi version, in clause (h), *for* the words "और प्रति शाखा अनुसार भाई का पुत्र"the words"और भाई का पुत्र प्रति शाखा अनुसार" shall be *substituted.*

Amendment of section 111

86. In section 111 of the said Code, in Hindi version, *for* the words "डिबटर सम्पत्ति" the words"देवोत्तर सम्पत्ति"and *for* the word "ऐसे वैयक्तिक या अन्य विधियों द्वारा शासित होता रहेगा, जो उस पर लागू होते हों" the words"ऐसी वैयक्तिक या अन्य विधियों द्वारा शासित होता रहेगा, जो उस पर लागू होती हों" shall be *substituted.*

Amendment of section 112

87. In section 112 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words "प्राप्त करे" the words "प्राप्त करें" and *for* the words "सह–विधवायें को"the words"सह–विधवाओं को" shall be *substituted.*

Amendment of section 113

88. In section 113 of the said Code, in Hindi version, *for* the words "भूमि का अर्जन या उसमें किसी हित का हकदार होगा।"the words "भूमि या उसमें किसी हित के अर्जन का हकदार होगा।" shall be *substituted.*

Amendment of section 114

89. In section 114 of the said Code-

(a) in clause (a), clause (c) and clause (d), *for* the words"bhumidhar or asami"the words" bhumidhar, asami or government lessee"shall be *substituted.*

(b) in Hindi version,–

(i) in clause (b), *for* the word"पाय" the word "पाये"shall be *substituted*;

(ii) in clause (c), *for* the word and punctuation mark"जाएगा।" the word and punctuation mark "जाएगा;" shall be *substituted;*

(b) *for* the explaination, the following explanation shall be *substituted*, namely :-

"Explanation. In this section, the expression 'murder' means any offence punishable under section 302, section 304, section 304-B, section 305 or section 306 of the Indian Penal Code."

Amendment of section 115

90. In section 115 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in sub-section (1), *for* the words "भूमिधर या ग्राम सभा से प्राप्त भूमि को धृत करने वाले किसी असामी की ज्ञात उत्तराधिकार"the words"भूमिधर या ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि को धृत करने वाले किसी असामी की ज्ञात उत्तराधिकारी"shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), *for* the words "के निबन्धन ओर शर्तें"the words"की निबन्धन और शर्तें"shall be *substituted;*

(c) in sub-section (4), *for* the words"अपने अधिकार" the words "अपने अधिकारों"shall be *substituted*;

(d) in sub-section (6), in clause (c), *for* the words"अन्तिम निस्तारण"the words"अन्तिम खारिजा"shall be *substituted.*

Amendment of section 116

91. In section 116 of the said Code, *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(2) In every such suit, the Court may also divide the trees, wells and other improvements existing on such holding but where such division is not possible, the trees, wells and other improvements aforesaid and valuation thereof shall be divided and adjusted in the manner prescribed."

Amendment of section 117

92. In section 117 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words"कलेक्टर न्यायालय" the words"कलेक्टर का न्यायालय"and in clause (a), *for* the word"अनुश्रवण" the word"पालन"shall be *substituted.*

Amendment of section 119

93. In section 119 of the said Code, in Hindi version, *for* the words"असामी किस जोत"the words"असामी किसी जोत" shall be *substituted.*

Amendment of section 120

94. In section 120 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (2),-

(a) in clause (a), *for* the words"समर्पण दिनांक"the words"समर्पण के दिनांक"shall be *substituted*;

(b) in clause (b), *for* the word "जायगा"the words"जायेगा"shall be *substituted.*

Amendment of section 122

95. In section 122 of the said Code-

(a) in sub-section (1), *for* the words"does not use it for agriculture" the words"does not use the land for agriculture" shall be *substituted*;

(b) in Hindi version, in sub-section (6), *for* the words"प्रवृत्त रही हों" the words "प्रवृत्त हो" shall be *substituted.*

Amendment of section 123

96. In section 123 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in clause (a), *for* the word"पूर्णता"the word"पूर्णतया"and for the word and punctuation mark "जायगी;" the word and punctuation mark "जायेगी;" shall be *substituted;*

(b) in clause (b), *for* the word"जायगा"the words"जायेगा" shall be *substituted.*

Amendment of section 124

97. In section 124 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (2), *for* the words and figure"उपधारा(2) किसी" the words and figure"उपधारा (2) के अन्तर्गत किसी" shall be *substituted.*

Insertion of heading after section 124 and before section 125 of the Code

98. *After* section 124 and before section 125 of the said Code, in Hindi version, the heading"ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा"shall be *inserted*.

Amendment of section 125

99. In section 125 of the said Code,in Hindi version, *for* the words and punctuation mark"भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम सभा द्वारा" the words"भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा" shall be *substituted*.

Amendment of section 126

100. In section 126 of the said Code-

(a) in Hindi version, in the marginal heading, *for* the words "भूमि प्रबन्ध समिति" the words "भूमि प्रबन्धक समिति" shall be *substituted*;

(b) in Hindi version, in sub-section (1),-

(i) *for* the words and figures "किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या धारा 125 के अधीन असामी के रूप में"the words and figures"धारा 125 के अधीन किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या असामी के रूप में"shall be *substituted*;

(ii) in clause (a), *for* the words "सक्रिय सेवा में रहते हुए शत्रु की कार्यवाही से मृत्यु हुई हो, विधवा, पुत्र, अविवहित पुत्रिया"the words"सक्रिय सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई हो, विधवा, पुत्र, अविवाहित पुत्रियां"shall be *substituted*;

(iii)in clause (b), *for* the words "सक्रिय सेवा में रहते हुए शत्रु की कार्यवाही में पूर्णतया विकलांग हो गया हो"the words"सक्रिय सेवा में रहते हुए पूर्णतया विकलांग हो गया हो" shall be *substituted*;

(iv) in clause (h), *for* the words and figures "संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947"the words and figures"उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (1947 की अधिनियम संख्या–26)" shall be *substituted*;

(c) in explanation to sub-section (1),-

(i) in Hindi version, at the end of clause (i), clause(iii) and clause (v), *for* the punctuation mark '।' the punctuation mark ';' shall be *substituted*.

(ii) clause (ii), shall be *omitted;*

(iii) in Hindi version, in clause (iii), *for* the words "आवंटन के दिनांक की या उक्त दिनांक को ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष"the words "आवंटन के दिनांक को या उक्त दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष" shall be *substituted*;

(iv) at the end of clause (iv), *for* the punctuation mark"." the punctuation mark ";" shall be *substituted*;

(v) in Hindi version, in clause (v), *for* the words and figures"अधिनियम, 1994 की अनुसूची–1"the words and figures"अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या–4 सन् 1994) की अनुसूची–1" shall be *substituted*;

(d) in Hindi version, in sub-section (2), *for* the words"से कम हो" the words"से अधिक न हो" shall be *substituted.*

Amendment of section 127

101. In section 127 of the said Code-

(a) in Hindi version,in sub-section (1), *for* the words "ऐसे वृक्ष या सुधार की भूमि सहित सम्बद्ध व्यक्ति को आवंटित किया गया समझा जायगा" the words "ऐसा वृक्ष या सुधार भी उस भूमि के साथ सम्बद्ध व्यक्ति को आवंटित किया गया समझा जायगा।" shall be *substituted*;

(b) at the end of sub-section (2), *for* the punctuation mark"." the punctuation mark":" shall be *substituted* and thereafter the following proviso shall be *inserted*, namely :-

"Provided that if the allottee is a married man and his wife is alive, she shall be co-allottee of equal share in the land so allotted."

Amendment of section 128

102. In section 128 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words and punctuation marks "कलेक्टर, किसी आवंटन के सम्बन्ध में, विहित रीति से, स्वतः जॉच कर सकता है और किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जॉच करेगा, और यदि उसका समाधान हो जाय कि आवंटन इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों या इस संहिता द्वारा निरसित अधिनियमितियों में से किसी एक के उल्लंघन में है तो वह, आवंटन और पट्टा को, यदि कोई हो;–" the words and punctuation marks " कलेक्टर, किसी आवंटन के सम्बन्ध में, विहित रीति से, स्वप्रेरणा से जांच कर सकता और किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जांच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाय कि आवंटन इस संहिता या इस संहिता द्वारा निरसित किन्हीं अधिनियमितियों या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में है तो वह, आवंटन और पट्टा, यदि कोई हो, को निरस्त कर सकता है।"shall be *substituted;*

(b) in sub-section (1), clause (a) and clause (b), shall be *omitted*;

(c) *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(1-A) Any application under sub-section (1) may be moved in the case of an allotment of land made before the commencement of this Code, within five years from the date of such commencement and in the case of an allotment of land made on or after the date of such commencement, within five years from the date of such allotment or lease."

(d) in Hindi version, in sub-section (2),-

(i) *for* the words"निरसित किया जाए" the words"निरस्त किया जाए" shall be *substituted*;

(ii)in clause (a), *for* the words "ऐसी भूमि में और उसके विद्यमान प्रत्येक वृक्ष" the words"ऐसी भूमि में और उस पर विद्यमान प्रत्येक वृक्ष" and *for* the word and punctuation mark"जायेंगे।" the word and punctuation mark "जायेंगे;" shall be *substituted*;

(e) in Hindi version, in sub-section (3), *for* the word "जायगा" the word"जायेगा" shall be *substituted*.

Amendment of section 129

103. In section 129 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words"स्वप्रेरणा से" the words"स्वप्रेरणा से आवंटिती या पट्टेदार को कब्जा दिला सकता है" shall be *substitued.*

Insertion of heading before section 130 of the Code

104. *After* section 129 and before Section 130 of the said Code, in Hindi verson, the heading "बेदखली"shall be *inserted.*

Amendment of section 131

105. In section 131 of the said Code, in sub-section (1),-

(a) in Hindi version, in clause (e), *for* the words"तीन माह" the words"एक वर्ष" shall be *substituted*;

(b) at the end of clause (f), *for* the punctuation mark";" the punctuation mark"." shall be *substituted.*

Amendment of section 132

106. In section 132 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (1),-

(i) *for* the words"रीति में कार्यवाही करेगा" the words"रीति से कार्यवाही करेगा" shall be *substituted*;

(ii) in clause (b), in sub-clause (i), *for* the word "जाएगें" the word "जायेंगे" shall be *substituted*;

(iii) in clause (b), in sub-clause (ii), for the words and punctuation marks"यथा नियत प्रतिपूर्ति का भुगतान करने पर ऐसी फसलों, पेड़ों या ऐसे पेड़ों के फलों को देखभाल करने, एकत्रित करने या हटाने का अधिकार होगा जब तक कि ऐसी फसल या पेड़ यथास्थिति, एकत्रित या हटाये या मृत या काटे नहीं जाते।" the words and punctuation marks"यथा नियत प्रतिकर का भुगतान करने पर ऐसी फसलों, पेड़ों या ऐसे पेड़ों के फलों की देखभाल करने, एकत्रित करने या हटाने का अधिकार होगा जब तक कि ऐसी फसल या पेड़ यथास्थिति, एकत्रित किये या हटाये या काटे नहीं जाते या वे मृत नहीं हो जाते।" shall be *substituted*;

(b) in Hindi version, in sub-section (2), for the words"देय प्रतिपूर्ति" the words "देय प्रतिकर" shall be *substituted*.

Amendment of section 133

107. In section 133 of the said Code, in Hindi version, *for* the words"वाद चलाने के बदले में" the words"वाद चलाने के बजाय" and in clause (c) thereof, *for* the words"नुकसान की मरम्मत हेतु" the words"नुकसान की भरपाई हेतु" shall be *substituted*.

Amendment of section 135

108. Section 135 of the said Code shall be deleted.

Amendment of section 136

109. In section 136 of the said Code-

for sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(1) Notwithstanding anything contained in other provisions of this Code, the Sub-Divisional Officer may, of his own motion or on the application of the Gram Panchayat or other local authority, eject any person taking or retaining possession of any land specified in sub-section (2), if such possession is in contravention of the provisions of this Code and is without the consent of such Gram Panchayat or the local authority and shall also be liable to pay damages at the rates prescribed.;"

in sub-section (2), in clause (c), *for* the punctuation mark "." the punctuation";" shall be *substituted*;

in the Explanation, *for* the words"trees and improvements" the words"trees and other improvements" shall be *substituted*.

Amendment of section 137

110. In section 137 of the said Code, in sub-section (1),-

in Hindi version, *for* the words"उपबंधों के अनुसार से भिन्न किसी भूमि से बेदखल किया गया या बेदखली की प्रत्याशा के भय से" the words "उपबंधों के अनुसार से अन्यथा किसी भूमि से बेदखल किया गया या बेदखली से आशंकित" shall be *substituted*;

in clause (i), *for* the word and punctuation mark "land;" the words and punctuation mark"land; or"shall be *substituted*.

Insertion of heading after section 143 and before section 144 of the Code

111. *After* section 143 and before section 144 of the said Code, in Hindi version, the heading "घोषणात्मक वाद" shall be *inserted*.

Amendment of section 144

112. In section 144 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (2), in clause (b), *for* the words"पक्षकार होंगे" the words "पक्षकार होगा" shall be *substituted*.

Amendment of section 145

113. *For* section 145 of the said Code, in Hindi version, the following section shall be *substituted*, namely:-

"145–ग्राम पंचायत द्वारा घोषणात्मक वाद–विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ग्राम पंचायत किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो किसी भूमि में किसी अधिकार के हक का दावा करता है, ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए, वाद संस्थित कर सकती है और न्यायालय अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा कर सकता है और ग्राम पंचायत को ऐसे वाद में किसी अन्य अनुतोष की मांग करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

Amendment of section 146

114. In section 146 of the said Code, in Hindi version,-

(a) *for* the words "शपथ–पत्र या अन्यथा यह सिद्ध हो जाता है" the words"शपथ–पत्र द्वारा या अन्यथा यह सिद्ध हो जाता है" shall be *substituted*;

(b) in clause (b), *for* the words "हटाने बेच देने" the words "हटाने या बेच देने" and for the words"अस्थायी आदेश" the words"अस्थायी व्यादेश" shall be *substituted.*

Insertion of Chapter and Heading after section 146 and before section 147 of the Code

115. *After* section 146 and before section 147 of the said Code, in Hindi version, the Chapter "अध्याय–दस" and heading"सरकारी पट्टेदार" shall be *inserted.*

Amendment of section 149

116. In section 149 of the said Code, in Hindi version, *for* the words "निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार"the words "निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों" shall be *substituted.*

Amendment of section 152

117. In section 152 of the said Code, in Hindi version, in the heading, *for* the wrods "भू–राजस्व के बकाया की वसूली देयों की तरह" the words "भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूली योग्य देय" shall be *substituted.*

Amendment of section 153

118. In section 153 of the said Code, in Hindi version, -

(a) in sub-section (1), *for* the words and punctuation mark"किया जा रहा हो। भू–राजस्व निर्धारित किया जाएगा"the words and punctuation mark"किया जा रहा हो, भू–राजस्व निर्धारित किया जाएगा"shall be *substuted;*

(b) in sub-section (4), in clause (a), *for* the words "भवन द्वारा कब्जे की भूमि" the words"भवन द्वारा आच्छादित भूमि" shall be *substituted*;

Amendment of section 154

119. *For* section 154 of the said Code, in Hindi version, the following section shall be *substituted*, namely:-

"154–भूमिधर द्वारा देय भू–राजस्व– (1) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से भूमिधर के रूप में कोई भूमि धारण कर रहा हो, राज्य सरकार को भू–राजस्व की उसी धनराशि का भुगतान करेगा और करता रहेगा जो वह इस संहिता के प्रवर्तन में आने के वर्ष के पूर्ववर्ती कृषि वर्ष में ऐसी भूमि के लिए करने का दायी था।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित करता है, इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को भू–राजस्व की उसी धनराशि का भुगतान करेगा जो ऐसे अर्जन के दिनांक के ठीक पूर्व ऐसी भूमि के लिए देय थी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित करता है जिसके सम्बन्ध में ऐसे अर्जन के ठीक पूर्व कोई भू–राजस्व देय नहीं था, उप ज़िलाधिकारी द्वारा ऐसे सिद्धान्तों के अनुरूप, जैसे विहित किये जायें, अवधारित भू–राजस्व का भुगतान करने का दायी होगा।"

Amendment of section 155

120. In section 155 of the said Code, in Hindi version, *for* the words"नहीं क्रिया या"the words"नदी क्रिया या"shall be *substituted*.

Amendment of section 157

121. In section 157 of the said Code, in Hindi version, *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted,* namely:-

"(2) इसी प्रकार, राज्य सरकार, किसी ग्राम या उसके भाग में जहाँ ऐसी विपत्ति आयी हो, असामी द्वारा ग्राम पंचायत को देय लगान माफ कर सकती है या उसे किसी अवधि के लिए स्थगित कर सकती है।"

Amendment of section 159

122. In section 159 of the said Code, in Hindi version, in clause (a), *for* the word and punctuation mark"जाएगा;" the words and punctuation mark"जाएगा;और" shall be *substituted*.

Amendment of section 165

123. In section 165 of the said Code, in Hindi version, *for* the words and punctuation mark"ऐसे समय पर ऐसी किस्तों में,"the words and punctuation marks"ऐसे समय पर, ऐसी किस्तों में,"shall be *substituted*.

Amendment of section 168

124. In section 168 of the said Code, in Hindi version, *for* the words and punctuation marks"बाकीदार हो,निश्चायक होगा।"the words and punctuation marks "व्यतिक्रमी हो, का निश्चायक प्रमाण होगा।"shall be *substituted*.

Amendment of section 170

125. In section 170 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (1),-

(i) *for* the words and punctuation marks"भू–राजस्व की बकाया निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रक्रिया से वसूल की जा सकती है,अर्थात् ;" the words and punctuation marks"मांग पत्र में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर भुगतान न किये गये भू–राजस्व की बकाया निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं से वसूल की जा सकती है, अर्थात्:–" shall be *substituted*;

(ii) in clause (a), *for* the words"गिरफ्तारी या निरुद्ध" the words"गिरफ्तारी या उसे निरुद्ध" shall be *substituted*;

(iii) in clause (b), *for* the words"विक्रय करने" the words"विक्रय करके" shall be *substituted;*

(iv) in clause (c), *for* the word"लाकर"the word"लॉकर" shall be *substituted*;

(v) in clause (e), *for* the words"या बिक्री करके" the words"या उसकी बिक्री करके" shall be *substituted*;

(vi) in clause (g), *for* the words "व्यतिक्रमी किसी"the words"व्यतिक्रमी की किसी" and for the words"रिसीवर नियुक्ति करके" the words"रिसीवर की नियुक्ति करके" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), *for* the words"bhumidhar or asami" the word"bhumidhar" shall be *substituted.*

Amendment of section 171

126. In section 171 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (1), the words "एक बार में" shall be *omitted*;

(b) in sub-section (2), *for* clause (a), the following clause shall be *substituted,* namely:-

"(a) is a woman or a minor, or a senior citizen of 65 years or more, or a person as referred to in section 95(1) (a);"

(c) in Hindi version, in sub-section (3), *for* the words "के विरूद्ध" the words "में निरूद्ध" and for the words "बाध्य नही करेगा" the words "बाध्य करेगा" shall be *substituted*;

(d) *after* sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no defaulter shall be arrested, unless the amount sought to be recovered exceeds fifty thousand rupees."

Amendment of section 172

127. In section 172 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in sub-section (2), *for* clause (c), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(ग) धार्मिक उपासना के उपयोग के लिए अनन्य रूप से अलग रखी गयी वस्तुएं।"

(b) in sub-section (3), *for* the words"अधिकारी की ऐसी प्रतिभूति" the words"अधिकारी को ऐसी प्रतिभूति" shall be *substituted*;

(c) in sub-section (4), *for* the words and punctuation marks "जब की अपेक्षित हो उसे प्रस्तुत करेगा। सुपुर्ददार उसकी अभिरक्षा में दी गयी सम्पत्ति की समस्त क्षति या हानि के लिए दायी होगा।" the words and punctuation marks"जहां कहीं अपेक्षित हो उसे प्रस्तुत करेगा। सुपुर्ददार उसकी अभिरक्षा में दी गयी सम्पत्ति की समस्त क्षति या हानि या आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दायी होगा।" shall be *substituted*;

(d) in sub-section (5), *for* the words "रीति में" the words"रीति से" shall be *substituted*.

Amendment of section 173

128. In section 173 of the said Code, in Hindi version, -

(a) in the marginal heading, *for* the word"लाकर" the word"लॉकर" shall be *substituted;*

(b) *for* the words"अधिकाधिक रीति में" the words"अधिकथित रीति से" and for the word"लाकर" the word"लॉकर"shall be *substituted*.

Amendment of section 174

129. In section 174 of the said Code-

(a) In sub-section (1), *for* the words"Sub-Divisional Officer" the word"Collector" shall be *substituted*;

(b) in Hindi version, in sub-section (2), *for* the words "कुर्की की हो" the words "कुर्की की गयी हो" shall be *substituted.*

Amendment of section 175

130. In section 175 of the said Code-

(a) in sub-section (1), *for* the words"Sub-Divisional Officer" the word"Collector" shall be *substituted;*

(b) in Hindi version,-

(i) in sub-section (1), *for* the words"अनुगामी जुलाई" the words "ठीक आगामी जुलाई" shall be *substituted;*

(ii) in sub-section (3), *for* the word "पट्टादार" the word"पट्टेदार", *for* the word"प्रक्रिया" the word"प्रक्रियाओं" and for the word"अवधारित" the word"समाप्त" shall be *substituted.*

Amendment of section 176

131. In section 176 of the said Code-

(a) in sub-section (1),-

(i) *for* the words"Sub-Divisional Officer" the word"Collector"shall be *substituted*;

(ii) in Hindi version, *for* the word"अवधारित" the word"समाप्त" and *for* the words, figure and punctuation marks "ऐसी रीति से बेच सकता है,जैसा कि धारा 200 के अनुसार विक्रय आगम समुचित रूप में विहित किये जायें।" the words, figure and punctuation mark "विहित रीति से बेंच सकता है और धारा 200 के अनुसार विक्रय आगम का प्रयोग कर सकता है।" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), *for* the words"Sub-Divisional Officer" the word "Collector"and for the word"Collector" the words"Board of Revenue" shall be *substituted.*

Amendment of section 177

132. In section 177 of the said Code, in Hindi version,-

(a) *for* the words "कुर्की और बिक्री की वसूली" the words "कुर्की और बिक्री करके वसूली" shall be *substituted;*

(b) in the proviso, *for* the words and punctuation marks"किसी कृषक की उससे एकदम संलग्न मकान, अन्य भवन (उसकी सामग्री एवं स्थल सहित) और भूमि, जो उसके द्वारा अध्यासित हो," the words and punctuation marks "किसी कृषक का मकान या अन्य भवन (उसकी सामग्री एवं स्थल सहित) और उससे एकदम संलग्न भूमि, जो उसके द्वारा अध्यासित हो," shall be *substituted.*

Amendment of section 178

133. In section 178 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in sub-section (1), in clause (c), *for* the words "दस्तावेजों का" the words"दस्तावेजों का निष्पादन" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (6), *for* the words"रिसीवर कलेक्टर" the words and punctuation mark"रिसीवर, कलेक्टर"and *for* the word"समझें" the word"समझे" shall be *substituted;*

(c) in sub-section (7), *for* the words and punctuation marks "जान बूझकर व्यतिक्रम अवज्ञा, किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में गम्भीर लोप, या दुर्विनियोग के आधार पर" the words and punctuation marks"जान बूझकर व्यतिक्रम, अवज्ञा, अवचार, गम्भीर लोप या किसी सम्पत्ति के दुर्विनियोग के आधार पर" shall be *substituted*;

(d) in sub-section (8), *for* the words"कलेक्टर को रिसीवर की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह आवधारण करने कि" the words"कलेक्टर को रिसीवर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह अवधारण करने की," shall be *substituted.*

Amendment of section 179

134. In section 179 of the said Code, in Hindi version, *for* the words"इस अध्याय के अनुसार बकायों या भू–राजस्व के रूप में वसूली योग्य भू–राजस्व या अन्य देयों को संग्रह करने के प्रयोजनार्थ"the words "इस अध्याय के अनुसार भू–राजस्व अथवा भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूली योग्य अन्य देयों का संग्रह करने के प्रयोजनार्थ" shall be *substituted.*

Amendment of section 180

135. In section 180 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in sub-section (1), *for* the words"उपायों का व्यय" the words "प्रक्रियाओं का व्यय" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (3), for the words"उसी रीति में" the words "उसी रीति से" shall be *substituted.*

Amendment of section 181

136. In section 181 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in sub-section (1), in proviso, *for* the words and punctuation mark"उस सीमा तक होगा जो उसके हाथ लगी है और जिसका विधिवत् निस्तारण नहीं हुआ है।" the words and punctuation mark"उस सीमा तक होगा जो उसके हाथ लगी है।"shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), *for* the word"प्रतिभूत" the word"प्रतिभू" and for the words"स्वयं बाकीदार रहा हो" the words"स्वयं व्यतिक्रमी हो" shall be *substituted.*

Amendment of section 182

137. In section 182 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in sub-section (1), *for* the words"प्रत्येक प्रक्रिया" the words"प्रत्येक आदेशिका" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), *for* the words, figures and punctuation mark "नियम 54, आदेश 21" the words and figures "आदेश 21 के नियम 54" shall be *substituted.*

Amendment of section 183

138. In section 183 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (1), in proviso, in clause (c), *for* the words "या जहां कुर्की" the words "जहां कुर्की" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), *for* the words"three months" the words "sixty days" shall be *substituted*.

Amendment of section 184

139. In section 184 of the said Code-

(a) in sub-section (1),-

(i) in Hindi version, *for* the word"उप कलेक्टर" the word"कलेक्टर" shall be *substituted;*

(ii) in clause (b), *for* the words "the estimated value of such property" the words "the estimated value, reserve price and circle rate of such property" shall be *substituted*;

(iii) in Hindi version, in clause (g), *for* the words "जैसा कि कलेक्टर" the words"जिन्हें कि कलेक्टर" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2),-

(i) in Hindi version, *for* the words"विक्रय किए जाने हेतु"the words "जहां विक्रय किए जाने हेतु" shall be *substituted;*

(ii) *for* the figures and word "5.04 hectares"the figures and word"5.0586 hectares" shall be *substituted*.

Amendment of section 185

140. In section 185 of the said Code, in Hindi version,-

(a) *for* the words"प्रत्येक स्थानों" the words"प्रत्येक स्थान" and *for* the word and punctuation mark"जायेगी।" the word and punctuation mark"जायेगी:—" shall be *substituted*;

(b) at the end of clause (a), the punctuation mark";" shall be *inserted*;

(c) in clause (c), *for* the words"कुछ अन्य"the words "कोई अन्य" shall be *substituted.*

Amendment of section 186

141. In section 186 of the said Code, in Hindi version, -

(a) in the marginal heading, *for* the words "किसके द्वारा किया गया" the words "किसके द्वारा किया जाय" shall be *substituted*;

(b) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(2) कोई विक्रय रविवार या राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए अधिसूचित अन्य अवकाश दिवस में नहीं किया जायेगा।"

Amendment of section 188

142. In section 188 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words and punctuation marks "विक्रय की गयी सम्पत्ति, के लिए बोली नहीं लगायेगा या को अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा या उसमें कोई रुचि नहीं लेगा।" the words and punctuation mark "विक्रय की गयी सम्पत्ति अथवा उससे सम्बन्धित किसी हित के लिए बोली नहीं लगायेगा या उसको अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा।" shall be *substituted*.

Amendment of section 189

143. In section 189 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in the marginal heading, *for* the words"क्रेता द्वारा जमा राशि और व्यतिक्रम पर पुनः विक्रय"the words"क्रेता द्वारा राशि का जमा किया जाना और व्यतिक्रम पर पुनः विक्रय"shall be *substituted*;

(b) in sub-section (1), *for* the words"पुनः विक्रय में मूल्य में होने वाली किसी कमी या कमी" the words "पुनः विक्रय पर मूल्य में होने वाली किसी कमी" shall be *substituted*.

Amendment of section 190

144. In section 190 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in the heading, *for* the words "क्रय धन का जमा" the words"क्रय धन का जमा किया जाना" shall be *substituted*;

(b) *for* clause (b), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(ख) धारा 189 के अधीन जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार को समपहृत हो जायेगी।"

Amendment of section 191

145. In section 191 of the said Code-

(a) *for* the words "an amount equal to the amount of the highest bid" the words "an amount equal to the amount of the highest bid and a sum equal to one percent amount of the purchase money for payment to the purchaser," shall be *substituted*;

(b) *after* the existing proviso, the following proviso shall be *inserted,* namely :-

"Provided further that where the auction sale in favour of highest bidder is not confirmed due to the preference under this section, he shall be entitled to receive back the money deposited by him plus an amount equivalent to one percent of such money deposited for that purpose."

Amendment of section 192

146. In section 192 of the said Code-

(a) in sub-section (1),-

(i) in Hindi version, *for* the words"अपास्त करने के लिए कलेक्टर को कलेक्टर के कार्यालय में या जिला कोषागार या उप कोषागार में आवेदन कर सकता है" the words "अपास्त करने के लिए कलेक्टर को निम्नलिखित धनराशि कलेक्टर के कार्यालय में या ज़िला कोषागार या उप कोषागार में जमा करके आवेदन कर सकता है" shall be *substituted*;

(ii) in clause (a), *for* the words "five percent" the words "one percent" shall be *substituted*;

(iii) in Hindi version, in clause (c), *for* the words "प्रक्रिया" the words "प्रक्रियाओं"shall be *substituted*;

(b) in Hindi version, in sub-section (3), *for* the words "तो वह" the words "वहां वह"shall be *substituted.*

Amendment of section 193

147. In section 193 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in sub-section (1), *for* the words"किसी तथ्यपरक अनियमितता या प्रकाशित करने या संचालित करने में किसी त्रुटि के आधार पर विक्रय को"the words"ऐसे विक्रय में किसी तथ्यपरक अनियमितता या उसे प्रकाशित करने या संचालित करने में किसी त्रुटि के आधार पर उस विक्रय को" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (3), *for* the word"पुनर्विलोकन"the word"पुनरीक्षण" shall be *substituted.*

Amendment of section 194

148. In section 194 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (1) *for* the words"विक्रय के दिनांक से"the words"यदि विक्रय के दिनांक से" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (2),-

(i) in Hindi version, in clause (a), *for* the words"अधिक हो सकती है" the words"अधिक है" shall be *substituted;*

(ii) in clause (b), *for* the words "is less than the amount of arrears specified in the sale proclamation" the words "is less than the reserve price or the amount of arrears specified in the sale proclamation"shall be *substituted.*

Amendment of section 195

149. In section 195 of the said Code, in Hindi version, the following section shall be *substituted*, namely :-

"195– धारा 192,धारा 193 या धारा 194 में किसी बात के होते हुए भी, यदि कलेक्टर या आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि इस अध्याय के अधीन हुए किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय को अपास्त किया जाना चाहिए तो नीलामी क्रेता को कारण, यदि कोई है, बताने की नोटिस देते हुए वह विक्रय को लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों पर अपास्त कर सकता है।"

Amendment of section 197

150. In section 197 of the said Code, *for* the words "five percent" the words"one percent" shall be *substituted*.

Amendment of section 198

151. In section 198 of the said Code, in Hindi version,at the end of sub-section (2), the. punctuation mark " ।" shall be *inserted*.

Amendment of section 199

152. In section 199 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words "उपभोग कर" the words"उपयोग कर" shall be *substituted*.

Amendment of section 200

153. In section 200 of the said Code, in Hindi version, *for* the word "उपभोग" the word "उपयोग" and in clause (a), *for* the words "संग्रह प्रभारी" the words "संग्रह प्रभारों" shall be *substituted*.

Amendment of section 201

154. In section 201 of the said Code, in Hindi version, *for* the words and punctuation marks "तो कलेक्टर द्वारा सरसरी रूप से बेदखल कर दिया जायेगा जो ऐसा बल, जैसा आवश्यक समझा जाय का उपयोग कर सकता है या करा सकता है।" the words and punctuation marks "तो कलेक्टर द्वारा उसे सरसरी रूप से बेदखल कर दिया जायेगा एवं कलेक्टर इस हेतु ऐसा बल, जैसा आवश्यक हो का उपयोग कर सकता है या करा सकता है।" shall be *substituted*.

Amendment of section 202

155. *For* section 202 of the said Code, in Hindi version, the following section shall be *substituted*, namely-

"202–वाद का वर्जन–धारा 203 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भू–राजस्व के किसी निर्धारण या संग्रहण या भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।"

Amendment of section 203

156. In section 203 of the said Code-

(a) The brakets and figure "(1)" shall be *omitted*.

(b) in Hindi version, *for* the words "अध्याय के अधीन शुरू की जाय" the words"अध्याय के अधीन कार्यवाही शुरू की जाय", *for* the words "भुगतान वसूली अधिकारी को करेगा" the words "वसूली अधिकारी को भुगतान कर सकता है" and *for* the words and punctuation mark "वाद कर सकता है।" the words and punctuation mark "वाद दायर कर सकता है।" shall be *substituted*.

Amendment of section 204

157. In section 204 of the said Code, in Hindi version, *for* the words "इस निर्मित" the words "इस निमित्त" and *for* the words"व्यक्ति का" the words "व्यक्ति को" shall be *substituted*.

Amendment of section 206

158. In section 206 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words "प्रार्थना–पत्र कार्यवाही" the words "प्रार्थना–पत्र या कार्यवाही" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), in clause (b), *for* the word and figure "column 4"the word and figure "column 3" and *for* the word and figure"column 3" the word and figure "column 2" and in Hindi version, *for* the words "प्रार्थना–पत्र कार्यवाही" the words "प्रार्थना–पत्र या कार्यवाही" shall be *substituted*;

(c) in Hindi version, for sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(3) इस संहिता में किसी बात के होते हुये भी किसी अपीलीय, पुनरीक्षण या

निष्पादन न्यायालय द्वारा किसी ऐसी आपत्ति पर, कि उपधारा (2)(ख) में उल्लिखित किसी न्यायालय या अधिकारी को किसी वाद, प्रार्थना–पत्र या कार्यवाही के सम्बन्ध में अधिकारिता थी या नहीं थी, तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी आपत्ति, प्रथम बार के न्यायालय या अधिकारी के समक्ष शीघ्रतम अवसर पर और ऐसे सभी मामलों में जिसमें वाद बिन्दुओं का स्थिरीकरण किया जाता हो, वाद बिन्दुओं के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व,न की गयी हो और जब तक कि न्याय पारिणामिक रूप से असफल न हुआ हो।"

Amendment of section 207

159. In section 207 of the said Code-

(a) in sub-section (1) *for* the word and figure "column 3"the word and figure "column 2", *for* the word and figure "column 5" the word and figure "column 4" and *for* the word and figure "column 4" the word and figure "column 3" and in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words "आदेश डिक्री" the words "आदेश या डिक्री" and *for* the words "विनिर्दिष्ट न्यायालय" the words "में विनिर्दिष्ट न्यायालय" shall be *substituted*;

(b) in Hindi version, in sub-section (3), *for* the words, figure and punctuation marks"दाखिल किए जाने प्रथम अपील की अवधि की परिसीमा ऐसे आदेश या डिक्री, जिसके विरुद्व अपील की गयी हो, के दिनांक से 30 दिन के भीतर होगी।" the words and punctuation marks "प्रथम अपील दाखिल किये जाने के लिए परिसीमा की अवधि, अपीलीय आदेश या डिक्री के दिनांक से तीस दिन होगी।"shall be *substituted.*

Amendment of section 208

160. In section 208 of the said Code-

(a) in sub-section (1), *for* the word and figure "column 3"the word and figure"column 2", and *for* the word and figure "column 6" the word and figure "column 5"shall be *substituted*;

(b) in Hindi version, in sub-section (3), *for* the words "अवधि की परिसीमा" the words "परिसीमा की अवधि" and *for* the words and figure "90 दिन के भीतर होगी"the words and figure "90 दिन होगी"shall be *substituted.*

Amendment of section 209

161. In section 209 of the said Code-

(a) in Hindi version, *for* the words"किसी बात के होते हुए किसी निम्नलिखित आदेश या डिक्री"the words"किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित किसी आदेश या डिक्री"shall be *substituted*;

(b) in clause (a), *for* the words "Chapter V"the words "Chapter XI" shall be *substituted;*

(c) in clause (c), *for* the word "review"the word "revision"shall be *substituted*;

(d) in Hindi version, in clause (f), *for* the words "आदेश डिक्री"the words"आदेश या डिक्री"shall be *substituted*;

(e) *after* clause (f), the following clauses and proviso shall be *inserted,* namely:-

"(g) passed by Court or officer with the consent of parties; or

(h) where order has been passed ex-parte or by default:

Provided that any party aggrieved by order passed ex-parte or by default, may move application for setting aside such order within a period of thirty days from the date of the order:

Provided further that no such order shall be reversed or altered without previously summoning the party in whose favour order has been passed to appear and be heard in support of it."

Amendment of section 210

162. In secton 210 of the said Code-

(a) *for* the figures and words "210. The Board"the figures, brackets and words "210. (1) The Board" and in Hindi version *for* the word "हुयी" the words "होती है" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (1), the words and punctuation mark"or where an appeal lies but has not been preferred,"shall be *omitted;*

(c) *after* sub-section (2) and before sub-section (3), the following explanation shall be *inserted*, namely:-

"*Explanation.* - For the removal of doubt it is, hereby, declared that when an application under this section has been moved either to the Board or to the Commissioner, the application shall not be permitted to be withdrawn for the purpose of filing the application against the same order to the other of them."

(d) in sub-section (3), *for* the words "thirty days"the words "sixty days"shall be *substituted.*

Amendment of section 211

163. In section 211 of the said Code-

(a) in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words "अपने द्वारा या संबंधित अपने द्वारा" the words "अपने द्वारा"shall be *substituted;*

(b) in Hindi version, in sub-section (2),-

(i) *for* the words, figure and brackets"की धारा (1)"the words, figure and brackets"का उपधारा (1)" shall be *substituted*;

(ii) in clause (b), *for* the words "किसी गलती"the words "कोई गलती"shall be *substituted*;

(c) *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(4) An application under sub-section (1), for review of any order, may be moved within sixty days from the date of such order."

Amendment of section 213

164. In section 213 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in the heading, *for* the words "पक्षकार होगा"the words "पक्षकार होगी"shall be *substituted*;

(b) *for* the words "तद्धीन"the words "तदधीन"and *for* the words "या के"the words "या उसके"shall be *substituted.*

Amendment of section 214

165. In section 214 of the said Code, in Hindi version, *for* the words "इस संहिता द्वारा या अधीन"the words "इस संहिता द्वारा या इसके अधीन"shall be *substituted.*

Amendment of section 215

166. *For* section 215 of the said Code, in Hindi version, the following section shall be *substituted*, namely:-

"215–प्रक्रिया में अनियमितता के कारण आदेश अविधिमान्य नहीं होंगे– किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्यवाही के पूर्व या उसके दौरान सम्मन, नोटिस, उद्घोषणा, वारंट या आदेश अथवा अन्य कार्यवाही में त्रुटि, लोप या अनियमितता मात्र के कारण किसी अपील या पुनरीक्षण में तब तक उल्टा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी त्रुटि, लोप या अनियमितता से वास्तव में न्याय का हनन न हुआ हो।"

Amendment of section 216

167. In section 216 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in clause (b), *for* the words "पता लिखे रजिस्टर्ड डाक द्वारा "the words "के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा"shall be *substituted;*

(b) *for* clause (c), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(ग) किसी निगमित कम्पनी या निकाय के मामले में, उसी कम्पनी या निकाय के सचिव या अन्य मुख्य कार्यकारी को सम्बोधित कर उसके प्रधान कार्यालय में देकर या उसके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर; या"

(c) in clause (d), *for* the words "दिए गए किसी अन्य रीति से"the words "दी गयी किसी अन्य रीति से"shall be *substituted.*

Amendment of section 217

168. In section 217 of the said Code, in Hindi version, *for* the words "ऐसे मामलों" the words "ऐसे मामले" shall be *substituted.*

Amendment of section 219

169. In section 219 of the said Code, in Hindi version, *for* the words "अपने से अधीनस्थ" the words "अपने अधीनस्थ" *for* the words "जिसका प्रयोग" the words "जिनका प्रयोग", *for* the word "निर्बन्धनों" the word "निबन्धनों" and *for* the words "विनिर्दिष्ट की जाय" the words "विनिर्दिष्ट की जायें" shall be *substituted.*

Amendment of section 220

170. In section 220 of the said Code, in Hindi version, *for* the words "निर्बन्धनों और शर्तों" the words "निबन्धनों और शर्तों", for the words and punctuation marks "आवश्यक समझें, किसी भी समय किसी को ग्रहण कर सकता है। " the words and punctuation marks "आवश्यक समझे, किसी भी समय किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकता है।" shall be *substituted.*

Amendment of section 221

171. In section 221 of the said Code, in Hindi version, *for* the words "कोई व्यक्ति" the words "कोई भी व्यक्ति" and for the words "भाग की प्रतिलिपि" the words "भाग की सत्यापित प्रतिलिपि" shall be *substituted.*

Amendment of section 222

172. In section 222 of the said Code-

(a) in clause (a), *for* the words "Jhansi division" the words "Jhansi division and Chitrakoot division" shall be *substituted;*

(b) in clause (d), *for* the words and brackets "Balai (Pahar)" the words brackets "(Balai Pahar)" shall be *substituted*;

(c) in clause (e), *for* the words "Bhagwat of tahsil Chunar" the words "Bhagwat of tahsil Chunar and pargana Bhagwat of tahsil Madihan" shall be *substituted;*

(d) in Hindi version, in clause (e), *for* the word "साकेतगढ़ " the word "सकटेशगढ़" shall be *substituted.*

Amendment of section 223

173. In section 223 of the said Code, in Hindi version, *for* the words "या के द्वारा" the words "या उनके द्वारा" shall be *substituted.*

Amendment of section 224

174. In section 224 of the said Code, in Hindi version,-

(a) in sub-section (1), *for* the words and punctuation mark "भूमि के कब्जादार किसी व्यक्ति से," the words and punctuation mark "भूमि पर काबिज किसी व्यक्ति से," and *for* the words "जैसा विहित किया जाय" the words "जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), *for* the words and punctuation marks "जो ऐसी भूमि में, प्रकृति और विस्तार सहित, कोई रूचि रखता हो," the words and punctuation marks "जो ऐसी भूमि में, हित रखता हो, जिसके अन्तर्गत हित की प्रकृति और विस्तार भी शामिल है," shall be *substituted.*

Amendment of section 225

175. In section 225 of the said Code, in Hindi version, in the heading, *for* the word "परित्राण" the word "संरक्षण", and in sub-section (1), *for* the word "यह" the word "वह" and for the words "द्वारा या के अधीन" the words "द्वारा या इसके अधीन" shall be *substituted.*

Insertion of new sections

176. *After* section 225, the following sections shall be *inserted,* namely:-

"225-A - Determination of questions in summary proceeding. - Notwithstanding anything contained in other provisions of this Code, all the questions arising for determination in any summary proceeding under this Code shall be decided upon affidavits, in the manner prescribed:

Provided that if Revenue Court or Revenue Officer is satisfied that the cross examination of any witness, who has filed affidavit, is necessary, it or he may direct to produce the witness for such cross examination.

225-B - Lodging of Caveat- (1) Where an application is expected to be made in any suit, appeal, revision or other proceeding under this Code, any person claiming the right to oppose the application, may, either personally or through his counsel, after serving a copy of caveat through registered post on the person by whom the application is expected to be made, lodge a caveat in the court in respect thereof.

(2) Where a caveat has been lodged and notice thereof has been served, the applicant shall, when presenting the application in court, furnish proof of having given prior notice in writing to the caveator or his counsel of the date on which the application is proposed to be presented.

(3) If any caveat is filed under this section, the entry of the same shall be made in the register of caveat in the manner prescribed.

225-C - Constitution of Committee. - (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Code or the Rules made thereunder, the Collector shall constitute, such Committee at Gram Panchayat level, as may be notified by the State Government from time to time to assist in the disposal of cases and redressal of grievances in the manner prescribed.

(2) Every committee constituted under sub-section (1) shall consist of a Chairman and four other members, who shall be nominated or designated in the manner prescribed:

Provided that in each such committee, there shall be at least one woman member, one member belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and one member belonging to the Other Backward Class.

225-D - Power of an Assistant Collector of First Class not in charge of a sub-division.- An Assistant Collector of the first class not in charge of a sub-division of a district shall exercise all or any of the powers conferred on an Assistant Collector of the first class in charge of a sub-division in such cases or classes of cases as the Collector may, from time to time, refer to him for disposal.

225-E -Powers of Assistant Collector of second class- Assistant Collectors of the second class shall have power to investigate and report on such cases as the Collector or Assistant Collector in charge of a sub-division of a district may, from time to time, commit to them for investigation and report.

225-F -Consolidation of cases- (1) Where more cases than one involving substantially the same question for determination and based on the same cause of action are pending in different courts, they shall, on application being made by any party to the court to which all the courts concerned are subordinate, be transferred and consolidated in one court and decided by a single judgment.

(2) When two or more suits or preceedings are pending in the same court, and the court is of opinion that it is expedient in the interest of justice, it may by order direct their joint trial, where upon all such suits and preceedings may be decided upon the evidence in all or any of such suits or proceedings."

Amendment of section 226

177. In section 226 of the said Code-

(a) in sub-section (1), for the words "not be less than five hundred rupees and not exceed two thousand rupees"the words "not be less than one thousand rupees and not exceed ten thousand rupees"and *for* the words "not be less than one hundred rupees and not exceed five hundred rupees"the words "not be less than five hundred rupees and not exceed five thousand rupees"shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), *for* the words "five thousand rupees" the words "fifteen thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of secdtion 227

178. In section 227 of the said Code-

(a) in the marginal heading, *for* the words "Damages or destruction etc. of boundary marks"the words "Damages for destruction etc. of boundary marks" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (1),-

(i) in Hindi version, *for* the words and punctuation mark"इस प्रकार नष्ट की गयी, क्षति पहुँचायी गयी"the words and punctuation mark "इस प्रकार नष्ट किये गये, क्षति पहुँचाये गये"shall be *substituted*;

(ii) *for* the words "one hundred rupees"the words "one thousand rupees"shall be *substituted*.

Amendment of section 228

179. In section 228 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words "काम ले लाता है,"the words "काम में लाता है"and *for* the words "माँगी हो"the words "भागी हो"shall be *substituted*.

Amendment in section 229

180. In section 229 of the said Code, in Hindi version, in clause (c), *for* the words "कलेक्टर या किसी स्थानीय प्राधिकारी" the words"कलेक्टर या किसी अन्य राजस्व अधिकारी"shall be *substituted*.

Amendment of section 230

181. In section 230 of the said Code, in sub-section (2), in clause (a) *for* the word"Uttaranchal" the word "Uttarakhand"shall be *substituted*.

Amendment of section 231

182. In section 231 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words and punctuation mark "अन्य रूप में हो," the words and punctuation mark "अन्य रूप में हों," and *for* the words and punctuation mark "पारित न हुयी हो, तो" the words and punctuation mark"पारित न हुयी होती।"shall be *substituted*.

Amendment of section 232

183. In section 232 of the said Code, in Hindi version, in sub-section (1), *for* the words "परिवर्तनों" the words "परिवर्द्धनों"shall be *substituted*.

Amendment of section 233

184. In section 233 of the said Code-

(a) in sub-section (2),-

(i) in Hindi version, in clause (iv), *for* the words "सीमाओं के सीमांकन" the words"सीमाओं के निर्धारण" and *for* the words"इसके लागत" the words"उनकी लागत"shall be *substituted*;

(ii) *after* clause (iv), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(iv-a) the procedure for survey operation and record operation including demarcation of abadi by the use of available modern technology and digitalization process;"

(b) in Hindi version, in sub-section (2),-

(i) *for* clause (vii), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(सात) किसान बही को तैयार करने, उसकी आपूर्ति तथा उसके अनुरक्षण की प्रक्रिया और उससे सम्बन्धित मामले जिसमें उसके लिए प्रभारित की जाने वाली फीस भी है;"

(ii)in clause (viii), *for* the words "बेदखली भूमि" the words"अनाध्यासित भूमि" and *for* the words"सम्बन्धित विवाद" the words"सम्बन्धित विवादों"shall be *substituted*;

(iii) in clause (x), *for* the words "भू–राजस्व के सिद्वान्त"the words "भू–राजस्व के निर्धारण के सिद्वान्त"and *for* the word "नियुक्ति" the word "प्रभाजन"shall be *substituted*;

(iv) in clause (xi), *for* the words "जिसमें लागत नियत करना और संग्रहण प्रभार भी है"the words "जिसमें लागत और संग्रहण प्रभार नियत करना भी शामिल है"shall be *substituted*;

(v) *for* clause (xii), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(बारह) लगान नियत करने और उसके संराशीकरण की प्रक्रिया जिसमें ऐसी परिस्थितियां भी शामिल है जिनमें लगान का बकाया बट्टे खाते में डाला जा सकता है;"

(vi) in clause (xiii), *for* the words "भूमि प्रबन्धक"the words "भूमि प्रबन्धक समिति"and *for* the words "विधि व्यवसायी"the words "विधि व्यवसायियों"shall be *substituted;*

(vii) in clause (xiv), *for* the words "वाद, अपील और अन्य कार्यवाहियों" the words"वादों, अपीलों और अन्य कार्यवाहियों"shall be *substituted*;

(viii) in clause (xviii), *for* the words "कोई विशिष्ट कार्य किया जाना चाहिए" the words"कोई कार्य किया जाना चाहिए"shall be *substituted;*

(ix) in clause (xxi), *for* the words "पकड़ना, शिकार करना या गोली मारने"the words"पकड़ने, शिकार करने या गोली मारने"shall be *substituted*;

(x) in clause (xxii), *for* the words "नियम बनाया जाना हो या बनाया जा सकता हो"the words"नियम बनाये जाने हों या बनाये जा सकते हों"shall be *substituted*;

(c) in Hindi version, in sub-section (3), for the words "इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व निरसित किन्हीं अधिनियमन के अधीन राज्य सरकार या परिषद द्वारा बनाए गए"the words"किन्हीं निरसित अधिनियमनों के अधीन राज्य सरकार या परिषद द्वारा इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाए गए"shall be *substituted*;

(d) in sub-section (4), *for* the words "one thousand rupees" the words"twenty five thousand rupees"shall be *substituted*.

Amendment of section 234

185. In section 234 of the said Code-

(a) in sub-section (1),-

(i) in Hindi version, *for* the word and punctuation mark "है ।"the word and punctuation mark "है–"shall be *substituted*;

(ii) in Hindi version, in clause (a), *for* the word "वाद"the word "वादों" *for* the words "राजस्व न्यायालय"the words "राजस्व न्यायालयों"and *for* the words and punctuation mark "प्रक्रिया, और" the words and punctuation mark"प्रक्रिया; और"shall be *substituted;*

(b) at the end of clause (c), *for* the punctuation mark "." the punctuation mark ";" shall be substituted and thereafter the following clauses shall be *inserted*, namely:-

"(d) procedure for issuing licences to the petition writers;

(e) such other matters as may be prescribed by rules."

(c) *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(3) The Revenue Court Manual, the Land Records Manual, Collection Manual and Land Revenue (Survey and Record Operation) Rules, 1978, in force on the date of commencement of this Code, shall continue to remain in force, to the extent they are not inconsistent with the provisions of this Code, until amended, rescinded or repealed by any regulations made under this section."

Amendment of First Schedule

186. In the heading of List-B of the First Schedule to the said Code, *for* the word "Uttaranchal"the word "Uttarakhand" shall be *substituted*.

Amendment of Second Schedule

187. In the Second Schedule, to the said Code, *for* the Serial Nos.11, 12 and 13, the following shall respectively be *substituted*, namely:-

11.	Any question relating to the allotment of land referred to in section 64 or section 125 or cancellation of such allotment.
12.	Any claim to question a direction issued by the Collector under section 71.
13.	Any claim to question the delivery of possession over any land and part thereof referred to in section 124, or the eviction of any person under section 134 or section 201.

Amendment of Third Schedule

188. In the Third Schedule to the said Code-

(a) regarding section 35, in column 5, the word "Commissioner"shall be *omitted*;

(b) regarding section 67, in column 3, *for* the word "Sub-Divisional Officer" the words" Assistant Collector"and in column 4 thereof, *for* the word" Commisioner" the word"Collector"shall be *substituted*;

(c) in Hindi version, regarding section 96(2), in column 2, *for* the word "अंशधारा" the word"अंशधारी"shall be *substituted*;

(d) in the Note, *for* the words and punctuation mark"सहायक कलेक्टर," the words and punctuation mark"सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी,"shall be *substituted*.

Amendment of Fourth Schedule

189. In the Fourth Schedule to the said Code-

(a) in Hindi version, in List-A, at Serial no.4, *for* the word "बंतरा"the word "बंतारा"shall be *substituted*;

(b) in Hindi version, in List-A, at Serial No.7, *for* the word "घोतवा"the word "धोतवा"shall be *substituted*;

(c) in Hindi version, in List-A, at Serial No.8, *for* the word "धुरही"the word "धुराही"shall be *substituted*.

(d) *For* the List-B, the following List shall be *substituted*, namely:-

"List-B"

List of Villages of Pargana Bhagwat

1.	Ban Imlis,	10.	Nibia,
2.	Jargal Mahal,	11.	Rampur Barho,
3.	Semra Barho,	12.	Sonbarsa,
4.	Khatkharia,	13.	Bisumpura,
5.	Koharadih,	14.	Khamhria,
6.	Talar,	15.	Purainia,
7.	Chit Bisram,	16.	Nikerika,
8.	Padarwa,	17.	Dhansiria,
9.	Hinauta,	18.	Garhwa.

Repeal and saving

190. (1) The Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2015 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 4 of 2015

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the co-responding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) has been enacted to consolidate thirty nine Acts which were in force in the state of Uttar Pradesh. Thereafter it was noticed that there are many linguistic errors in the said Code which were required to be corrected Besides it was also necessary to include the amended provisions of sub-section (4-F) of section 122-B,sections 123, 172 and174 of the Uttar Pradesh Zamindari abolition and Land Reforms Act, 1950 (U.P. Act no. 1 of 1951) which were amended in the year, 2007 and 2008 i.e. after passage of the said Code by both Houses of the State Legislature. In view of the above it was dicided to amend the said Code to correct the linguistic errors and to include the amended provisions as aforesaid.

Since the State Ligislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2015 (U.P. Ordinance no. 4 of 2015) was promulgated by the Governor on December 16, 2015 .

This bill is introduced to replace the provisions of the aforesaid Ordinance

By order,
ABDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 998 राजपत्र–(हिन्दी)–2016–(2328)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 127 सा0 विधायी–14–03–2016–(2329)–500 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।